# अर्थव्यवस्था

आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, अर्थव्यवस्था कहलाती है। आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है–

1. वस्तु और सेवाओं का उत्पादन
2. उनका उपभोग
3. मौद्रिक लेन–देन

अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है–

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र (सूक्ष्म)
2. वृहत अर्थशास्त्र

1. **सूक्ष्म अर्थशास्त्र** :जब अध्ययन एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाता है।
2. **वृहत अर्थशास्त्र** : जब अध्ययन वृहत स्तर पर किया जाता है।

अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है–

| पूंजीवाद | साम्यवाद |
|---|---|
| • ये स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं। | • ये समानता के समर्थक होते हैं। |
| • ये निजी सम्पति को मान्यता देते है। | • ये निजी सम्पति को मान्यता नहीं देते हैं। |
| • बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है अर्थात् मुक्त बाजार नीतियाँ अपनायी जाती है। | • बाजार पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण। |
| • संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर | • संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर |
| • लोकतांत्रिक सरकार | • तानाशाही |
| • अहिंसा का समर्थन | • हिंसा का समर्थन |
| • वर्ग संघर्ष के साथ–साथ वर्ग सहयोग | • वर्ग संघर्ष |
| • धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है | • ये धार्मिक रूप से नास्तिक होते है धर्म की तुलना अफीम से की गयी है। |
| • मुख्य विचारक– ''एडम स्मिथ'' पुस्तक–The Wealth of Nations-1776 | • मुख्य विचारक ''कॉर्ल मार्क्स'' (पुस्तक –दास केपिटल, कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो) |

- 1917 ई. में लेनिन के नेतृत्व में बौल्शेविक क्रांति हुई जिसमें रूस के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया तथा साम्यवाद की स्थापना की गई।
- 1922 ई. में USSR (Union of soviet socialist Republics)की स्थापना की गयी।
- लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन यहाँ का नया तानाशाह बना।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद USA और USSR के बीच एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ जिसे शीतयुद्ध कहा गया।
- इसमें USA ने पूंजीवाद और USSR ने साम्यवाद का नेतृत्व किया।
- 1991 में USSR का विघटन हो गया तथा शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसमें पूंजीवाद की जीत हुई तथा साम्यवाद की हार हुई।

- 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई–माओ जिदांग के नेतृत्व में।
- 1978 ई. में चीन में आर्थिक सुधार लागू किये गये। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंनें पूंजीवाद को अपना लिया परन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण से वे आज भी साम्यवादी है।
- अन्य देश जिन्होने साम्यवाद को अपनाया– क्यूबा, उत्तरी कोरिया, कम्बोडिया, वियतनाम, वेनेजुएला
- भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण था परन्तु अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवाद की ओर अधिक था।
- 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संकट उत्पन्न हुआ जिसके बाद आर्थिक सुधार लागू किये गये तथा अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवाद की ओर हो गया।

## मांग और आपूर्ति

- **मांगः**– वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय के दौरान खरीदने के लिए तैयार होता है।
- **आपूर्तिः** वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि, कोई उत्पादक या विक्रेता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय के दौरान उपलब्ध करवाने के लिए तैयार होते है।

**मांग और आपूर्ति के बीच संबंधः–**

1. **मांग > आपूर्ति**
   ↓
   **कीमते बढ़ेगी**
   ↓
   **उत्पादक को लाभ→ निवेश अधिक → अधिक रोजगार→ नियमित आय→जीवन स्तर में सुधार**

2. **आपूर्ति > मांग**
   ↓
   **कीमतें कम**
   ↓
   **उत्पादक को हानि→ निवेश नहीं→ रोजगार नहीं→ नियमित आय नहीं→जीवन स्तर में कमी**

- यदि यह परिस्थिति कुछ समय के लिए बनी रहती है तब अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है यदि मंदी कुछ महीनों तक के लिए बनी रहे तब अर्थव्यवस्था महामंदी में प्रवेश कर जाती है।
  जैसे–Great Depression - 1929 USA
  मांग का सम्बन्ध धन से होता है जिसे तरलता भी कहा जाता है। तरलता के बढ़ने से मांग बढ़ती है तथा तरलता के कम होने से मांग कम होती है तरलता को कम या ज्यादा करने के लिए RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है।
  आपूर्ति का सम्बन्ध उत्पादन से होता है जिसे सदैव बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।
- तरलता को बढ़ाने व कम करने के लिए RBI के द्वारा ब्याज दरो को कम या ज्यादा किया जा सकता है।
- मंदी की परिस्थिति में सरकार के द्वारा अपने खर्च को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि बाजार में मांग सृजित हो सके इसके लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है।
- **माँग का नियमः–** यह नियम कीमत और मांग के बीच नकारात्मक संम्बन्ध को दर्शाता है जब कीमते बढ़ती है मांग कम होती है जब कीमते कम होती है तब मांग बढ़ती है।

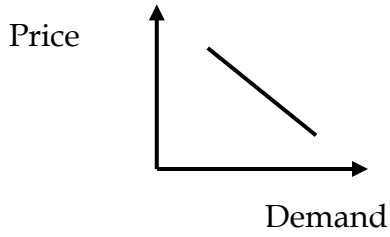


**अपवादः–**

(i) आवश्यक वस्तुएं जैसे– नमक, पेट्रोल, डीजल आदि।
(ii) जीवन रक्षक दवाएँ।
(iii) वेबलेन वस्तुएं – वे वस्तुएं जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा और विलासिता से जुड़ी हुई होती है।
(iv) गिफेन वस्तुएं – ये कम गुणवत्ता की वस्तुएं होती है इनकी मांग और कीमते इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि इनकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत अत्यधिक बढ़ गई है।
उदाहरण– कॉफी, चाय
(v) नशीले पदार्थ
(vi) फैशन की वस्तुएं

**आपूर्ति का नियम :–** यह नियम कीमत और आपूर्ति के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाता है अर्थात कीमतों के बढ़ने से आपूर्ति भी बढ़ती है।

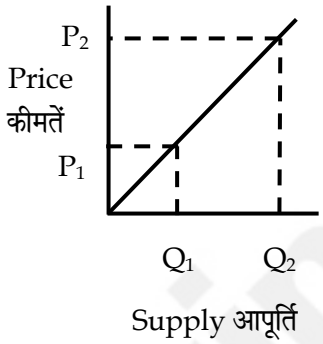


**अपवादः–**

(i) बाजार में एकाधिकार
(ii) सरकार की नीतियाँ, जैसे– लॉकडाउन।
(iii) प्राकृतिक आपदा
(iv) वस्तु की प्रकृति– कुछ वस्तुएं जल्द खराब हो जाती है इनकी माँग वर्षभर बनी रहती है परन्तु आपूर्ति वर्षभर नही की जा सकती।

**मूल्य का निर्धारणः–** मूल्य वह बिन्दू है जिस पर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सहमत होते है।

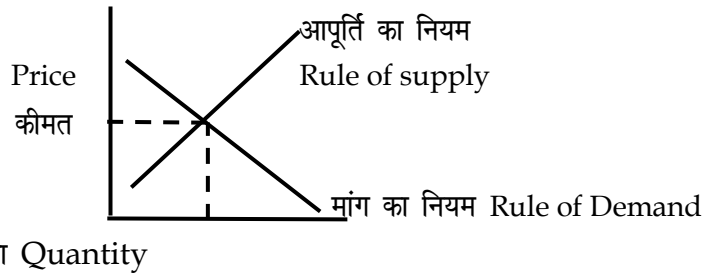

**उत्पादक के कारकः–** उत्पादन के चार कारक होते है तथा सभी की कुछ लागत होती है।

| **उत्पादक के कारक/साधन** | **साधन लागत** |
|---|---|
| भूमि (Land) | किराया (Rent) |
| श्रम (Labour) | मजदूरी (Wages) |
| पूंजी (Capital) | ब्याज (Interest) |
| उद्यमी (Enterpreneur) | लाभ (Profit) |

**साधन लागत** = किराया + मजदूरी + ब्याज + लाभ
**बाजार मूल्य** = साधन लागत + अप्रत्यक्ष कर– सब्सिडी

## अर्थव्यवस्था के क्षेत्र :–

अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं–

**(1) प्राथमिक क्षेत्रः–** इसमें निम्नलिखित गतिविधियों को रखा जाता है–

(i) कृषि (iii) मछली पकड़ना

(ii) डेयरी (iv) वानिकी

खनन को सामान्यतयाः प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है परन्तु भारत में औद्योगिक उत्पादन की गणना करते समय इसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है।

**(2) द्वितीयक क्षेत्रः–** इसमें निर्माण व विनिर्माण गतिविधियों को रखा जाता है।

जैसे– मोटर वाहन उद्योग
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग
वस्त्र उद्योग आदि।

**(3) तृतीयक क्षेत्रः–** इसमें सेवाओं को रखा जाता है इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है।

सेवाओं को दो अन्य क्षेत्रों में भी बाँटा जाता है–

**(i) चतुर्थक क्षेत्रः–** इसमें ऐसी सेवाएं रखी जाती है जो कि ज्ञान आधारित होती है
जैसे– मेडिकल सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, कानूनी सेवाएं

**(ii) पंचम क्षेत्रः–** इसमें वे सेवाएं रखी जाती हैं जो कि निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैसे– सिविल सेवाएं, राजनैतिक सेवाएं

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तीन चरणों में विकसित होती है–

(A) कृषि आधारित अर्थव्यवस्था

(B) उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था

(C) सेवा आधारित अर्थव्यवस्था

- स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी किन्तु वर्तमान में यह सेवा आधारित है।
- स्वतंत्रता के समय GDP में कृषि का योगदान लगभग 55% था वर्तमान में यह कम होकर लगभग 18%हो गया परन्तु आज भी 50%जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।

# मुद्रास्फीति (Inflation)

- यह एक परिस्थिति है, जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है तथा मुद्रा का मूल्य कम होता है इससे मुद्रा की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है।
- फिलिप्स वक्र :– यह वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध दर्शाता है मुद्रास्फीति के बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है यह संबंध एक निश्चित समय तक देखा जाता है।

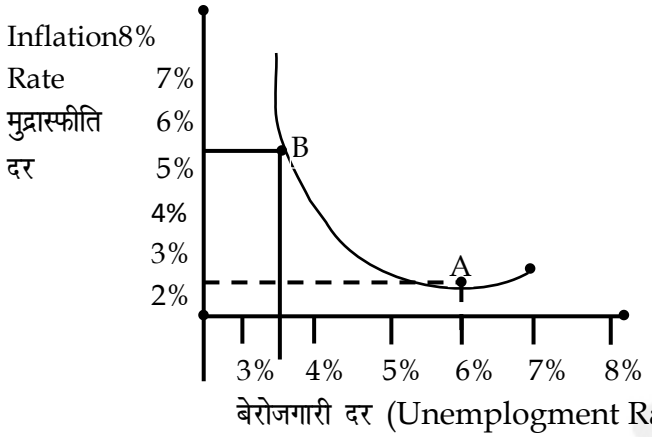


- मुद्रास्फीति व बेरोजगारी के बीच यह संबंध सदैव सत्य नहीं होता है। एक निश्चित समय सीमा तक ही यह संबंध देखा जाता है।
- मुद्रास्फीति की गणना प्रत्येक माह की जाती है परन्तु कीमतो की तुलना उसी माह पिछले साल की कीमतो से की जाती है। जैसे–

| | 2022 | 2023 | Inflation |
|---|---|---|---|
| Jan | 100 | 110 | 10% |
| Feb | 100 | 108 | 8% |
| Mar | 100 | 90 | -10% |
| April | 100 | 105 | 5% |
| May | 100 | 102 | 2% |
| June | 100 | 90 | -10% |
| July | 100 | 80 | -20% |

**मुद्रास्फीति के प्रकारः–**

(1) **लक्षित मुद्रास्फीति**– प्रत्येक देश के द्वारा अपने विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसे लक्षित मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे विकसित देशों में मुद्रास्फीति का लक्ष्य 2% से 6% के बीच होता है, क्योंकि वह मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं।

- विकसित देशो के लिए यह (1%–2%) है और विकासशील देशो के लिए 4% ±2% है। इस मुद्रास्फीति को **ग्रोथ फ्लेशन** भी कहा जाता है।
- विकासशील देशों का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर सर्जित करना है।

(2) **रेंगती मुद्रास्फीति** :– जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होती है यह मुद्रास्फीति विकसित देशों के लिए सकारात्मक है परन्तु विकासशील देशों के लिए अच्छी नहीं है।

(3.) **चलती मुद्रास्फीति** :– जब मुद्रास्फीति की दर 3%- 6% के बीच होती है यह मुद्रास्फीति विकसित देशो के लिए नकारात्मक है परन्तु विकासशील देशो के लिए सकारात्मक है।

(4) **दौड़ती मुद्रास्फीतिः**– जब मुद्रास्फीति की दर 6%-10%के बीच होती है यह मुद्रास्फीति विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए चिंताजनक है।

(5) **गेलोपिंग मुद्रास्फीति** :– जब मुद्रास्फीति की दर 10%से अधिक होती है। यह मुद्रास्फीति अत्यधिक चिंताजनक है इसे नियंत्रित करने के लिए अप्रत्याशित उपाय अपनाये जाते है।

(6) **हाइपर मुद्रास्फीति** :– जब मुद्रास्फीति की दर 50% से भी अधिक हो जाती है। यह मुद्रास्फीति का सबसे खतरनाक स्वरूप है इसमें मुद्रा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती है।

(7.) **विस्फीतिः**– जब मुद्रास्फीति की दर कम होने लगती है यद्यपि कीमतें अभी भी अधिक होती है।

(8) **अवस्फीतिः**– जब मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है अर्थात वस्तु और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती है इससे उत्पादकों को नुकसान होता है जिससे उत्पादन कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है यदि यह स्थिति कुछ समय के लिए बनी रहे तब अर्थव्यवस्था महामंदी में चली जाती है।

(9) **स्टेगफ्लेशन** :– यह एक विशेष परिस्थिति है जिसमें GDP कम होती है बेरोजगारी बढ़ती है परन्तु फिर भी मुद्रास्फीति अधिक होती है।

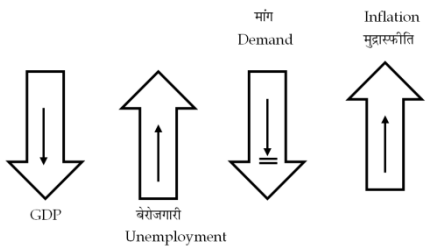


यह केन्द्रीय बैंक के लिए दुविधा की स्थिति है क्योंकि यदि ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है तब GDP में ओर अधिक कमी होगी और यदि ब्याज दरों को कम किया जाता है तब मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

(10) **लागत जनित मुद्रास्फीति** :– यह मुद्रास्फीति लागत बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है लागत निम्नलिखित कारणो से बढ़ सकती है–

- कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि।
- कच्चे माल की उपलब्धता में कमी, जैसे – प्राकृतिक आपदा।
- परिवहन की लागत में वृद्धि।
  जैसे– अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि।
- किराये में वृद्धि।
- मजदूरी की दरो में वृद्धि।
- ब्याजदरो में वृद्धि।
- उद्यमी के लाभ में वृद्धि।
- अप्रत्यक्ष करो में वृद्धि।
- सब्सिडी में कमी।

(11) **माँग जनित मुद्रास्फीतिः**– यह मुद्रास्फीति माँग में वृद्धि के कारण होती है। माँग में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है–

- बाजार में तरलता में वृद्धि – ब्याज दरों में कमी, नई मुद्रा का सृजन आदि
- जनसंख्या में वृद्धि।
- आय के स्तर में वृद्धि।
- सरकारी खर्च में वृद्धि।

- सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष करो में कमी
- बाजार में काला धन
- विदेशी निवेश में वृद्धि।

(12) **कोर मुद्रास्फीतिः–** यह मुद्रास्फीति का वह भाग है जो कि RBI के नियंत्रण में होता है।
कोर मुद्रास्फीति = मुद्रास्फीति – अन्य कारक
**अन्य कारक**– अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमते।
प्राकृतिक घटनाएं।
परिवहन में बाधा।

**प्रचलित रूप से –**
कोर मुद्रास्फीति = हेडलाइन मुद्रास्फीति– खाद्य पदार्थ एवं ईंधन

(13) **तिरछी मुद्रास्फीतिः–** जब वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती है तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है तो ऐसी मुद्रास्फीति को तिरछी मुद्रास्फीति कहते है। जैसे– प्रोटीन मुद्रास्फीति (प्रोटीन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि)

(14) **शृंक मुद्रास्फीतिः–**जब कीमते स्थिर रहती है परन्तु उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में कमी कर दी जाती है।

(15) **Bottleneck Inflation** :–जब आपूर्ति में बाधाओं के कारण कीमतें बढ़ती है।

(16) **Imported Inflation:–** जब आयात किये जाने वाले की कीमतों में वृद्धि की जाती है।

**मुद्रास्फीति की गणनाः–** मुद्रास्फीति की गणना दो दृष्टिकोणों से की जा सकती है–

(i) थोक मूल्य सूचकांक (wholesale price Index- WPI)–
(ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price Index - CPI)

| WPI | CPI |
|---|---|
| • वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित<br>• आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी<br>• WPI के चार प्रकार होते हैं–<br>(i) WPI प्राथमिक वस्तुएं= 117<br>(ii) WPI ईंधन और ऊर्जा = 16<br>(iii) WPI विनिर्मित वस्तुएं = 564<br>(iv) WPI मुख्य = 697<br>• पूरे भारत के लिए ही WPIकी गणना की जाती है क्षेत्रीय WPIकी गणना नहीं की जाती है।<br>• केवल वस्तुएं शामिल है।<br>• खाद्य पदार्थों का भारांश बहुत कम है (लगभग = 20%)<br>• आधार वर्ष=2011–12<br>•प्रत्येक माह के 14 वें दिन जारी किया जाता है।<br>• 2014 तक यह मुख्य सूचकांक था। | • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा।<br>• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)द्वारा जारी।<br>• CPI के तीन प्रकार होते हैं–<br>(i) CPI ग्रामीण<br>(ii) CPI शहरी<br>(iii) CPI (ग्रामीण + शहरी)<br>• CPI देश के साथ राज्यों और U.T. के लिए भी जारी किया जाता है अर्थात क्षेत्रीय CPI जारी किया जाता है।<br>• वस्तु और सेवाएं दोनो शामिल है।<br>• खाद्य पदार्थों का भारांश अधिक है (लगभग = 45%)<br>• आधार वर्ष =2012<br>• प्रत्येक माह के 12 वें दिन जारी किया जाता है।<br>• 2014 से यह मुख्य सूचकांक है। (उर्जित पटेल समिति) |

- राज्य सरकार के द्वारा अलग से WPI जारी किया जाता है राजस्थान में इसका आधार वर्ष 1999–2000 है।
- एक अन्य CPI मजदूरों की दृष्टिकोण से भी जारी की जाती है।

**CPI**

**ग्रामीण (आधार वर्ष 1986–87 )** — **शहरी (आधार वर्ष 2016–17)**

CPI-कृषि मजदूर  CPI-ग्रामीण मजदूर  औद्योगिक कामगार

**उत्पादक मूल्य सूचकांक :–** इसका प्रयोग यूरोपीय देशो में किया जाता है इसमें उत्पादक के दृष्टिकोण से कीमतों में वृद्धि की गणना की जाती है इसमें वस्तु और सेवा दोनो को शामिल किया जाता है।

**आधार प्रभाव :–** मुद्रास्फीति की गणना पर पिछले वर्ष की कीमतों का प्रभाव देखा जाता है, जिसे आधार प्रभाव कहा जाता है। यदि पिछले वर्ष कीमते अधिक थी तो वर्तमान वर्ष में कम मुद्रास्फीति देखी जायेगी तथा यदि पिछले वर्ष कीमतें कम थी तो वर्तमान वर्ष में अधिक मुद्रास्फीति देखी जायेगी।

**मुद्रास्फीति के प्रभाव :–**

**1. सकारात्मक प्रभाव :**

- निवेश में वृद्धि
- GDP में वृद्धि (GDP = उत्पादन)
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- सरकार की कर आय में वृद्धि

**2. नकारात्मक प्रभाव :**

- मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है।
- बचतकर्ता को हानि होती है।
- मुद्रास्फीति के कारण ऋण देने वाले को हानि होती है तथा ऋण लेने वाले को लाभ होता है क्योंकि
- प्रभावी ब्याज दर = ब्याज दर – मुद्रास्फीति
- बैंको से जमाकर्ता धन निकालने लगते हैं तथा दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने लगते हैं, जिसके कारण उनका जोखिम बढ़ जाता है।
- बैंक की ऋणयोग्य राशि कम हो जाती है। जिसके कारण निवेश और माँग प्रभावित होती है।
- मुद्रास्फीति के कारण और अधिक मुद्रास्फीति बढ़ती है।
- मुद्रास्फीति के कारण सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है जिससे निवेश प्रभावित होता है।
- कालाबाजारी की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं।
- मुद्रास्फीति का सबसे नकारात्मक प्रभाव गरीब परिवारों पर होता है क्योंकि उनके लिए जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नुकसान होता है क्योंकि उन्हें महँगाई भत्ता नहीं दिया जाता है।
- जो लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें महँगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन उसके कारण उनकी कर योग्य आय बढ़ जाती है। इस अवधारणा को Fiscal Drag कहा जाता है।
- सरकारी खर्च में वृद्धि होती है जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है।
- मुद्रास्फीति के कारण आयात बढ़ते हैं तथा निर्यात कम होते जाते हैं जिसके कारण चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है।

## मुद्रास्फीति को नियन्त्रण करने के उपायः–

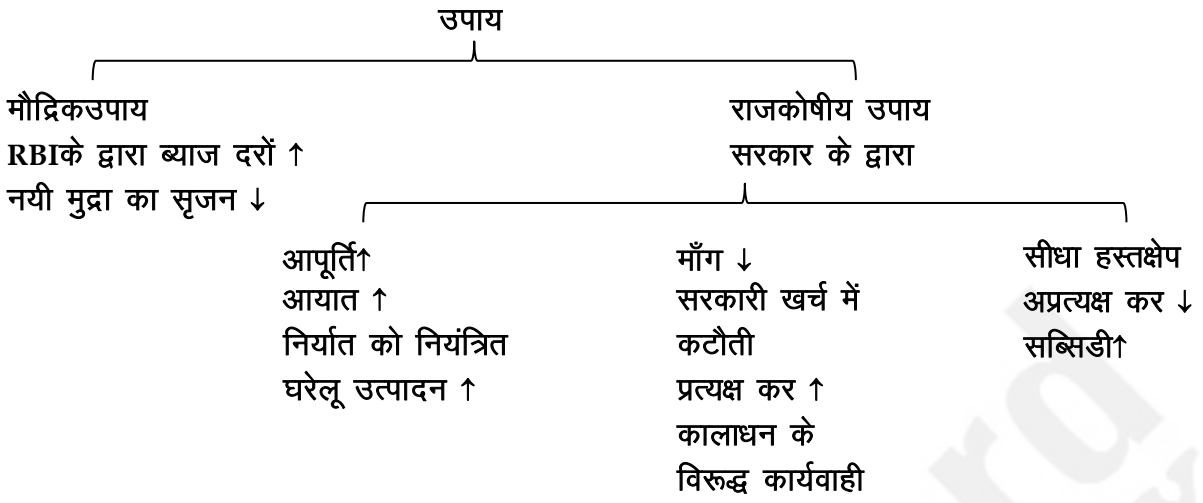


### तरलता का नियंत्रण (Controlling Liquidity)

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा बाजार में तरलता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए तरलता को कम किया जाता है तथा मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए तरलता को बढ़ाया जाता है। इसके लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है।
- इसके लिए दो प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जाता है।
  1. मात्रात्मक उपाय 2. गुणात्मक उपाय

| मात्राात्मक उपाय | गुणात्मक उपाय |
|---|---|
| 1. CRR (Cash Reserve Ratio)<br>नकद आरक्षित अनुपात | 1. Margin Requirement<br>मार्जिन आवश्यकता |
| 2. SLR (Statutory Liquidity Ratio)<br>सांविधिक तरलता अनुपात | 2. Consumer Credit Regulation<br>उपभोक्ता साख नियमन |
| 3. Bank Rate बैंक दर | 3. Credit Rationing क्रेडिट राशनिंग |
| 4. Repo Rate रेपो दर | 4. Moral Suasion नैतिक दबाव |
| 5. Reverse Repo Rate रिवर्स रेपो रेट | 5. Direct Action सीधी कार्यवाही |
| 6. MSF – Marginal Standing Facility<br>सीमान्त स्थायी सुविधा | |
| 7. SDF – Standing Deposit Facility<br>स्थायी जमा सुविधा | |
| 8. Open Market Operation<br>खुले बाजार का प्रचालन | |
| 9. LTRO – Long term Repo Operation | |

## मात्रात्मक उपाय

**A. BANK RATE**: - वह दर जिस पर RBI बैंको को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है।

- इसे दण्डात्मक दर (Penal Rate) भी कहा जाता है।

- यदि कोई बैंक CRR व SLR का पालन नहीं करता है तब उस बैंक पर दण्डात्मक दर लगायी जाती है।

### B. CASH RESERVE RATIO (नकद आरक्षित अनुपात)

- सभी बैंको को अपनी शुद्ध जमाओं, शुद्ध देयताओं का कुछ प्रतिशत राशि नकद के रूप में RBI के पास नकद में रखना होता है।
- जिस पर RBI कोई ब्याज नहीं चुकाता है।
- यह आपातकालीन स्थिति के लिए होता है।

### C. STATUTORY LIQUIDITY RATIO (वैधानिक तरलता अनुपात)

- बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं का कुछ प्रतिशत तरल परिसम्पतियों में रखना होता है।
  SLR = 18%
  Ex – Gold, Cash, Govt. Securities
- इस पर बैंकों को ब्याज मिलता है।

### D. Liquidity Adjustment Facility (LAF) तरलता समायोजन सुविधा

- इसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया।
- इसके तहत Repo Market को विकसित किया गया।

### E. Repo Rate

- वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसे Repo Rate कहते है।
- बैंक RBI के पास सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखती है परन्तु SLR की Govt. Securities का प्रयोग नही किया जा सकता है।
- यह सबसे महत्वपूर्ण दर है इसे नीतिगत दर/बेंचमार्क दर भी कहते है।

### F. Reverse Repo Rate

- वह दर जिस पर बैंक अपने धन को RBI के पास अल्पकाल के लिए जमा करवाते है।
- यह ब्याज दर RBI के द्वारा बैंको को दी जाती है।
- यह दर Repo Rate से कम होती है।

### G. Marginal Standing Facility (सीमांत स्थायी सुविधा) MSF

- इसे 2011 में शुरू किया गया।
- इसके तहत RBI बैंको को 1 दिन के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है तथा ब्याज दर को MSF कहा जाता है।
- इसके तहत SLR की सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जा सकता है।
- इसे भी दण्डात्मक दर (Penal Rate) कहा जाता है।

### H. Open Market Operation (खुले बाजार की प्रक्रिया)

- इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है यदि RBI मुद्रास्फीति को कम करना चाहता है तब सरकारी प्रतिभूतियां की बिक्री की जाती है, यदि RBI मुद्रास्फीति को बढ़ाना चाहता है तब सरकारी प्रतिभूतियाँ की खरीद की जाती है।
- यदि RBI मुद्रास्फीति को कम करना चाहता है तब बैंक रेट, रेपो रेट, MSF आदि को बढ़ाया जा सकता है।
- यदि मुद्रास्फीति को बढ़ाना है तब बैंक रेट, रेपो रेट, MSF आदि को कम किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए Reverse Repo Rate और SDF को बढ़ाया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को बढाने करने के लिए Reverse Repo Rate और SDF को कम किया जा सकता है।
- बैंक रेट और MSF रेपो रेट से 0.25% अधिक होती है तथा SDF,रेपो रेट से 0.25% कम होता है।
- Reverse Repo Rate का वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा रहा परन्तु इसे पूर्ण रूप से बन्द भी नहीं किया गया।

| Control | Repo Rate | CRR | SLR | MSF | Open market operation | Bank Rate | Reverse Repo Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महंगाई Inflation | Increase | Increase | Increase | Increase | Sell Govt. Sec | Increase | Increase |
| अपस्फीति Deflation | Decrease | Decrease | Decrease | Decrease | Purchase Govt. Sec | Decrease | Decrease |

**I. LTRO (Long term repo operation)**

- इसकी शुरूआत वर्ष 2020 में की गयी है।
- यह तरलता नियंत्रण (Liquidity Controlling) का एक अतिरिक्त उपाय है।
- इसके तहत बैंको को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए जिन पर ब्याज दर Repo Rate के बराबर रखी गयी।

**J. SDF (Standing Deposit Facility)**

- वह ब्याज दर जिस पर Bank के द्वारा RBI को अल्पकालिन ऋण प्रदान किया जाता है।
- ये Reverse Repo Rate से भिन्न है क्योंकि RBI को किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।
- इस व्यवस्था की शुरूआत- April 2022 में की गई।

## गुणात्मक उपाय (Qualitative Measures)

A. **Margin Requirement (मार्जिन आवश्यकता)**- इसका अर्थ है जिस वस्तु को गिरवी रखा गया है उसके अनुपात में कितना ऋण दिया जा सकता है। जैसे- एक करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति गिरवी रखी जाती है तथा मार्जिन आवश्यकता 20% है तब 80 लाख रुपये का ऋण दिया जा सकता है।

- महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है।
- मंदी के समय मार्जिन आवश्यकता को कम कर दिया जाता है।

**B. Consumer Credit Regulation (उपभोक्ता साख नियमन)**

- इसके तहत Down Payment के साथ ऋण की शर्तों में बदलाव किया जाता है।
- यदि महंगाई की स्थिति है - ऋण की शर्तें कठोर तथा Down Payment को बढ़ाया जाता है।
- यदि मंदी की स्थिति है-ऋण की शर्तें आसान तथा Down Payment को कम कर दिया जाता है।

**C. Credit Rationing (क्रेडिट राशनिंग)**

- इसके तहत ऋणों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। यदि महंगाई की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण कम दिए जाते है जबकि निवेशकों को अधिक ऋण दिए जाते है।
- यदि मंदी की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण अधिक दिए जाते है।

**D. Moral Suasion (नैतिक दबाव )**

- RBI के द्वारा बैंको पर नैतिक दबाव बनाया जाता है।
- महंगाई के दौरान कम ऋण देने के लिए।
- मंदी के दौरान अधिक ऋण देने के लिए।

**E. Direct Action (सीधी कार्यवाही)**

- इसके तहत RBI के द्वारा बैंकों के विरूद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है।

**उर्जित पटेल समिति 2013 –** मौद्रिक नीति में सुधार के लिए गठित

**प्रमुख सिफारिशे :-**

1. मौद्रिक नीति का एक मात्र लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होना चाहिए।
2. मुद्रास्फीति की दर 4% $\pm$ 2% होनी चाहिए।
3. मुद्रास्फीति के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. मौद्रिक नीति का निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए।
5. मौद्रिक नीति की समीक्षा दो माह में एक बार की जानी चाहिए।
6. महंगाई नियंत्रण में सरकार द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए।

- इन सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया।

## मौद्रिक नीति समिति

- उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के बाद 2016 में RBI Act में संशोधन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। इसमें कुल 6 सदस्य होते है। (RBI-3, Govt-3)
  अध्यक्ष -RBI गवर्नर
  कार्यकाल - 3 वर्ष
  निर्णय - मतदान से
- यदि पक्ष और विपक्ष को बराबर मत मिलते है तब RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत देने की शक्ति होती है जिसका अर्थ है कि RBI गवर्नर एक अतिरिक्त मत डालेगा।
  ( RBI गवर्नर के पास वीटों की शक्ति नहीं होती है।)
- यदि मौद्रिक नीति समिति लगातार 9 महीने तक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तब उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें मुद्रास्फीति के कारणों, समिति के प्रयासों तथा असफलता की समीक्षा की जाती है।
- यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी जाती है।

## DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTION (DFI)

- यह किसी विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित किये जाते है।

## भारत के प्रमुख DFI

### I. INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

- स्थापना - 1948
- भारत का पहला DFI
- भारत सरकार का उपक्रम

### II. INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA (ICICI)

- स्थापना -1955
- भारत का दूसरा DFI
- 2002 में ICICI को पूर्ण रूप से बैंक में परिवर्तित कर दिया गया।

## III. INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA LTD (IDBI)

- स्थापना - 1964
- प्रारंभ में इसका स्वामित्व RBI के अधीन था।
- 1976 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को हस्तान्तरित किया गया।
- 2004 में इसे बैंक बना दिया गया।
- 2018 में LIC ने इसके शेयर भारत सरकार से खरीद लिये।

## पुनर्वित संस्था-

### EXIM BANK-(EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA)(भारतीय निर्यात-आयात बैंक)

- स्थापना- 1982
- HQ मुख्यालय-मुंबई
- कार्य-आयातकों व निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

## NABARD(National Bank for Agriculture and Rural Development)

- स्थापना -1982 (शिवरमन समिति की सिफारिश पर)
- मुख्यालय-मुंबई
- कार्य - सहकारी और RRB बैंक को पुनर्वित की सुविधा उपलब्ध करवाता है।
- प्रारंभ में इसका स्वामित्व भारत सरकार और RBI के पास था।
- 2018 में स्वामित्व पूर्णरूप से भारत सरकार के अधीन आ गया।
- 1995 में इसके अधीन RIDF की स्थापना की गयी। यदि कोई बैंक PSL के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तब शेष राशि RIDF में जमा करवायी जा सकती है।

## NATIONAL HOUSING BANK(राष्ट्रीय आवास बैंक)

- स्थापना -1988
- मुख्यालय - नई दिल्ली
- प्रारंभ में 100% RBI के स्वामित्व में था। लेकिन भारत सरकार ने इसे 2019 में खरीदा था।
- आवास क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित सुविधा उपलब्ध करवाता है।
- मूल्य निगरानी के लिए रेजीडेक्स (RESIDEX) इंडेक्स जारी करता है।
- Urban Infrastructure Development Fund (UIDF), NHB द्वारा संचालित की जाएगी।

**SIDBI** – SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)

- स्थापना -1990
- HQ – लखनऊ
- प्रारंभ में IDBI के अधीन था।
- वर्तमान में भारत सरकार SBI, LIC, IDBI etc इसके मालिक है।
- लघु उद्योगों के विकास के लिए पुनर्वित सुविधा प्रदान करता है।
- SEDF – (Small Enterprices Development Fund) इसके अधीन कार्य करती है।
- Index – CRISIDEX

### MUDRA BANK(Micro Unit Development and Refinance Agency)

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्थापित किया गया।
- स्थापना -2015
- यह एक पुनर्वित संस्था है।
- मुद्रा बैंक SIDBI के अधीन कार्य करती है।
- यह सूक्ष्म इकाईयों को ऋण उपलब्ध करवाता है।
  Ex- सड़क विक्रेता ठेले वाले
- यह कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है।
- 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवायें जाते है।
  I. शिशु -50 हजार तक
  II. किशोर -50 हजार से 5 लाख
  III. तरूण -5 लाख से 10 लाख

## NBFC – (Non-Banking Finance Companies)

- ऐसी कंपनियाँ जिनके पास बैंक का लाइसेन्स नहीं होता है, परन्तु वह वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती है, NBFC कहलाती है।
- इनकी स्थापना - कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है।
  Ex. – Insurance, Pension, Housing Sector, ऋण प्रदान करना आदि।
- इसका नियमन अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है।
  Ex.- Insurance – IRDAI
  (Insurance Regulatory and Development Authority of India)
- Pension – PFRDA (Pension fund Regulatory and Development Authority)
- Housing - NHB
- Credit – RBI
- भारत में लगभग 10,000 NBFC है। कुछ NBFC जमाएँ स्वीकार कर सकते है।
- ये सिर्फ अवधि जमाएँ (Time Deposit) स्वीकार कर सकते है। मांग जमाएँ (Demand Deposit) स्वीकार नहीं कर सकते।
- किसी प्रकार का कार्ड जारी नहीं कर सकते।
- CRR का पालन नहीं करना होता परन्तु SLR का पालन करना होता है।
- बेसल मानको की पालना
- यह Cheque Book जारी नहीं कर सकते है।
- इन जमाओं को DICGC सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

### DICGC(Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation)

- स्थापना -1978
- इसका पूर्ण स्वामित्व RBI के पास है।
- बैंक की जमाओं पर बीमा उपलब्ध करवाता है।
- यह 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाता है।

## वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

- स्थापना -2010
- अध्यक्ष - केन्द्रीय वित्त मंत्री
- सदस्य - RBI का गर्वनर
  SEBI का अध्यक्ष
  IRDAI का अध्यक्ष
  PFRDA का अध्यक्ष
  वित सचिव
  कॉर्पोरेट मंत्रालय का सचिव
  Insolvency and Bankrupty Board of India का अध्यक्ष

## FINANCIAL INCLUSION (वित्तीय समावेशन)

- एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी को गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय उत्पाद वहनीय दरों पर उपलब्ध करवाये जाते है।
  वित्तीय उत्पाद जैसे-
  - बैंक में खाता खोलना।
  - बैंक से ऋण प्राप्त।
  - बैंक की अन्य सेवायें प्राप्त करना।
  - वित्तीय साक्षरता।
  - बीमा सेवाएँ
  - पेंशन सेवाएँ
  - निवेश के विकल्प
  - डिजीटल भुगतान
  - वित्तीय आधारभूत ढ़ांचा

## वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index)

- शुरूआत में 2021
- RBI के द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई में जारी किया जाता है।
- इसके माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन मापा जाता है।
- इसके 3 कारक है-
  I. Access (पहुँच) - 35%
  II. Usage (उपयोगिता) -45%
  III. Quality (गुणवत्ता)-20%
- इसकी गणना के लिए 97 संकेतों का प्रयोग किया जाता है।
- यह सूचकांक 0 to 100 के बीच होता है।
- 0 का अर्थ है-कोई भी वित्तीय समावेशन न होना।
- 100 का अर्थ है - पूर्ण वित्तीय समावेशन

इसका कोई आधार वर्ष नहीं है।

# राजकोषीय नीति

- सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है।
- इसे बजट के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है यह एक प्रचलित शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ 'चमड़े का बेग' होता है।
- संविधान में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अनु. 112 शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि प्रत्येक वर्ष संसद (लोकसभा) में प्रस्तुत किया जाता है।
- भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवम्बर 1947 में R.K. षण्मुखम् शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- बजट फरवरी के पहले कार्यदिवस को प्रस्तुत किया जाता है।
- 2017 से पहले ये फरवरी के अन्तिम कार्यदिवस को प्रस्तुत किया जाता था।
- 2017 के बजट में दो अन्य परिवर्तन भी किये गये–

  (i)रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया यह विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर किया गया। (वर्तमान में में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकारी परिषद के अध्यक्ष)

  (ii) योजनागत और गैर–योजनागत व्यय के भेद को समाप्त कर दिया गया।
- योजनागत व्यय वह व्यय है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) अंतिम पंचवर्षीय योजना थी।
- बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है 1999 से पहले में शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था।
- जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तब सर्वप्रथम बजट वित्तमंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।

  इस भाषण के दो भाग होते हैं।

  Part A – अर्थव्यवस्था से जुड़ी सामान्य घोषणाएँ

  Part B – कर संबंधी परिवर्तन।

  संसद में वित्तमंत्री के द्वारा तीन दस्तावेज रखे जाते हैं।

  (i) वार्षिक वित्तीय विवरण – इसमें प्राप्तियाँ और व्यय की जानकारी होती है।

  (ii) वित्त विधयेक – यह कर संबंधी परिवर्तनों के लिए लाया जाता है।

  (iii) विनियोग विधेयक – संचित निधि में से खर्च की अनुमति के लिए।

- बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले संसद में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। यह आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार की जाती है।
- वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनन्त नागेश्वरन् है। बजट से संबंधित सभी दस्तावेज आर्थिक मामलात के विभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं।

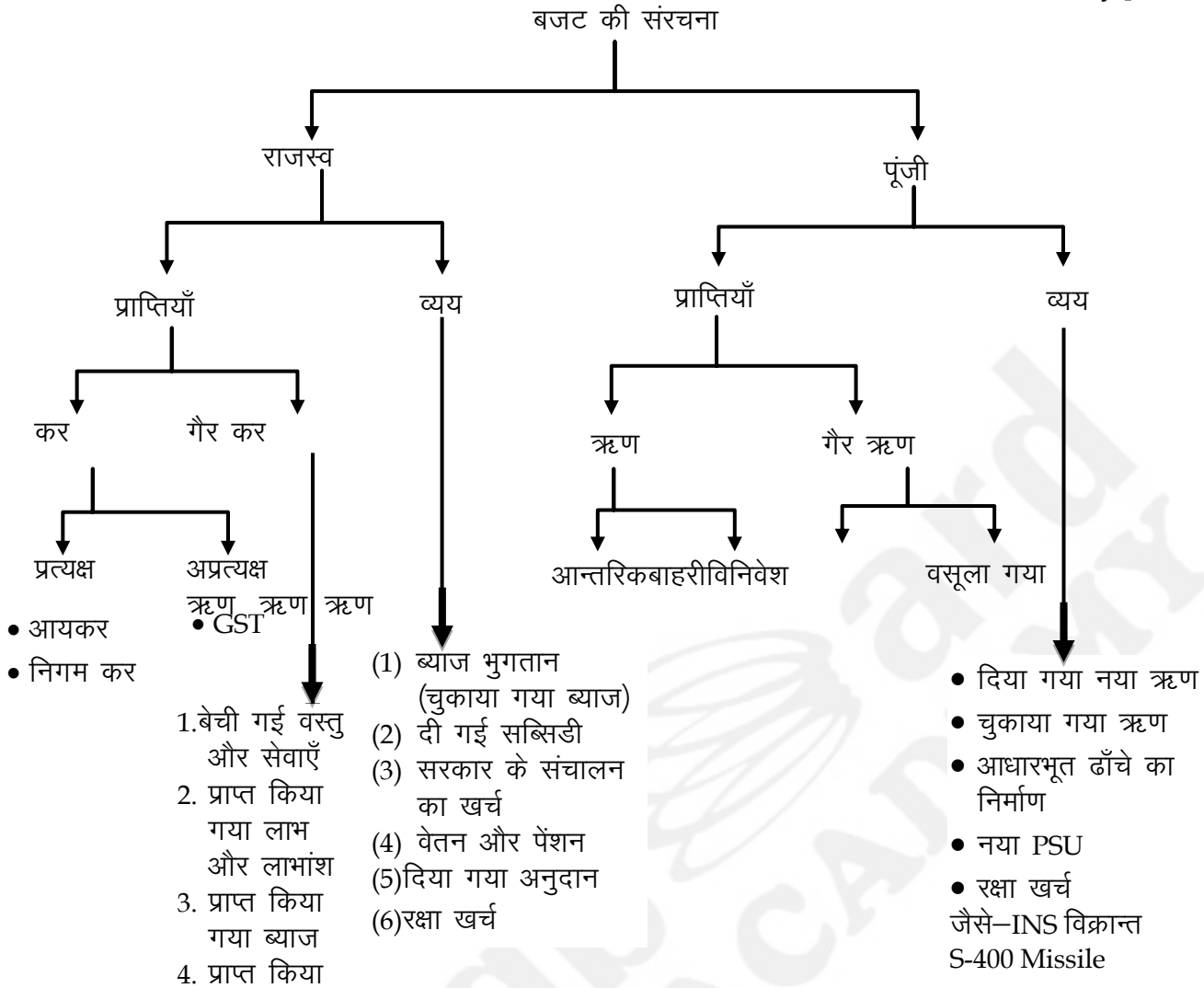


- **पूंजीगत व्यय–** वह व्यय जिससे या तो परिसम्पतियाँ बढ़ती है या देयताएं कम होती है।
- **पूंजीगत प्राप्तियां**– वह प्राप्तियां जिससे या तो परिसम्पतियाँ कम होती है या देयताएं बढ़ती है।
- **राजस्व व्यय–**वह व्यय जिससे ना तो परिसम्पतियाँ बढ़ती है ना ही देयताएँ कम होती है यह उपभोग का व्यय होता है।
- **राजस्व प्राप्तियां–**वो प्राप्तियां जिससे ना तो परिसम्पतियाँ कम होती है और ना ही देयताएँ बढ़ती है।
- पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है जबकि राजस्व व्यय को अच्छा नहीं माना जाता।

**बजट के घाटेः–**

(1) **राजस्व घाटा** – राजस्व के व्यय और प्राप्तियां का अन्तर। राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियां

(2) **प्रभावी राजस्व घाटा–** प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा परिसम्पति निर्माण के लिए – दिये गये अनुदान

(3) **राजकोषीय घाटा/राजवित्तीय घाटाः**– एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं अर्थात् एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। गणितीय रूप में –

- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – राजस्व प्राप्तियां – गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ

या

- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय –[राजस्व प्राप्तियां + ऋणों की वसूली + विनिवेश से प्राप्तियां]
- यह बजट का सबसे महत्वपूर्ण घाटा है इसका प्रयोग 1997 से किया जा रहा है।
- इसकी सिफारिश सुखमोय चक्रवर्ती समिति के द्वारा की गई थी।
- इससे पहले बजट घाटे का प्रयोग किया जाता था।

बजट घाटा = कुल व्यय–कुल प्राप्तियां

- बजट घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा RBI को तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी किये जाते थे तथा RBI के द्वारा नये मुद्रा नोटों का सृजन कर लिया जाता था इस प्रक्रिया को घाटे का मौद्रीकरण कहा जाता है।
- वर्तमान में बजट घाटा शून्य होता है।

**(4) प्राथमिक घाटा :–**

- प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
- यह इस बात का संकेतक है कि राजकोषीय घाटे का कितना भाग पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान में प्रयोग लिया जा रहा है।
- कुछ मात्रा में राजकोषीय घाटा होना चाहिए परन्तु इसका प्रयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जाना चाहिए।
- राजकोषीय घाटे की अधिकता अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है।

- घाटे का वित्तीयन – घाटे की पूर्ति के लिए तीन प्रकार अपनाये जाते हैं।

1. ऋण
2. कर में वृद्धि
3. घाटे को मौद्रिकरण

सरकार के द्वारा जानबूझकर कुछ राजकोषीय घाटा रखा जाता है। जिसमें कि पूँजीगत खर्चों को किया जा सके।

यह अवधारणा एक अर्थशास्त्री जे. एम. कीन्स के द्वारा दी गई। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को ये सलाह दी कि उन्हें ऋण लकेर पूँजीगत खर्चे करने चाहिए, इससे मंदी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

**अधिक राजकोषीय घाटे के नकारात्मक प्रभाव :**

1. ऋणभार भविष्य की पीढ़ी पर हस्तान्तरित हो जाता है।
2. देश की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी जाती है। जिसके कारण भविष्य में ऋण का प्रबंधन कठिन हो जाता है।
3. देश ऋण जाल में फंस सकता है। ऋण जाल, जब पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नये ऋण लिये जाते हैं, तब इसे ऋण जाल कहा जाता है।
4. इससे देश में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।
5. घाटे की पूर्ति के लिए यदि ऋण देश के अन्दर से ही लिया जाता है तब निजी क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता कम हो जाती है। इससे निवेश व माँग प्रभावित होती है। इस प्रभाव को Crowding Out Effect कहा जाता है।
6. यदि विदेशी ऋण अधिक है तब ऋण को चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा भण्डार कम हो जाता है।
7. विदेशी ऋण के कारण देश की संप्रभुत्ता प्रभावित होती है।
8. यदि घाटे को मौद्रिकरण किया जाता है तब देश में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।
9. यदि सरकार के द्वारा कर बढ़ाये जाते हैं तब इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। (अप्रत्यक्ष कर) अथवा निवेश प्रभावित हो सकता है। (प्रत्यक्ष कर बढ़ाने से)

10. राजकोषीय घाटे को निसयंत्रित करने के लिए पूँजीगत खर्चो को कम कर दिया जाता है जिसके कारण आधारभूत ढाँचे का निर्माण प्रभावित होता है।

**राजकोषीय समेकन** –राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए राजस्व के अधिकतमीकरण, व्यय के व्युक्तिकरण तथा ऋण के प्रभावी प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को राजकोषीय समेकन कहा जाता है।

**राजस्व का अधिकतमीकरण :**

1. कर प्राप्तियों को बढ़ाया जना चाहिए।
2. कर सुधार लागू किए जाने चाहिए।
3. कर आधार को बढ़ाया जाना चाहिए।
4. कालेधन के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।
5. कर मामलों में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए।
6. गैर कर प्राप्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए। जैसे- बेची गई वस्तु और सेवाओं का उचित मूल्य वसूला जाना चाहिए।
7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के (PSU) लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
8. सरकारी परिसम्पत्तियों का विनिवेश किया जाना चाहिए।
9. सरकारी परिसम्पत्तियों को किराये पर दिया जा सकता है। हाल ही में सरकार के द्वारा इसके लिए राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन की शुरूआत की गई है।

**व्यय का युक्तिकरण :**सब्सिडी से संबंधित सुधार लागू किये जाने चाहिए।

1. सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण किया जाना चाहिए अर्थात् जिसे वास्तविक रूप में आवष्यकता है उसे ही सब्सिडी दी जाती है।
2. प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण को अपनाया चाहिए।
3. भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए।
4. सब्सिडी के रूप में बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

सरकार के संचालन के खर्च को कम किया जाना चाहिए। वेतन और पेंशन का युक्तिकरण किया जाना चाहिए।

| | **नई पेंशन व्यवस्था** | **पुरानी पेंशन व्यवस्था** |
|---|---|---|
| 1. | इसे 2004 के बाद अपनाया गया। | इसे 2004 के पहले अपनाया गया। |
| 2. | यह निर्धारित योगदान योजना है। | यह निर्धारित लाभ योजना है। |
| 3. | प्रत्येक माह कर्मचारी को अपने वेतन का 10% एक फण्ड में जमा करवाना होता है, सरकार के द्वारा 14% इस फण्ड में जमा करवाया जाता है, इस धन को प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। | सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को मंहगाई भत्ते सहित बेसिक वेतन का आधा भाग पेंशन के रूप में मिलता है। |
| 4. | जब कर्मचारी सेवानिवृत होगा तब फण्ड का 60% कर्मचारी को दे दिया जाएगा, शेष 40% इस तरह से निवेश किया जाएगा कि कर्मचारी को मासिक पेंशन दी जा सके। | |

पूँजीगत खर्चो के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

**ऋण का प्रभावी प्रबंधन –**

(i) सरकार के आन्तरिक और बाहरी ऋणों का प्रबंधन करने के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।

(ii) सरकारी बॉण्ड की क्रेडिट रेटिंग को सुधारा जाना चाहिए।

(iii) सरकारी बॉण्ड के बाजार को विकसित किया जाना चाहिए। (2021 में RBI के द्वारा RBI Retail Direct) नामक प्लेटफार्म शुरू किया गया।

**FRBM कानून (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2003):–**

**उद्देश्य :**

1. राजकोषीय नीति में पारदर्शिता अपनाना।
2. राजाकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में बेहतर समन्वय स्थापित करना।
3. राजकोषीय समेकन को प्राप्त करना।
4. राजकोषीय नीति की विश्वसनीयता कसे बढ़ाना।

**इस कानून में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं–**

- राजकोषीय घाटा –3%of GDP
- राजस्व घाटा–0%of GDP
- यह लक्ष्य 2008–09 तक प्राप्त करना था।
- 2006 के बाद घाटे का मौद्रीकरण नहीं किया जायेगा।
- इस कानून के तहत संसद में तीन दस्तावेज प्रस्तुत कियेजाते हैं–
  (i) मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति विवरण
  (ii)राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य
  (iii)वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण

➢ इस कानून के लक्ष्य को समय पर प्राप्त नहींकिया जा सका इसलिए इसमें बार–बार परिवर्तन किये गये।

➢ 2012 में राजस्व घाटे के स्थान पर प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया।

| | **Revised Estimates 2022-23** | **Budget Estimate2023-24** |
|---|---|---|
| 1. Fiscal Deficit | 6.4 | 5.9 |
| 2. Revenue Deficit | 4.1 | 2.9 |
| 3. Primary Deficit | 3.0 | 2.3 |
| 4. Tax Revenue (Gross) | 11.1 | 11.1 |
| 5. Non-tax Revenue | 1.0 | 1.0 |
| 6. Control Government Debt | 57.0 | 57.2 |

**FRBMसमीक्षा समिति:–**गठन 2016, अध्यक्षता –N. K. Singh

**सिफारिशें** :लक्ष्य - राजकोषीय घाटा = 2.5%

राजकोषीय घाटा = 0.8%

यह लक्ष्य 2023 तक प्राप्त किया जाना चाहिए।

इस लक्ष्य में 0.5% का विचलन स्वीकार्य है।

इसे एस्केप क्लोज कहा गया है, इसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितयों में किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय आपदा
2. युद्ध
3. कृषि को भारी नुकसान
4. अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार

2. एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद् बनायी जानी चाहिए।
3. ऋण और GDP का अनुपात 60% होना चाहिए।
4. केन्द्र सरकार का ऋण 40% तथा राज्य सरकार का ऋण 20% होना चाहिए।

5. कोरोना संकट के कारण भारत का राजकोषीय घाटा 9 प्रतिशत से भी अधिक हो गया, वर्तमान में इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

| राजकोषीय घाटा | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|
| Fiscal Deficit | 6.4 | 5.9 |

2025-26 के लिए 4.5% है।

**बजट सुधारः–**

(1) **जीरो बेस बजट (Zero base Budget):-** पारम्परिक बजट में सिर्फ नये खर्चों की ही समीक्षा की जाती है पुराने खर्चोंकी समीक्षानहीं की जाती है परन्तु जीरो बेस बजट में नये और पुराने सभी खर्चों की समीक्षा की जाती है। अनावश्यक खर्चों को दूर कर दिया जाता है इसे राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने में मदद मिलती है।

- पहली बार 1986 में विज्ञान, और तकनीक विभाग द्वारा इसे अपनाया गया।
- इसकी मुख्य चुनौती है कि इसमें समय अधिक लगता है इसीलिए इसे आंशिक रूप से ही अपनाया गया।

(2) **आउटकम बजट**(Outcome Budget) :- इसे 2005 में अपनाया।

- इसमें प्रत्येक खर्च के समक्ष कर दिया जाता है। एक लक्ष्य निर्धारित– इसमें खर्च हेतु लक्ष्य निर्धारित
- खर्च की समीक्षा उस लक्ष्य के आधार पर की जाती है।

(3) **Gender Budget:**-शुरूआत – 2005

- इसमें महिलाओं के लिए किये गये व्यय को अलग से दर्शाया जाता है।
- इसके दो भाग होते हैं–

Part A– इसमें उन योजनाओं को रखा जाता है जहाँ 100% आवंटन महिलाओं के लिए किया गया है।

Part B– इसमें उन योजनाओं को रखा जाता है जहाँ 30% से अधिक आवंटन महिलाओं के लिए है।

Note– चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट, अंतरिम बजट कहलाता है।

**कर (TAX) :–**यह सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु या सेवा नहीं देती है ये सरकार के राजस्व का मुख्य स्त्रोत है।

- कर दो प्रकार के होते है।

| प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष |
|---|---|
| ▪ ये सामान्यतः व्यक्ति या संस्थाया लाभ पर लगाया जाता है।<br>▪ इसमें कर भार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।<br>▪ इसमें करापात और कराघात एक ही बिन्दू पर होते है अर्थात् जिस पर कर लगाया जाता है, उस पर इसका असर होता है।<br>EX – Income Tax, निगम कर | ▪ ये सामान्यतः वस्तु औरसेवा पर लगाया जाता है।<br>▪ इसमें कर भार को हस्तांतरित किया जा सकता है।<br>▪ इसमें करापात और कराघात, अलग–2 बिन्दुओं पर होते हैं।<br>EX – GST |

**कर के ऊपर कर :–** सरकार कर के उपर भी कर लगा सकती है ये दो प्रकार का होता है–

(1) **उपकर (Cess)–** यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है इस से प्राप्त राजस्व का प्रयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
जैसे–Health cess, Education cess, Road cess

(2) **अधिभार (Surcharge) :–**इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है इस से प्राप्त राजस्व का प्रयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है।

उपकर और अधिभार कीप्रकृति अस्थायी होती है।

इन से प्राप्त राजस्व को राज्य सरकार के साथ साझा नहीं किया जाता है। (वित आयोग की सिफारिश पर)

**केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष कर :–**

- आयकर
- निगमकर
- मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) – 15%
- कैपिटल गेन्स टैक्स
- सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स
- कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स
- लाभांश वितरण कर (2020 में समाप्त)
- वेल्थ टैक्स (2015 में समाप्त)
- फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (2009 में समाप्त)
- बैंकिंग नकद लेनदेन कर (2005–09 के बीच समाप्त)
- उपहार कर (1998 समाप्त)

**आयकर (Income Tax) :** यह कर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है।सकल आय (Gross Income) :एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय।

कर योग्य आय = सकल आय – छूट

कृषि आय
आवासीय ऋण
जीवनबीमा
शिक्षा ऋण
बचत योजना

- जैसे – जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती है इसीलिए आयकर को प्रगतिशील कर कहा जाता है।
- इससे आय की असमानता कम होती है।
- 2020 में नई कर प्रणाली की घोषणा की गई जो लोग छूट का फायदा नहीं लेना चाहते हैं वे नई कर प्रणाली का प्रयोग कर सकते है तथा जो छूट का लाभ लेना चाहते हैं वे पुरानी कर प्रणाली में बने रह सकते है।

| **नई कर प्रणाली** | **पुरानी कर प्रणाली** |
|---|---|
| 0-3 lakh → Nil<br>3-6 lakh →5%<br>6-9 lakh → 10%<br>9-12 lakh →15%<br>12-15 lakh→ 20%<br>15 lakh→30% | 0-2.5 lakh→ Nil<br>2.5-5 lakh → 5%<br>5-10 lakh→ 20%<br>10 lakh→30% |

(2) **निगम कर (Corporate tax):–** यह कर व्यवसायिक संस्थाओंके लाभ पर लगाया जाता है।कर योग्य लाभ = सकल लाभ –छूट

- यह छूट निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है परन्तु इसके कारण विभिन्न विवाद उत्पन्न हुए अतः सरकार ने 2019 में एक नई कर प्रणाली की घोषणा की जिसके तहत यदि कोई कम्पनी छूट का प्रयोग नहीं करती है तब उस पर 22% कर लगाया जायेगा अन्यथा 25%, 30% कर लगाया जाता है।

- यदि विनिर्माण क्षेत्र में 2019– 2024 के बीच कोई नई कंपनी स्थापित की जाती है तब उस पर 15% कर लगाया जायेगा।

(3) **मिनिमम अल्टरनेट टैक्स/न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT):–** कुछ कम्पनियाँ छूट का अत्यधिक प्रयोग करती है जिसके कारण कर योग्य लाभ शून्य हो जाता है ऐसी कम्पनियों पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाता है।

(4) **पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains tax):–** जब किसी परिसम्पति को बेचा जाता है तब हुए लाभ पर यह कर लगाया जाता है यदि परिसम्पति को 3 वर्ष से पहले बेचा गया है तब अल्पकालिक पूंजीगत कर लगाया जाता है यदि परिसम्पति को 3 वर्ष बाद बेचा गया है तब दीर्घकालिक पूंजीगत कर लगाया जाता है।

- शेयर बाजार के लिए यह समय सीमा एक वर्ष है।
- इस टैक्स के लिए TDS (Tax deducted Source)प्रणाली का प्रयोग किया जाता है अर्थात खरीददार के द्वारा यह कर जमा करवाया जाता है।
- वोडाफोन का कर विवाद पूंजीगत लाभ कर से जुड़ा हुआ इसमें निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया गया–

**(i)कर अपवंचन –** जब कर कानूनों का उल्लंघन करते हुए कर नहीं चुकाया जाता है।

**(ii)कर परिहार–** जब कर कानूनों की कमियों का फायदा उठाते हुए कर नहीं चुकाया जाता है।

**भूतलक्षी कराधान :–** जब भूतकाल के लेन–देन पर कर लगाया जाता है 2012 में जोड़ा गया तथा 2021 में इसे हटाया गया।

**अप्रत्यक्ष कर**

केन्द्र सरकार — राज्य सरकार

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :– यह वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है वर्तमान में इसे GST में शामिल कर लिया गया।

पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर

- कच्चा तेल
- प्राकृतिक गैस
- पेट्रोल
- डीजल
- वायुयान का ईंधन

- तम्बाकू उत्पादों पर GST के साथ–साथ उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है।
- सीमा शुल्क – यह आयात निर्यात पर लगाया जाता है, Basic Custom Duty को छोड़कर अन्य सभी को GST में शामिल कर लिया गया।
- सेवा कर Service Tax : GST में शामिल कर लिया गया।
- केन्द्रीय बिक्री कर (Central Sales Tax) : एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली बिक्री पर यह कर लगाया जाता था। वर्तमान में GST में शामिल कर लिया गया।

**राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर –**

- Sales Tax – VAT - एक ही राज्य में होने वाली बिक्री पर यह कर लगाया जाता है।
- पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी को GST में शामिल कर लिया गया।

- State Excise Duty (राज्य उत्पाद शुल्क) – मानव उपयोग के एल्कोहल पर यह कर लगाया जाता है इसे पूर्णरूप से GST के बाहर रखा गया है।
- यह राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत है।

**अन्य कर –**

- मनोरंजन कर – GST में शामिल
- Luxury Tax (विलासिता कर) - GST में शामिल
- विज्ञापन कर (Advertisement Tax) - GST में शामिल
- Octroi/Entry Tax (चुंगी/प्रेवश कर) - GST
- Lottery Tax (लॉटरी टेक्स) - GST
- Electricity Duty (विद्युत शुल्क) - GST में शामिल नहीं किया गया।
- ऐसे कर जो कि स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। GST में शामिल नहीं किये गये।

## GST (Goods and Service Tax)

- पृष्ठभूमि – भारत में GST की सिफारिश 2003में विजय केलकर समिति के द्वारा की गई।
- 2006 के बजट में घोषणा की गई कि 2010 तथा GST को लागू कर दिया जायेगा। परन्तु राज्य सरकारों की असहमति के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।
- 2016में GST के लिए संविधन में 101वाँ संविधान संशोधन किया गया।
- संसद के द्वारा 4 कानून पारित किये गये–

A. C-GST Act (Central - GST)
B. IGST Act (Integrated GST)
C. UT GST Act (Union Territory GST)
D. GST Act (Compensation to State)

1 July 2017 से भारत में GST लागू कर दिया गया।

**GST की विशेषताएँ–**

1. यह एक व्यापक कर है क्योंकि अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर लिया गया है।
2. इससे ''एक राष्ट्र एक कर'' के सिद्धान्त को लागू किया गया है अर्थात् भारत एकीकृत बाजार बन चुका है।
3. GST वस्तु व सेवा की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
4. यह एक बहुस्तरीय कर है क्योंकि यह मूल्य संवर्धन के प्रत्येक स्तर पर आरोपित किया जाता है।
5. यह एक मूल्य सवंर्धित कर है, अर्थात् कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है।
6. केन्द्र सरकार के द्वारा CGST लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा SGST लगाया जाता है। यदि वस्तु व सेवा की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है तब IGST केन्द्र सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है।
7. IGST का संग्रहण केन्द्र सरकार करती है अपना हिस्सा रखने के बाद राज्य का हिस्सा उपयोग करने वाले राज्यों को दिया जाता है। इसलिए GST को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है।आयात पर भी IGST लगाया जाता है।
8. CGST और SGST एक ही आधार पर लगाया जाता है इससे Cascading Effect (केस्केडिंग प्रभाव) दूर होता है।
9. मूल्य सवंर्धित कर होने के कारण भी Cascading Effect दूर होता है। इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवस्था को अपनाया गया।
10. सामान्यतः GST की 5 मुख्य दरें हैं।
    0% - दूध, अण्डा, दही, लस्सी

5% - चीनी, पनीर, कॉफी बीज, घरेलू LPG
12% - मक्खन, घी, बादाम
18% - हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पास्ता
28% - छोटी कारे, AC फ्रीज, Luxury Item

11. सामान्य राज्यों के लिए 40 Lacतथा विशेष राज्यों के लिए 20 Lacसे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायिक संस्थानों को GST में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
12. पंजीकरण के बाद एक 15 अंको का GST पहचान नम्बर जारी किया जाता है।
13. GST से जुड़े सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए GST परिषद् का गठन किया गया।

**GST परिषद् –**यह एक संवैधानिक संस्था है इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 279 (A) जोड़ा गया।

**GST परिषद् के कार्य–**

1. कौनसे करों को GST में शामिल किया जाना चाहिए इनका निर्धारण करना।
2. पेट्रोलियम उत्पाद को GST में शामिल करने की तारीख का निर्धारण करना।
3. GST की दरों का निर्धारण करना।
4. वस्तु व सेवाओं पर GST आरोपित करना।
5. GST को लागू करने में आने वाली समस्याओं को दूर करना।
6. आपदा के समय GST दरों का निर्धारण करना।
7. GST से संबंधित विवादों को हल करना।

**GST परिषद् की संरचना**

केन्द्रीय वित्तमंत्री (अध्यक्ष)
केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री
केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि

सभी राज्यों के वित्तमंत्री
विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश
राज्य सरकार के प्रतिनिधि

**निर्णय लेने की प्रक्रिया–**

- निर्णय मतदान के द्वारा लिये जाते हैं केन्द्र सरकार का मतमूल्य 33% है तथा राज्य सरकारों का मतमूल्य 67% है।
- कोई भी निर्णय लेने के लिए 75% मतों की आवश्यकता होती है। अर्थात् न तो अकेले केन्द्र सरकार निर्णय ले सकती है और न ही अकेले राज्य सरकार निर्णय ले सकती है।
- केन्द्र व राज्यों को सहयोग करना होता है जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

**GST मुआवजा –**

- GST को लागू करते समय केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि GST के कारण होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार के द्वारा की जायेगी।
- 5 वर्ष के लिए
- आधार वर्ष –2015-16
- प्रतिवर्ष 14% की वृद्धि
- मुआवजे के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा GST – Compensation cess लगाया गया।
- कोरोना और आर्थिक मंदी के कारण राज्य सरकारों को कुल 2.35 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। परन्तु केन्द्र सरकार कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए तैयार नहीं थी।

- GST परिषद् के माध्यम से इस विवाद को हल किया गया।,
- केन्द्र सरकार ने RBI के माध्यम से एक विशेष ऋण व्यवस्था की।
- राज्य सरकारों को लगभग 1.1 लाख करोड़ के ऋण दिये गये इसे BACK to BACK Loan कहते हैं।

**E-Way Bill –**

- GST के अन्दर E-Way Bill को अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसका प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है।
- इसे मोबाइल एप, वेबसाइट आदि के उत्पादित किया जा सकता है।

## Tax Reforms In India

**महत्वपूर्ण समितियाँ–**

- राजा चेलैया समिति (1991) – कर सुधार
- विजय केलकर समिति (2002)
- पार्थ सारथी सोम समिति (2013) – कर प्रशासन के सुधार के लिए
- जस्टिस आर. वी. ईश्वर पैनल
- अरविन्द मोदी टास्क फोर्स
- प्रत्यक्ष कर संहिता पर अखिलेश रंजन पैनल

## कर सुधार

**उद्देश्य –**

1. कर राजस्व को बढ़ाना।
2. कर आधार को बढ़ाना।
3. कर अनुपालन को आसान बनाना।
4. कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना।
5. कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना।
6. कर प्रणाली में निश्चितता लाना।
7. कर मामलों में भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
8. अत्याधुनिक तकनीक का समावेशन करना।

**महत्वपूर्ण समितियाँ–**

1. राजा चलैया समिति – 1991
2. विजय केलकर समिति – 2002
3. पार्थ सारथी सोम समिति – 2013
4. जस्टिस आर. वी. ईश्वर पैनल – 2015
5. अरविन्द मोदी टरस्कफोर्स – 2017
6. अखिलेश रंजन पैनल – 2018

**हाल ही में किये गये सुधार –**

1. आयकर के लिए नई कर प्रणाली लागू की गई है।
2. निगम कर के लिए नई कर प्रणाली लागू की गई है।

3. विनिर्माण क्षेत्र में यदि कोई नयी कम्पनी स्थापित की जाए तब उस पर निगम कर की दर 15 प्रतिशत होगी।
4. मैट की दरों को कम किया गया है।
5. भुतलक्षी कराधान को समाप्त कर दिया गया है।
6. कर परिहार को रोकने के लिए GAAR लागू किया गया है।
7. लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है।
8. एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है।
9. Income Tax Rturen को ऑनलाईन भरने की व्यवस्था की गई है।
10. कर विवादों की संख्या को कम करने के लिए विवाद विश्वास योजना शुरू की गई है।
    यदि विवाद कर राशि का है तब 100% भुगतान करना होगा। यदि विवाद दण्ड, ब्याज या शुल्क का है तब 25% भुगतान करना होगा। जिसके विवाद को हल मान लिया जाएगा।
11. 2020 में ईमानदार का सम्मान : पारदर्शी कराधान प्लेटफॉर्म शुरू किया गया जिसके तहत तीन प्रकार के कार्य किये गये।
    (i) Faceless Assessment
    (ii) Faceless Appeal
    (iii) Tax Charter जारी किये गये।
    जिसके तहतकर अधिकारी और कर दाता के कर्तप्व्यों और अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

# Poverty (गरीबी)

- **गरीबी की गणना 2 प्रकार से की जाती है।**
  A. सापेक्ष गरीबी
  B. निरपेक्ष गरीबी

  **सापेक्ष गरीबी –** इसके तहत विभिन्न व्यक्तियों की आय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें असमानता को मापा जाता है।

  Ex. A व्यक्ति → 100 Cr. B व्यक्ति → 1 Cr.
  (A की तुलना में B गरीब है)

- सापेक्ष गरीबी में गरीबी आंकलन के मानदण्ड विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के चरण के साथ भिन्न–भिन्न होते हैं।
- विकसित देशों के लिए मानदण्ड अलग है और विकासशील देशों के लिए मानदण्ड अलग है।
- इसके तहत जनता के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण को देखा जाता है। अर्थात् आर्थिक असमानता की गणना की जाती है।
- आय का वितरण के लिए लॉरेन्ज वक्र का प्रयोग किया जाता है।

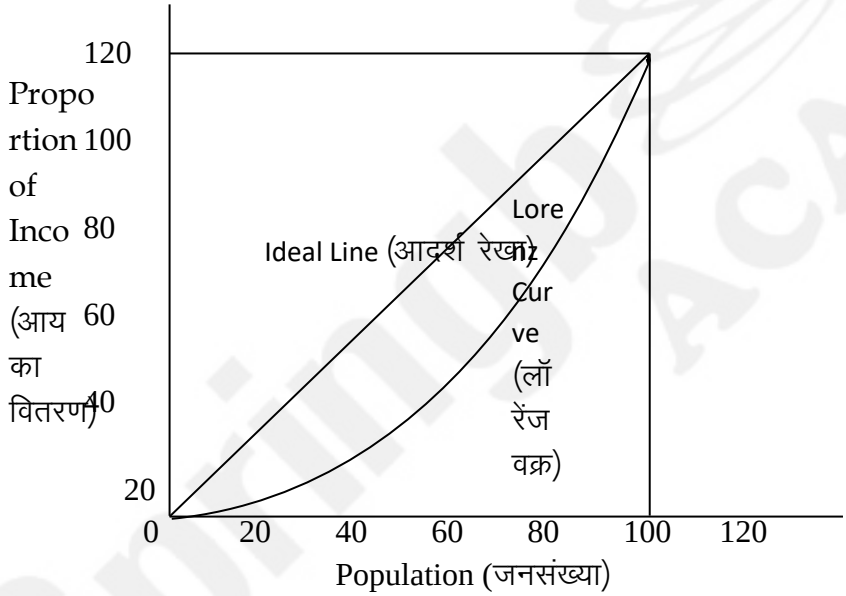


- आदर्श रेखा यह दर्शाती है कि आय का वितरण समान रूप से हुआ है अर्थात् उस देश में कोई असमानता नहीं है।
- वास्तविक रूप से ऐसा कोई देश नहीं होता है।
- लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा के नजदीक या दूर हो सकता है।
- यदि लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा के करीब है तब इसका अर्थ है– उस देश में असमानता कम है।
- लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा से दूर है तब इसका अर्थ है उस देश में असमानता अधिक है।

**गिनी गुणांक–**

- यह लॉरेन्ज वक्र का गणितीय रूप है।
- गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है।
  0– पूर्ण समानता
  1 – पूर्ण असमानता

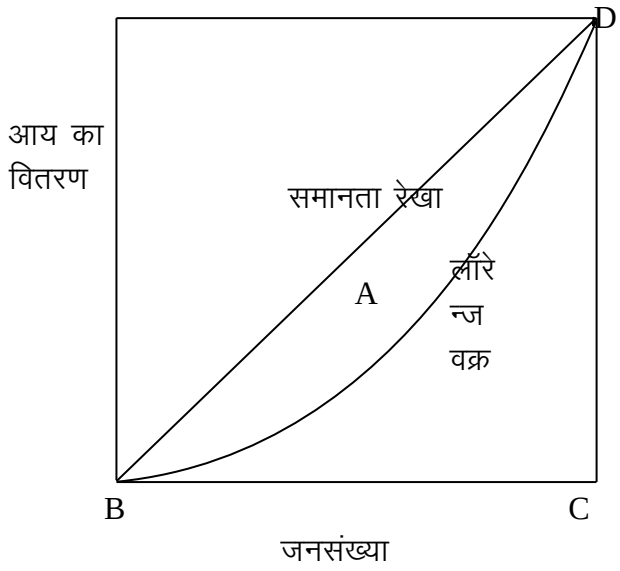


$$\text{Gini Cofficient} = \frac{Shaded\ Area\ A}{Total\ Area\ BCD}$$

- प्रत्येक देश के गिनी गुणांक का मान 0 - 1के बीच होगा यदि यह मान 0के करीब है तब इसका अर्थ है कि उस देश में असमानता कम है।
- यदि यह मान 1 के करीब हो तो इसका अर्थ है उस देश में असमानता अधिक है।

**निरपेक्ष गरीबी–**

- जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकता होती है यदि कोई व्यक्ति इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तब उस व्यक्ति को निरपेक्ष रूप से गरीब माना जाता है।
- बुनियादी आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है।
- जो व्यक्ति इस गरीबी रेखा के नीचे है उसे BPL (Below Poverty Line) कहा है जो व्यक्ति इस रेखा से ऊपर है तो उसे APL (Above Poverty Line) कहा जाता है।
- गरीबी की गणना व्यक्ति के आधार पर ना करके परिवार के आधार पर की जाती है क्योंकि बहुत सी बुनियादी आवश्यकता ऐसी होती है जो कि पूरे परिवार के बीच साझा करती है।
  उदा.– मकान
- गरीबी की गणना के लिए उपयोग पर किये गये खर्च को देखा जाता है। आय को नहीं।
- परिवार में 5 सदस्य माने जाते हैं।
- भारत में गरीबी की गणना NSO के द्वारा की जाती है।
- गरीबी रेखा का निर्धारण पूर्व में योजना आयोग के द्वारा किया जाता था और वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किया जाता है।
- गरीबी की गणना की विधि को 'सिर गिनने की विधि'(Head Count Method) कहा जाता है।
- वैश्विक स्तर पर World Bank, Asian Development Bank and United Nation के द्वारा भी गरीबी की गणना की जाती है।
- विश्व बैंक की गरीबी रेखा – $ 2.15 per day
- United Nation – Multi Dimensional poverty Index
  (बहुआयामी गरीबी सूचकांक)
- भारत में गरीबी मापन के लिए कैलोरी उपभोग का प्रयोग किया जाता है।
  शहर – 2100 कैलोरी

ग्रामीण – 2400 कैलोरी

- गरीबी की गणना करने के लिए 3मुख्य विधियों का प्रयोग करते हैं।
  1. URP (Uniform Reference Period)/(Uniform Recall Period)
     - इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने पिछले 30 दिन में खाद्य वस्तुओं पर कुल कितना व्यय किया।
  2. **MRP (Mixed Reference Period)/(Mixed Recall Period)**
     - इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने पिछले 365 दिनों में कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकाऊ वस्तुएँ (T.V. फ्रिज) आदि पर कुल कितना व्यय किया।
  3. **MMRP (Modified MRP)**

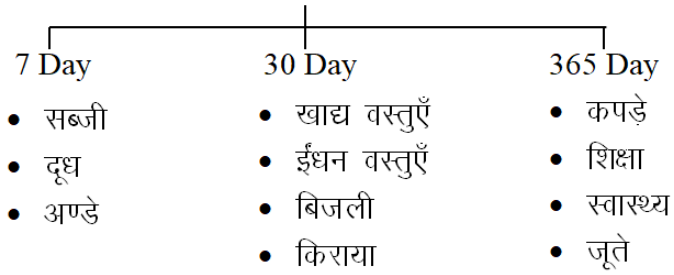


## भारत में गरीबी की गणना–

- भारत में पहली बार गरीबी की गणना दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में की थी।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय आयोजना समिति का गठन किया गया।
- 1944 में पूँजीपतियों द्वारा BOMBAY PLAN बनाया गया। जिसके अनुसार गरीबी रेखा रु. 75 प्रतिव्यक्ति/वर्ष इसे 'टाटा बिड़ला प्लान' भी कहा जाता है।

### स्वतंत्रता के बाद गणनाएँ–

- 1962 में योजना आयोग के द्वारा एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया।

- **V.M.दांडेकर और रथ समिति**–1971
  पहली बार कैलोरी खपत का प्रयोग गरीबी मापन के लिए किया गया।
  2250 कैलोरी/व्यक्ति/ दिन

- **Y.K. अलघ समिति –**1979
  कैलोरी के साथ–साथ पोषण आवश्यकता पर बल
  ग्रामीण – 2400 कैलोरी/ व्यक्ति/दिन
  शहरी– 2100 कैलोरी/ व्यक्ति/दिन

- **D.T. लकड़ावाला समिति**–1993 इसका मुख्य उद्देष्य था – गरीबी आंकलन की विधि की समीक्षा करना। इन्होंने कैलोरी उपभोग विधि को स्वीकार किया।

- **सुरेश तेंदुलकर समिति –2005(2009 में अपनी रिपोर्ट दी)**
  इन्होंने कैलोरी उपभोग विधि की आलोचना की।
  इनके अनुसार URP की जगह MRP का प्रयोग किया जाना चाहिए।

### प्रमुख अनुशंसाएँ–

1. कैलोरी की खपत के साथ–साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे– दूध, चावल, सब्जियाँ, खाद्य तेल, चीनी, नमक, नशीले पदार्थ। सूखे मावे, कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन।
2. ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान गरीबी रेखा टोकरी (PLB) का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) आधारित अनुमान के बजाय समान संदर्भ अवधि (URP) आधारित अनुमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

   ग्रामीण गरीबी रेखा (2011 – 12) – 4080 रु. प्रति परिवार/माह

   शहरी गरीबी रेखा (2011 - 12) – 5000 रु. प्रति परिवार/माह
4. गरीबी का प्रतिशत

   2004 – 05 – 37.2%

   2011 – 12 – 21.9%

- **रंगराजन समिति –**2012

  इनके द्वारा Modified MRP का प्रयोग किया गया है।

**गरीबी रेखा–**

- शहरी क्षेत्र – 7035रु. परिवार/माह
- ग्रामीण क्षेत्र – 4860 रु. परिवार/माह

**गरीबी प्रतिशत–**

2009 – 10 –37%

2011 – 12 –29.5%

- वैश्विक संस्थानों के द्वारा गरीबी का आंकलन किया गया।
  जैसे–IMF (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) –2019 में गरीबों का प्रतिशत = 0.8%
  World Bank (2019) = 10.2%

**नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक–**

- पहली बार 2021 में जारी किया गया।
- गरीबी को मापने के लिए 3 आयामों का प्रयोग किया जिन्हें 12 संकेतकों में बाँटा गया है।

आयाम (Dimension)- संकेतक (Indicator)

**स्वास्थ्य (1/3)** → पोषण
→ बाल एवं किशोर मृत्यु दर
→ जन्म के समय स्वास्थ्य सुविधा
(मातृत्व स्वास्थ्य) (UN के सूचकांक में शामिल नहीं)

**शिक्षा(1/3)** → शिक्षा के वर्ष
→ स्कूल में उपस्थिति

**जीवनस्तर(2/3)**
- भोजन पकाने के लिए ईंधन (LPG)
- स्वच्छता
- पेयजल
- विद्युत
- पक्का घर
- परिसम्पतियाँ (T.V. फ्रिज)
- Bank Account(UN के सूचकांक में शामिल नहीं)

**MPI रिपोर्ट 2023के प्रमुख तथ्य–**

- इस सूचकांक की गणना करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21का प्रयोग किया गया।
- भारत में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वर्ष 2015-16 के 24.85% से घटकर वर्ष 2019-21 में **14.96%** हो गई, (गिरावट –9.8%)
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी –19.28% तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी –5.27%
- Ist – केरल –0.55%
- अंतिम – बिहार –33.76% (सर्वाधिक कमी)
- $10^{th}$ – राजस्थान –15.31% (कमी– 13.5%)

**गरीबी का निवारण–**

भारत में गरीबी निवारण/उन्मूलन के लिए दो मुख्य अवधारणाएँ प्रचलित हैं।

**1. रिसाव सिद्धान्त (Trickle down Theory)**

- इस सिद्धान्त के समर्थक – डॉ. जगदीश भगवती, अरविन्द पनगड़िया
  पुस्तक –Why Growth Matters
- इनके अनुसार सरकार को भौतिक आधारभूत ढाँचे पर अधिक खर्च करना चाहिए तथा आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए जिससे कि निवेश को आकर्षित किया जा सके तथा रोजगार के नये अवसर सृजित किये जा सके।
- निवेश के बढ़ने से सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता है।
- अल्पकाल में इस विधि से असमानता बढ़ती है परन्तु दीर्घकाल में गरीबी निवारण किया जा सकता है।

**2. प्रत्यक्ष निवारण–**

- समर्थक – अमर्त्य सेन, ज्यां द्रेज
- पुस्तक –An Uncertain glory : India and its Contradictions
- इनके अनुसार सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता देनी चाहिए।
- इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।
  जैसे– रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आवास योजना, पोषण योजना
- सरकार को सामाजिक आधारभूत ढाँचे पर अधिक खर्च करना चाहिए।
  जैसे– शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, शुद्ध पेयजल
- वर्तमान में उपर्युक्त दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है।

# आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास

| आर्थिक समृद्धि (Economic Growth) | आर्थिक विकास(Economic Development) |
|---|---|
| • संकीर्ण अवधारणा<br>• उत्पादन में वृद्धि मापी जाती है।<br>• मात्रात्मक अवधारणा<br>• एक विमीय<br>• विकसित देशों के लिए महत्त्वपूर्ण<br>• GDP, GNP, PCI आदि जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है।<br>• मापने में आसान | • व्यापक अवधारणा<br>• उत्पादन के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को मापा जाता है।<br>• गुणात्मक अवधारणा<br>• बहुआयामी<br>• विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण<br>• HDI, Happiness Index जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है।<br>• मापने में अपेक्षाकृत कठिन |

## राष्ट्रीय आय

**1. GDP – Gross Domestic Product – सकल घेरलू उत्पाद**

यह एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर किसी देश के घेरलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।

इस परिभाषा के चार प्रमुख तत्व हैं–

**(i) अन्तिमे वस्तु और सेवाएँ –**

- वस्तु और सेवाएँ जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को पूरी कर ली हो और उपभोग के लिए तैयार है।
- इनका उपयोग किसी अन्य उत्पादन में आपूर्ति के रूप में नहीं किया जाएगा यानि हम इसमें मध्यस्थ वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं।

  उदाहरण – एक कार अन्ति वस्तु होती है और उसमें इस्तेमाल होने वाले टायर मध्यस्थ वस्तु होते हैं।

**(ii) देश का घरेलू क्षेत्र –**

- इसमें शामिल हैं किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र।
- अनन्य आर्थिक क्षेत्र (200 समुद्री मील)
- विदेशों में दूतावास और सैन्य ठिकाने।
- देश में पंजीकृत जहाज और विमान।

**(iii) विशिष्ट समयावधि –**

- जीडीपी की गणना 1 वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है या अप्रैल से 31 मार्च।
- वित्तीय वर्ष को चार तिमाहियों में बाँटा गया है।
- मौद्रिक मूल्य = मात्रा × मूल्य

**2. GNP – Gross National Product – सकल राष्ट्रीय उत्पाद**

- यह एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
- सकल घरेलू उत्पाद + विदेशों में भारतीय निवासियों की आय – भारत में विदेशी निवासियों की आय
- GNP की गणना में NRI (Non Resident Indians) प्रवासी भारतीयें के आय को शामिल नहीं किया जाता है।

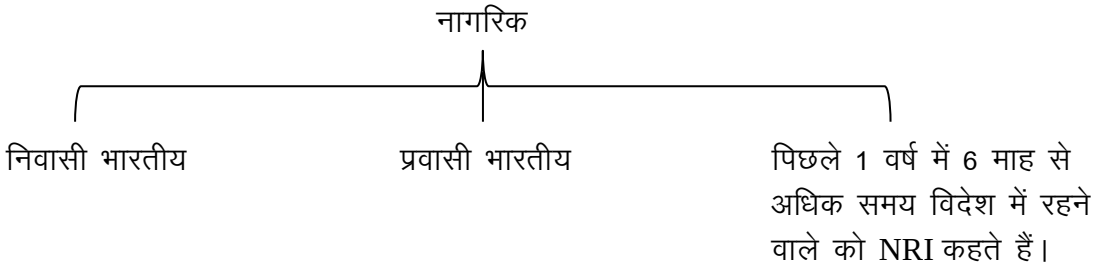


- जब GDP और GNP में मूल्य ह्रास के प्रभाव को शामिल किया जाता है तब NDP और NNP की गणना की जाती है।
- NDP (शुद्ध घरेलू उत्पाद) = GDP − मूल्यह्रास (Despreciation)
- NNP (शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) = GNP −मूल्यह्रास(Despreciation)
- उपर्युक्त चारों अवधारणाओं (GDP, GNP, NDP, NNP) की गणना साधन लागत या बाजार मूल्य के आधार पर की जा सकती है।
- साधन लागत (Factor Cost) = किराया + मजदूरी + ब्याज + लाभ
- बाजार मूल्य (Market Price) = साधन लागत + अप्रत्यक्ष कर − सब्सिडी
- $GDP_{MP} = GDP_{FC}$ + Indirect Tax −Subsidy
- $GNP_{MP} = GNP_{FC}$ + Indirect Tax −Subsidy
- $NDP_{MP} = NDP_{FC}$ + Indirect Tax −Subsidy
- $NNP_{FC} = NNP_{MP}$− Indirect Tax +sSubsidy
- $NNP_{FC}$ (Factor cost)को ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
- प्रतिव्यक्ति आय $= \frac{\text{राष्ट्रीय आय}, NNP_{FC}}{\text{जनसंख्या}, Population}$
- वैयक्तिक आय (Personal Income) = राष्ट्रीय आय का वह भाग जो कि परिवारों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| PI (Personal Income) | = NI (National Income) | −Corporate Tax निगम कर | अवतरित लाभ, परिवारों द्वारा शुद्ध ब्याज भुगतान + हस्तान्तरण भुगतान |

- वैयक्तिक प्रयोज्य आय −PI – Tax Payment – Non Tax Payment जैसे− सामाजिक सुरक्षा अंशदान (पेंशन, बीमा)
- GDP दो प्रकार की होती है।
  1. मौद्रिक GDP – जब GDP की गणना वर्तमान वर्ष की कीमत या चालू वर्ष की कीमत या प्रचलित कीमतों पर की जाती है तब उसे मौद्रिक GDP कहा जाता है।
     इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है।
  2. वास्तविक GDP − जब GDP की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है।
- इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है। जिस वर्ष की कीमतों को स्थिर कीमतों के रूप में लिया जाता है उसे आधार वर्ष कहा जाता है।

$$GDP\ Deflator = \frac{\text{मौद्रिक } GDP}{\text{वास्तविक } GDP} \times 100$$

- GDP Deflator मुद्रास्फीति का संकेतक है यह CPI और WPI के मुकाबले अधिक सटीक है परन्तु यह कम प्रचलित है क्योंकि इसकी गणना में समय अधिक लगता है।

**GDP गणना की विधियाँ –**

- GDP गणना की तीन मुख्य विधियाँ हैं।
  1. **आय विधि –**इसमें सभी प्रकार की आय को जोड़ दिया जाता है, अर्थात् किराया + मजूदरी + ब्याज + लाभ
  2. **व्यय विधि –**इसमें अर्थव्यवस्था में किए गये व्यय की गणना की जाती है। अर्थात् उपभोग पर व्यय + निवेश + सरकारी व्यय + निर्यात–आयात $C + I + G + (X - I)$
  3. **उत्पादन विधि –**इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की गणना की जाती है।
     मूल्य संवर्धन = विक्रय मूल्य – मध्यस्थ वस्तु या सेवा का मूल्य
     जबGDP की गणना उत्पादन विधि से की जाती है तब इसे GVA (Gross Value Added) कहा जाता है।
     $GVA_{MP} = GVA_{FC}$ + Indirect Tax –Subsidy

  2015 में भारत में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए–

  - $GVA_{bp} = GVA_{bp}$ + उत्पादन कर – उत्पादन सब्सिडी
  - $GVA_{MP} = GVA_{bp}$ + उत्पाद कर – उत्पाद सब्सिडी

1. **उत्पादन कर –**वह कर जो कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है।
2. **उत्पाद कर –**वह कर जो कि उत्पादन की मात्राा पर निर्भर करता है।
3. **उत्पादन सब्सिडी –**वह सब्सिडी जो कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है।
4. **उत्पाद सब्सिडी –**वह सब्सिडी जो कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है।

- भारत में GDP गणना के लिए आय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, व्यय विधि तथा उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है।
- भारत में GDP की गणना NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) के द्वारा की जाती है। (आधार वर्ष 2011 – 12)

**GDP गणना की चुनौतियाँ –**

1- दोहरी गणना।
2- बहिष्करण और समावेश की समस्या।
3- घरेलू उत्पादन (घर में उत्पादित वस्तु और सेवाओं को GDP में शामिल नहीं किया जाता है)
4- अवैध वस्तु और सेवाओं को GDP में शामिल नहीं किया जाता है।
5- पूँजीगत लाभ को GDP में शामिल नहीं किया जाता है।

**नकारात्मक ब्याज दर –**जब ऋण के बदले ब्याज दिया जाता है।

- सामान्यता इसका प्रयोग केन्द्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में तरलता बहुत कम होती है तब तरलता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बैंक के द्वारा बैंकों का ऋण दिया जाता है तथा ब्याज भी दिया जाता है।

# World Economy

- **वैश्विक आर्थिक संस्थाएँ (Global Economic Organisation)**
  1. विश्व बैंक World Bank
  2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF – International Manetary Fund
  3. विश्व व्यापार संगठन WTO – World Trade Orgnisation

**पृष्ठभूमि (Background)** –द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में अमेरिका के ब्रेटनवुड्स शहर में एक आर्थिक सम्मेलन आयोजित किया गया।

- जिसका मुख्य उद्देश्य था –युद्ध के बाद आर्थिक सहयोग स्थापित करना तथा आर्थिक मंदी की परिस्थिति से बचना।
- इस सम्मेलन में तीन संस्थाएँ बनाने का निर्णय लिया।
  1. IBRD – International Bank For Reconstruction and Development
  2. IMF – International Monetry Fund
  3. ITO – International Trade Organisation
- 1944 में IBRD और IMF की स्थापना तो कर दी गई है परन्तु USA के सीनेट की मंजूरी ना मिल पाने के कारण ITO की स्थापना नहीं की जा सकी।

### 1. विश्व बैंक समूह World Bank Group

- इसमें पाँच संस्थाएँ शामिल हैं।
  i. IBRD – International Bank For Reconstruction and Development
  ii. IDA – International Development Association
  iii. IFC – International Finance Corporation
  iv. MIGA – Multilateral Investment Gaurantee Agency
  v. ICSID – International Centre For Settlement of Investment related Disputes.

### i. International Bank For Reconstruction and Development

- स्थाना –1944
- मुख्यालय – वाशिंगटन डी सी
- सदस्य –189 देश
- IBRD की संरचना त्रिस्तरीय है।

**i. Board of Governor** –यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संरचना है इसकी बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। सदस्य देशों के वित्तमंत्री और केन्द्रीय बैंक के गर्वनर इसमें भाग लेते हैं।

**ii. कार्यकारी निदेशक** –इनके द्वारा दिन–प्रतिदिन के निर्णय लिए जाते हैं। इसमें कुल 25 निदेशक होते हैं।

**iii. अध्यक्ष** –ये वर्ल्ड बैंक के स्टाफ का प्रमुख होता है।

- अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विश्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है।
- कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
- वर्तमान अध्यक्ष – अजयपाल सिंह बांगा (भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक) (विश्व बैंक का प्रमुख सदैव एक अमेरिकी नागरिक होता है जबकि IMF का प्रमुख सदैव एक यूरोपीय नागरिक होता है।)

**IBRD के कार्य–**

1. इनके द्वारा विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण दिया जाता है।
2. भौतिक और सामाजिक आधारभूत ढाँचे के निर्माण के लिए ऋण देते हैं।
3. गरीबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, नवीकरणीय उर्जा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
4. विकासात्मक गतिविधियों के लिए सलाह प्रदान करते हैं।
5. सदस्य देशों को आर्थिक सुधार लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
6. देशों में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।
7. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए रखते हैं इसके लिए निम्नलिखित रिपोर्ट जारी की जाती है।
    1. World Development Report
    2. Doing Bussiness Report, Index – Ease of Doing Bussiness Index
    3. Global Economic Prospects

**ii. IDA – International Development Association**

- स्थापना –1960
- इसके द्वारा अल्पविकसित और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।जैसे– अनुदान, सस्ते ऋण।

**iii. IFC – International Finance Corporation**

- स्थापना –1956
- यह विश्व बैंक समूह की वाणिज्यिक शाखा/इकाई है।
- इसके द्वारा निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

**iv. MIGA – Multilateral Investment Gaurantee Agency**

- स्थापना –1988
- इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे देशों में निवेश को आकर्षित करना है जो कि राजनीतिक अस्थिरता और गृहयुद्ध से ग्रसित है।
- यह निवेश के लिए बीमा प्रदान करता है।

**v. ICSID – International Center for Sattlement of Investment related Disputes**

- स्थाना –1966
- यह निवेश संबंधी विवादों को हल करता है।
- भारत इसका सदस्य नहीं है।

**Note :** IBRD व IDA को संयुक्त रूप से वर्ल्ड बैंक कहा जाता है।

**IMF – International Monetary Fund अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष**

- स्थापना –1944
- मुख्यालय – वाशिंगटन डी. सी.
- सदस्य –190
- संरचना – इसकी संरचना त्रिस्तरीय है।

1. **Board of Governor -** यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बोर्ड ऑफ गर्वनर के 85% मतों की आवश्यक होती है।

- इसकी बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है।
- इसमें सदस्य देशों के वित्तमंत्री और केन्द्रीय बैंक के गर्वनर भाग लेते हैं।
- 24 गर्वनर की सदस्यता से IMFC – International Monetary and Finance Committee का गठन किया जाता है।

**कार्यकारी निदेशक (Executive Director)**

- इनके द्वारा दिन–प्रतिदिन के निर्णय लिए जाते हैं।
- कुल निदेशक 24 है जिनका चुनाव क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है।
- भारत से निदेशक – कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम्
- ये IMFC की सलाह पर कार्य करते हैं।

**प्रबंध निदेशक (Managing Director)**

- यह IMF के स्टाफ का प्रमुख होता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर IMF का प्रतिनिधित्व करता है।
- कार्यकाल –5 वर्ष
- वर्तमान –M.D. – क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
- First Deputy M.D. – डॉ. गीता गोपीनाथ

**IMF के कार्य–**

- IMF के कार्यो को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है।

**1. ऋण देना –**

i. जिन देशों में भुगतान संतुलन का संकट होता है उन्हें IMF के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है।
ii. IMF विदेशी मुद्रा भण्डार को बढ़ाने में मदद करता है।
iii. विनिमय दर को स्थिर रखने में मदद करता है।

**2. क्षमता निर्माण –**

i. सदस्य देशों को आर्थिक सुधार लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
ii. सुधार से संबंधित तकनीकी सलाह उपलब्ध करवाता है।

**3. पर्यवेक्षण–**

i. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए रखता है।
ii. अर्थव्यवस्था के जोखिमों का आंकलन करता है।
iii. इसके द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट जारी की जाती है।

- World Economic Outlook
- Global Financial Stability Report
- Fiscal Monitor

**कोटा प्रणाली –**IMF में सदस्य देश की भूमिका कोटा प्रणाली से निर्धारित होती है।

- इसमें चार बातें निर्धारित होती है।
- योगदान – अर्थात् किसी देश को IMF में कितना धन जमा करवाना है।
- इसका 75% घरेलू मुद्रा में जमा करवाया जाता है तथा शेष 25% हॉट करेन्सी में जमा करवाया जाता है।
- हॉट करेन्सी – वे करेन्सी/मुद्रा जिसकी वैश्विक स्वीकार्यता होती है।
- इस 25% को Reserve Tranche (रिजर्व ट्रान्च) कहा जाता है।

2. **मत मूल्य –**जिसेदेश का कोटा अधिक होता है उस देश का मत मूल्य भी अधिक होता है।
   - सर्वाधिक मत मूल्य U.S.A. का है। (लगभग 17%)
   - भारत का मत मूल्य (2.65%)

3. **ऋण क्षमता –**अर्थात् कोई देश IMF से कितना ऋण ले सकता है।
4. **SDR आवंटन –**सदस्य देशों को SDR का आवंटन कोटा के आधार पर किया जाता है।
   कोटा का निर्धारण चार कारकों के आधारपर किया जाता है। (भारांश : 50%)
   1. GDP अर्थव्यवस्था का खुलापन (30% भारांश)
   2. अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशीलता (15% भारांश)
   3. विदेशी मुद्रा भण्डार (5% भारांश)
      - प्रत्येक पाँच वर्ष बाद कोटा की समीक्षा की जाती है तथा बोर्ड ऑफ गर्वनर की अनुमति के बाद इसे लागू किया जाता है।
      - हाल ही में 15वीं कोटा समीक्षा की गई परन्तु इससे कोटा में कोई बदलाव नहीं किए गए।
      - 14वीं कोटा समीक्षा के बाद बड़े बदलाव किए गए (2010)
      - इसे 2016 में लागू किया गया।
      - इससे निम्नलिखित परिवर्तन हुए–
      - 6% कोटा विकसित देशों से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को हस्तान्तरित किया गया।
      - चीन तीसरा सबसे बड़ा कोटा धारक बन गया।
      - भारत 8वाँ सबसे बड़ा को धारक बन गया।

**IMF में सुधार –**

1. IMF में कोटा सुधार समय पर लागू किए जाने चाहिए।
2. IMF में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाना चाहिए।
3. IMF का प्रबंध निदेशक विकासशील देशों से होना चाहिए।
4. IMF की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए।
5. IMF के द्वारा अल्पविकसित और विकासशील देशों को अधिक सहायता उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

- SDR – विशेष आहरण अधिकार – यह एक अन्तर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसम्पति है। जिसका प्रयोग सम्प्रभु भुगतानों के लिए किया जा सकता है।
- इसका आवंटन IMF के द्वारा सदस्यों देशों को किया जाता है। जिससे कि उनके विदेशी मुद्रा भण्डार मेकं सहयोग किया जा सके।
- इसका मूल्य प्रारंभ में गोल्ड के आधार पर निर्धारित किया जाात था।
- 1 SDR = 1$ = 0.88gm of Gold
- इसकी शुरूआत 1969 में की गई।

- इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है।
- वर्तमान में SDR का मूल्य 5 मुद्राओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
  **1.** USA का डॉलर
  **2.** ब्रिटिश पाउण्ड
  **3.** जापान की मुद्रा रेनमिनबी
  **4.** यूरो (यूरापे की मुद्रा)

### 3. विश्व व्यापार संगठन WTO – World Trade Organisation

- स्थापना –1 जनवरी, 1995
- सचिवालय – जेनेवा, स्वीटरलैंड
- सदस्य –164
- पृष्ठभूमि –ITO की असफलता के बाद 1947 में GATT नामक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
- इसका मुख्य उद्देश्य था अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा आयात–निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम करना।
- 1948 में गेट को लागू किया गया परन्तु यह समझौता सीमित रूप से सफल रहा।
- 1986 में उरूग्वे (मोरक्को) सम्मेलन में GATT में सुधार करने पर चर्चा की गई।
- अंततः 1964 में माराकेश सन्धि की गई तथा GATT को WTO से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

| GATT | WTO |
|---|---|
| ✓ यह एक सामान्य समझौता था। | ✓ इसका एक संस्थागत ढाँचा होता है। |
| ✓ यह सिर्फ वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था। | ✓ यह वस्तु, सेवा, निवेश बौद्धिक सम्पादों पर भी कार्य करता है। |
| ✓ इसका कार्य क्षेत्र संकीर्ण है। | ✓ इसका कार्यक्षेत्र व्यापक है। |
| ✓ निर्णय बाध्यकारी नहीं है। | ✓ निर्णय बाध्यकारी है। |

### WTO की संरचना – त्रिस्तरीय संरचना

#### 1. मंत्रिस्तरीय सम्मेलन –

- यह एक निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- इसका मुख्य कार्य विश्व व्यपार को बढ़ावा देने के लिए समझौते करना है।
- सामान्यतः इसकी बैठक दो वर्ष में एक बार बुलायी जाती है।
- सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री इसमें भाग लेते हैं।
- अब तक 12 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किये जा चुके हैं।
- पहला सम्मेलन – 1996 - सिंगापुर
- $4^{th}$सम्मेलन – 2001 - दोहा, कतर
- $9^{th}$सम्मेलन – 2013 - बाली, इण्डोनेशिया
- $10^{th}$सम्मेलन – 2015 - नैरॉवी, केन्या
- $11^{th}$सम्मेलन – 2017 - ब्यूनसआयर्स, अर्जेन्टीना
- $12^{th}$सम्मेलन – 2022 - जिनेवा, स्वीट्रलैंड

**2. सामान्य परिषद्**

- इसमें दो मुख्य संस्थायें हैं।
  1. व्यापार नीति समीक्षा निकाय
  2. विवाद निपटान निकाय

**3. महानिदेशक**

- ये WTO स्टाफ का प्रमुख होता है।
- वैश्विक मंचों पर WTO का प्रतिनिधित्व करता है।
- कार्यकाल 4 वर्ष
- वर्तमान महानिदेशक – नगोजी ओकोन्जो इविएला। (पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी महानिदेशक)

**WTO के कार्य–**

- विश्व व्यापार को बढ़ावा देना।
- विश्व व्यापार आने वाली बाधाओं को दूर करना।
- व्यापार में दो प्रकार की बाधायें होती हैं।
  1. **प्रशुल्क बाधा –** अर्थात आयात निर्यात पर लगाया गया कर।
  2. **गैर–प्रशुल्क बाधाएँ –** गुणवत्ता के उच्च मानक।
  i. लाइसेंस की आवश्यकता
  ii. कोटा नियम (मात्राात्मक प्रतिबन्ध)
  iii. कस्टम के कठोर नियम
  iv. नकारात्मक सूची
  v. उत्पत्ति के नियम
  3. बाधाओं को दूर करने के लिए सदस्य देशों के बीच समझौते करवाये जाते हैं।
  4. समझौतों को लागू करवाना।
  5. विश्व व्यापार पर नजर बनाए रखना।
  6. नियम आधारित बहुपक्षीय व्यपार व्यवस्था को बनाए रखना।

**WTO के प्रमुख समझौते –**

**1. कृषि पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (1994)**

- यह समझौता कृषि के व्यपार को बढ़ावा देने के लिए किया गया।
- WTO में कृषि को दी जाने वाली सब्सिडी को व्यापार के लिए हानिकारक माना गया है इसलिए सब्सिडी को सीमित किया जाना चाहिए।
- सब्सिडी को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है।
  **(i) ऐम्बर बॉक्स –** इसमें वे सब्सिडी रखी जाती है जो कि व्यापार को सर्वाधिक विकृत करती है।
    - यह सब्सिडी उत्पादन के साथ बढ़ती जाती है।
    - इसे एक निष्चित सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता है।
    - सीमा – विकसित देश के लिए सीमा – उत्पादन का 5%
    - विकासशील देशों के लिए सीमा – उत्पादन का 10%
    - (उत्पादन–1986-88 का औसत उत्पादन)
    - यह सीमा फसल पर भी लागू होती है और कुल उत्पादन पर भी लागू होती है। जैसे– उर्वरक सब्सिडी, विद्युत, MSP – न्यूनतम समर्थन मूल्य।

**(ii) ब्लू बॉक्स –**इसमें वे सब्सिडी रखी गई हैं जो कि बाजार को सीमित मात्रा में विकृत करती है।
- यह सब्सिडी उत्पादन के साथ बढ़ती नही है।
- सामान्यतः भूमि और पशुधन पर दी जाती है।
- यह सब्सिडी भी सीमित की जानी चाहिए परन्तु WTO के द्वारा इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

**(iii) ग्रीन बॉक्स–**इसमें वे सब्सिडी रखी जाती हैं जो बाजार को विकृत नहीं करती हैं।
- यह अनुसंधान और विकास पर दी जाने वाली सब्सिडी है।
- इसे सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

**1. विवाद**
- विकासशील देशों के द्वारा दो मुख्य आपत्तियाँ उठाई गई–
- विकासशील देशों को सब्सिडी को ऐम्बर बॉक्स में रखा गया है जबकि विकसित देशों की सब्सिडी को या तो ब्लू बॉक्स में रखा गया है या तो ग्रीन बाक्स में।
- ऐम्बर बॉक्स की सब्सिडी के तहत सीमा विकसित देशों के लिए विकासशील देशों से अधिक है, क्योंकि विकसित देशों का उत्पादन अधिक था।

**2. खाद्य सुरक्षा विवाद या लोक भण्डारण विवाद –**
- 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया गया इसको लागू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई तथा किसानों को MSP दी गई। (न्यूनतम समर्थन मूल्य = MSP)
- MSP एम्बर बॉक्स की सब्सिडी है।
- 2013के बाली सम्मेलन में भारत के खाद्य सुरक्षा कानून को चुनौती दी गई क्योंकि यह एम्बर बॉक्स की सीमा का उल्लंघन कर रहा था। भारत का तर्क था कि यह सब्सिडी बाजार को विकृत करने के लिए नहीं है इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना है।
- इस विवाद को अस्थायी रूप से हल करने के लिए भारत को एक (पीस क्लोज) दी गई अर्थात् जब तक इस विवाद का कोई स्थान समाधान नहीं निकल जाता है भारत के खाद्य सुरक्षा कानून को WTO में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

**2. NAMA – गैर कृषि बाजार पहुँच (Non-Agriculture Marketaccess)**
- इसके तहत विकसित देशों के द्वारा यह माँग की गई कि गैर कृषि उत्पादों पर टेरिफ (शुल्क) को कम किया जाना चाहिए।
- इसके लिए एक Swiss Formula दिया गया–

$$Tnew = \frac{A \times Told}{A + Told}$$

Tnew = नया टेरिफ New Terrif
Told = पुराना टेरिफ Old Terrif
A = अधिकतम टेरिफ Maximum Terrif

A= 80%, old = 20% हो तो $Tnew = \frac{80 \times 20}{100}$

$Tnew = 16\%$

**3. मल्टी फाइबर एग्रीमेंट**
- यह समझौता 1974 में किया गया।

- इसके तहत वस्त्र व्यापार के लिए कोटा निर्धारित किया गया।
  (कोटा – आयात–निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध)
- 1994 में इसेएग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से प्रतिस्थापित किया गया। जिसके तहत कोटा प्रतिबन्धों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
- 2005 में वस्त्र व्यापार में कोटा को समाप्त कर दिया गया। 1

**4. GATS – General Agreement on Trade in Services**

- इस समझौते में सेवाओ को चार श्रेणियों में बाँटा गया है। 1
  i. Mode – 1– इसमें वे सेवाएँ रखी जाती हैं जो कि एक देश में रहते हुए दूसरे देश में उपलब्ध करवाई जाती है।
     BPO – Bussiness Process outsourcing (कॉल सेंटर)
  ii. Mode – 2 – वे सेवाएँ जो दूसरे देश में जाकर उपभोग की जाती है। जैसे– पर्यटन।
  iii. Mode – 3 – इसमें सेवाओं से संबंधित निवेश को रखा जाता है।
  iv. Mode – 4 – इसमें मानव संसाधन के आवागमन को रखा जाता है। 1
- विकसित देश Mode – 3 के नियम सरल चाहते हैं जबकि विकासशील देश Mode - 4 के सरल नियम चाहते हैं।

**5. TRIM – Trade Related Investment Measure**

- यह समझौता निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया।
- इसके तहत राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत दिया गया है अर्थात् घरेलू कम्पनी व विदेशी कम्पनी के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

**6. TRIPS – Trade Related aspect of Intellectual property Rights**

- यह समझौता बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों को मान्यता देता है। जैसे– कॉपीराईट, पेटेन्ट, इन्डस्ट्रीयल डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक।
- विकसित देशों का यह आरोप है कि विकासशील देशों में बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता है।

**7. TFA – Trade Facilitation Agreement व्यापार सुविधा समझौता**

- यह समझौता कस्टम के नियमों को आसान बनाने के लिए किया गया है।

वस्तु → AOA
वस्तु → NAMA
वस्तु → MFA
सेवा–GATS
निवेश –TRIM
बौद्धिक सम्पदा –TRITS
कस्टम के नियत –TFA

## अन्य अवधारणाएँ –

1. **विशेष सुरक्षा प्रणाली Special Safeguard Mechanism-** यदि किसी देश में कृषि उत्पाद आयात किए जाते हैं तथा आयातों के कारण घरेलू बाजार में कीमतें अत्यधिक कम हो गई हैं जिससे घरेलू किसानों का नुकसान हो रहा है ऐसी परिस्थिति में आयातों को कम करने के लिए आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है।

2. **व्यापार में तकनीकी बाधा Technical Barriers to Trade** –इसके तहत आयातों पर गुणवत्ता के मानक आरोपित किए जा सकते हैं।
3. **Dumping (डम्पिंग) –**यदि किसी उत्पाद को घेरलू बाजार की कीमतों से कम कीमतों पर दूसरे देश में बेचा जाता है तब इस प्रक्रिया को उम्पिंग कहा जाता है।
   - डम्पिंग को रोकने के लिए एन्टी डम्पिंग ड्यूटी लगाई जाती है।
   - दुनिया में सर्वाधिक डम्पिंग के मामले में चीन के विरूद्ध है।
   - एन्टी डम्पिंग ड्यूटी की सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की जाती है तथा वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे आरोपित किया जाता है।
4. **काउन्टर वेलिंग ड्यूटी**(CVD)– यदि किसी देश के द्वारा घेरलू उत्पादकों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है जिसके कारण उनके उत्पाद विदेशों में सस्ते हो गए हैं सब्सिडी के इस प्रभाव को दूर करने के लिए आयात करने वाले देश के द्वारा काउन्टर वेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है।
5. **Sanitary and Phytosanitary Measure** -यदि किसी देश में कोई उपभोग योग्य वस्तु आयात की जाती है तथा आयात करने वाले देश को लगता है कि इससे उनके नागरिकों, पशुओं, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है तब ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे– भारत के अल्फांसों आम पर लगाया गया प्रतिबंध।
6. **Most Favoured Nation** –इसके माध्यम से भेदभावरहित बाजार पहुँच के सिद्धान्त को लागू किया गया है।
   - WTO के एक सदस्य देश के द्वारा अन्य सदस्य देशों को MFN का दर्जा दिया जाता है।
   - यदि कोई व्यापारिक सुविधा किसी एक MFN प्राप्त देश को दी जाती है त बवह व्यापारिक सुविधा स्वतः ही अन्य MFN प्राप्त देशों को भी मिल जाती है।
   - 1996 में भारत ने पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया परन्तु पाकिस्तान ने कभी भी यह दर्जा भारत को नहीं दिया।
   - पुलवामा हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान से यह दर्जा छीन लिया है।
   - क्षेत्रीय व्यापार समझौते इस सिद्धान्त के अपवाद हैं। WTO में छः क्षेत्रीय समझौतों को मान्यता दी गई है।

1. **वरीयता व्यापार समझौता Preferential Trade Agreement (PTA)**
   - सदस्य देशों को अन्य देशों के मुकाबले व्यपार में वरीयता दी जाती है। जैसे–SAPTA, South Asian Preferential Trade Agreement
2. **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement)**
   - इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार को मुक्त कर दिया जाता है, इसमें दो मुख्य सिद्धान्त अपनाए जाते हैं।
     (i) उत्पति के नियम – मुक्त व्यापार समझौते का लाभ सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को दिया जाता है जिनका एक निश्चित प्रतिशत सदस्य देश में उत्पादित हुआ हो। यदि यह नियम अत्यधिक कठोर है तब मुक्त व्यापार समझौता कम प्रभावित होता है।
     (ii) नकारात्मक सूची – जिन वस्तुओं को मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा जाता है उन्हें नकारात्मक सूची में लिखा जाता है। यदि यह सूची अत्यधिक बड़ी है तब मुक्त व्यापार समझौता कम प्रभावी होता है।
3. **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreenment CEPA)** –इसमें वस्तुओं के साथ–साथ सेवा, निवेश, बौद्धिक सम्पदा आदि को शामिल किया जाता है।
4. **कस्टम संघ (Custom Union)** –इसमें एक समान आयात–निर्यात के नियम अपनाए जाते हैं।
5. **साझाा बाजार (Common Market)** – इसमें उत्पादन व विपणन के एकसमान नियम अपनाए जाते हैं

6. **आर्थिक संघ (Ecomnomic Union)** –इसमें देशों के द्वारा एकसमान मौद्रिक नीतियाँ अपनाई जाती हैं घरेलू मुद्रा को त्यागकर एकसमान मुद्रा अपनाई जाती है। जैसे– यूरोप के 19 देशों की एक ही मुद्रा।
   - 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2022 जिनेवा (स्वीटजरलैंड) – इस सम्मेलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
     (1) कोरोना की वैक्सीन और दवाईयों पर बौद्धिक सम्पदा में छूट दी जाएगी।
     (2) रूस यूक्रेन युद्ध के कारण एक खाद्य संकट उत्पन्न हुआ है जिसमेंज्ञ के सदस्य देषों के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
     (3) मत्स्यन पर समझौता किया गया। इसके तहत यह निर्णय लिया गया कि मत्स्यन के लिए दी जाने वाली हानिकारक सब्सिडी को समाप्त किया जाना चाहिए।
     (4) भारत के द्वारा खाद्य सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया परन्तु इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका तथा भारत की च्मंबम ब्सवनेमयथावत बनी रहेगी।

# खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

## Index

**1.खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ एवं वर्गीकरण-**

A. प्राथमिक प्रसंस्करण

B. द्वितीय संस्करण

C. तृतीय प्रसंस्करण

**2.खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रमुख उद्योग-**

• हरी सब्जियाँ एवं उनके उत्पाद

•मांस एवं मांस उत्पाद

• मांस पैकिंग उद्योग

• दूध तथा दूध से संबंधित उत्पाद

• पोल्ट्री उत्पाद

•कन्फेक्शनरी उत्पाद - केक, चॉकलेट ,बिस्किट एवं बेकरी उत्पाद

•अन्य

**3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं -** भारत दुनिया में अग्रता प्राप्त कर सकता है।

**4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रमुख समस्याएं तथा सरकारी प्रयास**

**5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति या स्थान निर्धारण**

**6. उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ति आवश्यकताएं**

**7. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन-**अर्थ, महत्व, चुनौतियाँ

## खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ -

• मूल रूप से प्राप्त कृषि एवं पशु उत्पादों को मानक उपभोग के अनुरूप बनाना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है।

**अथवा**

• खाद्य प्रसंस्करण का तात्पर्य खाद्य एवं पेय उद्योग द्वारा प्राथमिक कृषि उत्पादों, पौधों एवं पशुओं से जुड़ी सामग्रियों जैसे अनाज, मांस,दूध आदि को उपभोक्ताओं के उपभोग योग्य बनाने से हैं।

**अथवा**

- खाद्य प्रसंस्करण, घर या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संघटकों को खाद्य पदार्थ में बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का सेट है।
- उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि 'खाद्य प्रसंस्करण' एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राथमिक खाद्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन करके, उन्हें द्वितीयक व तृतीयक खाद्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, जो कि उपभोग योग्य हैं तथा उनका वाणिज्यिक मूल्य भी है। इस उद्योग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहा जाता है।

## खाद्य प्रसंस्करण का वर्गीकरण-

खाद्य प्रसंस्करण का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया गया है।

1. प्राथमिक प्रसंस्करण
2.माध्यमिक प्रसंस्करण
3.तृतीयक प्रसंस्करण

**• प्राथमिक प्रसंस्करण(Primary Food Processing)-**

इसके अंतर्गत कच्चे कृषि एवं पशु उत्पादों में आंशिक परिवर्तन करके उन्हें मानव के उपभोग के अनुकूल बनाया जाता है। सामान्यतः प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए सफाई,ग्रेडिंग, छँटाई,पैकिंग आदि का सहारा लिया जाता है। प्राथमिक प्रसंस्करण में उत्पाद के भौतिक रूप में परिवर्तन नहीं होता है। और मूल्य संवर्धन भी नाम मात्र का होता है।

**• माध्यमिक प्रसंस्करण (Secondary Food processing)-**

इसके अंतर्गत कच्चे कृषि एवं पशु उत्पादों को इस प्रकार रूपांतरित किया जाता है कि इनकी मूल भौतिक विशेषताओं में बदलाव आ जाता है। सामान्यतः इसमें मानव श्रम के अलावा मशीन, बिजली और पूंजी का इस्तेमाल होता है। जैसे गेहूं को आटे में बदलना, आलू का चिप्स बनाना। इससे वैल्यू एडिशन बहुत हो जाता है।

**<u>तृतीयक प्रसंस्करण( Tertiary Food Processing)-</u>**
इसमें कृषि एवं पशु उत्पादों को तुरंत खाने की स्थिति में लाया जाता है। जैसे शीतल पेय, सॉस, अचार, दही आदि। इस चरण में सर्वाधिक वैल्यू एडिशन होता है।

| **प्रसंस्करण** | **शामिल गतिविधियाँ** | **विशेषताएं** |
|---|---|---|
| प्राथमिक प्रसंस्करण | सफाई, ग्रेडिंग, कंडीशनिंग,पैकेजिंग, स्टोरेज | प्रसंस्कृत उत्पाद का भौतिक रूपांतरण नहीं के बराबर, मूल्य संवर्धन नगण्य |
| माध्यमिक प्रसंस्करण | गैहूँ से आटा, तिलहन से तेल, दलहन से दाल, दाल से बेसन | भौतिक रूपांतरण हो जाता है। तुरंत खाने योग्य नहीं वैल्यू एडिशन होगा। |
| तृतीयक प्रसंस्करण | सॉस, अचार, बिस्किट, नमकीन, जैम, ज्यूस, कैंडीज, चिप्स तथा सभी प्रकार के तुरंत इस्तेमाल में लाए जाने वाले भोजन। | तुरंत खाने के योग्य खाद्य पदार्थ, अधिकतम वैल्यू एडिशन। |

| **खाद्य मद** | **प्राथमिक प्रसंस्करण** | **द्वितीय प्रसंस्करण** | **तृतीयक प्रसंस्करण** |
|---|---|---|---|
| अन्न एवं बीज(Cereals & Seeds) | छंटनी एवं ग्रेडिंग | आटा, चावल पफ, माल्ट, मिलिंग आदि | बिस्कुट, नूडल्स, फ्लक्स, केक, नमकीन |
| तिलहन(Oilseeds) | छंटनी एवं ग्रेडिंग | तेल, केक आदि | सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, जैतून का तेल |
| फल- सब्जियाँ | सफाई, छंटनी, ग्रेडिंग एवं काटना | स्लाइस, पल्प्स, गुच्छे, पोस्ट्स | कैचप, जैम, ज्यूस, अचार, कैंडीज, चिप्स आदि |
| दूध (Milk) | ग्रेडिंग, ठंडा | क्रीम, सूखा दूध, जमा दूध आदि | दही, मक्खन, पनीर |
| पेय(Beverage) | छंटनी, ग्रेडिंग | पत्ती, क्रीम, पाउडर आदि | चाय बैग, कॉफी आदि |
| मांस,पोल्ट्री | छंटनी,ठण्डा | काटना, फ्राई, फ्रोजन | खाने के लिए तैयार भोजन |
| समुद्री उत्पाद | छंटनी,ठण्डा | कट, फ्राइड, फ्रोजेन, चिल्ड | खाने हेतु तैयार करना |

**<u>भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाएं तथा तेजी से बढने के कारण-</u>**

•भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगभग 135 बिलियन डॉलर का अनुमानित है।

•यह पिछले 5 सालों में लगभग 10% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

• इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और भविष्य में भारत एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। क्योंकि...

•भारत अनेक कृषि उत्पादों तथा बागवानी वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त है। जैसे दूध, आम, पपीता, केला, अमरूद, अदरक, चना, भैंस का मांस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।

• तो वही चावल, गैहूँ, आलू ,लहसुन, सूखे प्याज, काजू, मूंगफली, मटर, कद्दू, लौकी, गाय का दूध और गन्ना उत्पादन के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं।

• इसके अलावा चाय, कॉफी, मसाला, चीनी, तिलहन और अंडा उत्पादन में भी भारत दुनियाँ की शीर्ष पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

• भारत में कृषि जलवायु दशाओं में विविधता पाई जाती है। क्योंकि भारत में 26 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं और 60 में से 46 प्रकार की मृदा पाई जाती है।

• इससे ज्यादा तथा विविध प्रकार का कच्चा माल प्राप्त हो जाता है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अधिक उत्तम आधार प्रस्तुत करता है।

• भारत में कुल व्यय का बहुत बड़ा भाग खाद्य पदार्थों पर होना तथा लोग खानपान के शौकीन होना, तीव्र शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता, बदलती हुई जीवन शैली तथा कार्य संबंधी व्यस्तता, श्रम शक्ति में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ना, बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय, आक्रामक मार्केटिंग आदि ऐसे कारक हैं जिनके कारण व प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग हाल के वर्षों में लगातार तेजी से बढ़ रही है।

• भारत को खाद्यान्नों, डेयरी, पोल्ट्री, सब्जियों, फलों, बागवानी की वस्तुओं हर्ब्स आदि के उत्पादन में विश्व में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त है।

•भारत में दूरदर्शन की संस्कृति का विकास तेजी से हो रहा है।

•विदेशी निवेश की 100% अनुमति होना, इससे इस क्षेत्र की अधोसंरचना, विपणन तथा वितरण संख्या बहुत विकसित हो गई है।

• खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की विदेशी बाजार में बहुत मांग होने के कारण।

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सामान्यतया श्रम बहुल हैं और थोड़े से कौशल विकास के कारण इन्हें विशेष रूप से महिलाओं को प्रशिक्षित करके चलाया जा सकता है। N.G.O. व S.H.G. के द्वारा भी इसे बढ़ावा मिला है।

•श्रम बहुल होने के कारण इनमें रोजगार सृजन क्षमता का अत्यधिक होना।

• यह विकेंद्रीकृत उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, जिससे आय का वितरण सभी क्षेत्रों/ व्यक्तियों तक होता है, जो समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

• निर्यात में भूमिका के कारण विदेशी मुद्रा का अर्जुन भी बहुत होता है।

• किसानों के लिए भी लाभदायक है।

• इसे प्राथमिकता क्षेत्रों में शामिल किया गया है जिससे सस्ता कर्ज प्राप्त हो जाता है।

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लाभ-

1.यह कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र के बीच सेतु बनकर भारतीय नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगा और देश भर में स्वास्थ्यकारी एवं वहनीय भोजन की आपूर्ति करेगा।

2.प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को विटामिन और अन्य खनिजों के साथ बनाया जाता है, जिससे कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सकता है।

3. खाद्य पदार्थों की आपूर्ति वर्ष भर की जा सकती है। जिससे खाद्य पदार्थों कि महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है।

4.भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण जो खाद्य उत्पाद बर्बाद हो जाता है, वह रुकेगा। नीति आयोग के अनुसार फसल की कटाई के बाद सालाना 90,000 करोड रुपए का नुकसान होता है।इससे ना केवल किसानों को लाभ होगा वरन उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा और उन्हें कम कीमत पर खाद्यान्न,फल, सब्जियों आदि मिल सकेंगे।

5. खाद्य प्रसंस्करण के कारण किसानों को उत्पादों की अच्छी कीमत प्राप्त हो सकेगी और उन्हें खाली समय में अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने लगेंगे।

6. इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा जिससे कृषि उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा तथा किसानों की आय बढ़ने से, कृषि कार्य लाभ का सौदा साबित होने लगेगा।

7.खाद्य पदार्थों में विविधता होती है, जिससे सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विनिर्माण क्षेत्र में उत्पन्न रोजगार का लगभग 15% हिस्सा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है।

9. निर्धनता व बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

10. स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा जिससे प्रवसन की समस्या को कम किया जा सकता है।

11.जीडीपी ग्रोथ रेट बढेगी।

12.यह विकेंद्रीकृत उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, जिससे आय का वितरण सभी क्षेत्रों/ व्यक्तियों तक होता है, जो समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

13. निर्यात में भूमिका के कारण विदेशी मुद्रा का अर्जन भी बहुत होता है।

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सामने प्रमुख समस्याएं तथा सरकारी प्रयास-

**इन उद्योगों के सामने मुख्यतः निम्न समस्याएं हैं-**

1.प्रशिक्षण का अभाव

2.साख तथा ऋण की व्यवस्था का अभाव।

3.उत्पादों के विपणन से संबंधित घरेलू बाजार तथा विदेशी बाजार संबंधित चुनौतियाँ (अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों और घरेलू खाद्य सुरक्षा मानकों में विसंगतियां)

4. अविकसित आधारभूत संरचना का होना।

5. बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से।

6.किसान से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बीच संपर्क की समस्या।

7.बिचौलियों की अधिकता

8.उत्पादों के विकास में नवाचार की कमी।

9.उपयुक्त तकनीक का अभाव एवं अनुसंधान की कमी।

10.गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों पर पर्याप्त ध्यान न देना।

11. विश्वसनीय जांच सुविधाओं का अभाव।

12. अपर्याप्त आधारभूत संरचना।

13. अपर्याप्त शीत भंडारण क्षमता एवं गोदामों की सुविधाओं का कम होना।

14. कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का अभाव।

15. बेहतर परिवहन सुविधाओं का अभाव।

16. एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का अभाव।

17. पैकेजिंग की उच्च लागत।

18. बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज की समस्या

प्रसंस्करण की पुरानी तकनीकों के कारण खाद्य पदार्थों की बर्बादी एवं उच्च लागत

20. प्रसंस्करण उद्योगों का असंगठित होना।

## सरकार के द्वारा किए गए प्रयास

### 1.खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का गठन – यह मंत्रालय 1988 में गठित किया गया।

• 1999 में कृषि मंत्रालय के तहत इसे विभाग बना दिया गया था, परंतु 2001 में पुनः इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया।

### 2. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना-

• 2016 में संपदा नाम से प्रारंभ हुई

• वर्ष 2017 में सरकार ने संपदा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) कर दिया।

•प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज या अंब्रेला स्कीम है।

•जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना सर्जन होगा।

• इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा

**इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल है-**

A.मेगा फूड पार्क

B.एकीकृत कोल्ड स्टोरेज चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना

C.कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए क्लस्टर अवसंरचना

D. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण।

E. खाद्य संरक्षा और खाद्य गुणवत्ता परिक्षण अवसंरचनाओं का निर्माण

F. ऑपरेशन ग्रीन्स।

**Note. ऑपरेशन ग्रीन-**

इसका मुख्य उद्देश्य खराब होने वाली फल सब्जियों का मूल्य स्थिरीकरण है।

• इसके तहत भंडारण व परिवहन संबन्धित आधारभूत ढांचे का विकास किया जाता है।

• जिसके लिए सरकार लागत की 50% सब्सिडी देती है।

•शुरुआत में यह योजना 3 फसलों टमाटर, प्याज और आलू (T.O.P.) के लिए थी।

•वर्तमान में 23 फसलों को इसमें शामिल किया गया है। जिसे TOP to TOTAL कहां गया हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है।

### 3 ."खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना"

• आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रारंभ की गई

PLI Scheme के तहत शुरू हुई।

• वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक 6 वर्षों की समयावधि के लिए।

•10900 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान।

**•उद्देश्य-** देश को विश्व स्तर पर खाद्य निर्माण क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाना और भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढावा देना।

• प्रसंस्करण क्षमता के संवर्धन के लिए निश्चित न्यूनतम बिक्री और न्यूनतम निश्चित निवेश वाली खाद्य निर्माण में लगी इकाइयों का समर्थन करना।

यह योजना 2 घटकों के रूप में लागू की गई हैं-

**पहला घटक** -चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। जिसमें निम्न शामिल हैं-

1.रेडी टू कुक, रेडी टू ईट (RTC/RTE) खाद्य

पदार्थ,
2.प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ
3.समुद्री उत्पाद,
4.मौजेरेला चीज़।

**दूसरा घटक** - इसमें मजबूत भारतीय ब्रांडो को उभारने तथा प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में उनकी रब्रांडिंग और विपणन के लिये विदेशों से समर्थन प्राप्त करने से संबंधित है।

## (4) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के औपचारिक करण के लिए प्रधानमंत्री की योजना

**(PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises - PM FME)**

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 'खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय' तथा 'राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ' (National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India- NAFED द्वारा शुरू की गई योजना।

• कुल बजटीय प्रावधान 10000 करोड़ रुपये
•इस योजना के तहत व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के संदर्भ में 90:10 के अनुपात में, विधायिका युक्त केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्र द्वारा 100% साझा किया जाएगा।
• वर्ष 2020 से 2025 के बीच खर्च किए जाएंगे।
•इस योजना से लगभग 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से लाभान्वित होने का अनुमान है।
• यह योजना 'एक जिला एक उत्पाद'(One District One Product) के दृष्टिकोण पर काम करती है।

इसके अलावा सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रशिक्षण के लिए भी संस्थानों की स्थापना की है।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था 'राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधनसंस्थान' (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management-NIFTEM) सोनीपत हरियाणा है। जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी।

इसके अलावा इन उद्योगों के उत्पादों के निर्यात के लिए दो नोडल एजेंसी बनाई गई है।

1. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority -APEDA)
•दिसंबर 1985 में कानून बना तथा 13 फरवरी 1986को दिल्ली में स्थापना।
• यह कृषि संबंधित प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात प्रवर्तक संस्था है।
•यह 14 से अधिक उत्पादों जैसे पुष्प उत्पाद तथा सब्जी, मांस तथा मांस उत्पादन, प्रसंस्कृत खाद्य अनाज, अनाज निर्मित उत्पाद, हर्बल तथा भेषज पौधे आदि के निर्यात का पर्यवेक्षण करता है।
• यह कृषि निर्यात क्षेत्रों के संबंध में केंद्र सरकार के शीर्ष एजेंसी है।
• **कृषि निर्यात क्षेत्रों में प्रमुख है**-
मध्यप्रदेश में मसाला,
तमिलनाडु में आम,
महाराष्ट्र में प्याज,
झारखंड में सब्जी,
उड़ीसा में अदरक व हल्दी
तथा उत्तराखंड में बासमती चावल
के निर्यात कृषि निर्यात क्षेत्र है।

2. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority (MPEDA)
•यह समुद्री उत्पाद निर्यात प्रवर्तक संस्था है, जो अलग-अलग प्रकार के प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात में मदद करती है।
• इसकी स्थापना 1972 में कोच्चि केरल में की गई थी।

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति या स्थान निर्धारण के कारक -

**1. कच्चे माल की उपलब्धता-** क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल होता है। ऐसे में यह जरूरी है कि इनके उद्योग ऐसी जगह स्थापित किए जाएं जहाँ कच्चा माल निकटतम दूरी पर व्यापक उपलब्ध हो।

**2. बाजार -** यदि प्रसंस्कृत उत्पाद शीघ्र नष्ट होने वाला है तो खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों की अवस्थिति में बाजार निर्णायक भूमिका निभाती है। जैसे बेकरी उद्योग, डेयरी उद्योग।

**3.लागत-** इन उद्योगों के स्थान निर्धारण में लागत भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। जैसे सस्ता श्रम, सस्ती जमीन आदि की उपलब्धता शहरों की तुलना में गांव में बेहतर होती है। यदि गांवों में विद्युत, परिवहन सुविधा, बैंकिंग, भंडारण,कोल्ड स्टोरेज भी प्राप्त हो जाए तो ये उद्योग गांव में लगाए जाएंगे। हालांकि गांवों में इन सुविधाओं का अभाव, अकुशल श्रमिक, बाजार से दूरी के कारण इन उद्योगों का विकास कम ही हुआ है।

यहां भी विशेष बात यह है कि दक्षिण व पश्चिम भारत में गांवों की स्थिति उत्तर भारत से बेहतर हैं। जैसे 55 से 60% तक ऐसे उद्योग आंध्र प्रदेश व तेलंगाना (23%), तमिलनाडु (15%), पंजाब (8.5%), महाराष्ट्र (8.2%) में केंद्रित है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, उत्तराखंड में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शेष राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश और पंजाब को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो अधिकांश उत्तर भारतीय राज्य क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं जबकि इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की व्यापक संभावनाएं है।

## खाद्य प्रसंस्करत उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं (Upstream and Downstream Requirements of Food Processing Industries)-

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की पूर्ववर्ती आवश्यकता का तात्पर्य इन उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने से है। अतः कच्चे माल की खोज, और उसे प्राप्त करना तथा कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता द्वारा इसे प्रसंस्करण करने वाली कंपनी तक पहुंचाना जरूरी होता है।

**प्रमुख अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स निम्नलिखित हैं**

1. कच्चे माल तक पहुंच।
2. किसानों को इस हेतु अच्छा प्रशिक्षण देना।
3. कच्चे माल जैसे अनाज, फल, सब्जियां, मांस, मछली आदि के लिए उचित भंडारण सुविधाओं का विकास करना।
4. बेहतर परिवहन सुविधाओं का विकास करना।
5. उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं विकसित करना।
6.पूरे साल भर तक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

**नीचे की अपेक्षाएं (Downstream Requirements)-**

इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में संग्रहित कच्चे माल को प्रसंस्कृत किया जाता है और फिर तैयार माल के रूप में उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अर्थात् खेत से लेकर खाने की मेज तक (From Farm to Fork approach) अर्थात् प्रसंस्कृत उत्पाद को बेचना होता है।

इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है

1. आधुनिक प्रसंस्करण एवं उत्पादन तकनीक।
2.गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं।

3.तैयार उत्पाद को भंडारण गृहों में भंडारित किया जाना।

4.खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी (Packaging)

5. परिवहन सुविधाओं के माध्यम से वितरण एजेंसियों अर्थात् थोक व खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाना और उन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना।

## गुणवत्ता परीक्षण हेतु सरकार के उपाय

**Food Safety and Standard Act-2006**

- 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक निर्धारण हेतु Food Safety and Standard Act-2006 बनाया गया, ताकि खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- इस अधिनियम के तहत 1 अगस्त 2011 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(Food Safety and Standards Authority of India का गठन किया गया।
- इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण करना, खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है। ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत होता है।
- यह विभिन्न कंपनियों के उत्पादों का पर्यवेक्षण करता है तथा मानकों का पालन करवाता है।
- यदि कोई कंपनी इन मानकों का पालन नहीं करती है तो उसके प्रोडक्ट की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि देश में किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन और बिक्री से पहले किसी भी कंपनी को FSSAI के यहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही वह अपने उत्पाद को बेच सकती है।
- कंपनी को अपने उत्पाद पर उसके बनाए जाने की तारीख एवं उसमें उपयोग में लाए गए सभी प्रकार के रासायनिक तत्वों की मात्रा का उल्लेख अपने प्रोडक्ट पर करना अनिवार्य होता है। जोकि FSSAI के द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
- ताकि उपभोक्ताओं को उचित खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की जानकारी आसानी से मिल सके।
- यदि किसी फूड प्रोडक्ट की गुणवत्ता मिलावट या मानकों में कमी की FSSAI को शिकायत मिलती है, तो अलग-अलग जगहों से उसके सैंपल लेकर इसकी जांच होती है।
- इस हेतु देश में अलग-अलग 4 जगहों ( कोलकाता, मैसूर, गाजियाबाद, पुणे) पर केन्द्रिय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है।
- इन संस्थाओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर उस उत्पाद को बाजार में बेचने या प्रतिबंध का आदेश FSSAI द्वारा जारी होता है।

## आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
## (Supply Chain Management)

- आपूर्ति श्रंखला से आशय- आपूर्ति श्रंखला कारोबार में संलग्न उन लोगों का नेटवर्क है, जो खाद्य पदार्थों के सामूहिक रूप से संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण और विपणन हेतु जिम्मेदार होते हैं।
- इसलिए आपूर्ति श्रंखला में अवसंरचना, भंडारण सुविधा, शीत भंडारण सुविधा, परिवहन के साधनों की उपयोगिता और विपणन ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

## आपूर्ति श्रंखला का महत्व-

1. आपूर्ति श्रंखला के प्रबंधन से खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में निरंतरता युक्त आपूर्ति सुनिश्चित करना संभव हो जाता है।

2. इससे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है।

3. प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातको, खुदरा कारोबारियों और उपभोक्ताओं की मांगों को भी पूरा करना संभव हो जाता है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के समक्ष मौजूद चुनौतियों - आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा चुनौतियां होती हैं। वहां पर उपलब्ध अवसंरचना अपर्याप्त और निम्न गुणवत्ता युक्त होती है। जिन लोगों के ऊपर कच्चे माल की आपूर्ति की जिम्मेदारी होती है, उनके पास कौशल, ज्ञान , पूंजी की अनुपलब्धता, सूचनाओं का अभाव, आधारभूत सुविधाओं की वंचना होती है। उन्हें कच्चे माल की कीमत कम मिलती है, जिससे वे ज्यादा सुधार भी नहीं कर पाते हैं।

**Practice Questions**

1.खाद्य प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं?

2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन-कौन से हैं?

3.खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का स्थान निर्धारण कैसे होता है? टिप्पणी कीजिए।

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं कौन-कौन सी होती है? टिप्पणी कीजिए।

5. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से क्या तात्पर्य है?

6. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं पर टिप्पणी कीजिए।

7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व पर टिप्पणी कीजिए?

8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मामले में उत्तरी भारत के राज्य क्यों पिछड़े हुए हैं?

9. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राजस्थान का भाग्य बदल सकते हैं। कैसे?

10. खाद्य प्रसंस्करण हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएं कौन- कौनसी है?

11.भारत में कृषि विपणन सुधारों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए क्या वे समुचित हैं?

12.भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएं क्या है?

13. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है? इसके उद्देश्य एवं प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

12.प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) पर टिप्पणी करें।

13. राष्ट्रीय कृषि बाजार कृषि विपणन में किस तरह क्रांति ला सकता है?

14. कृषि अवसंरचना निधि क्या है?

## खाद्य प्रबंधन
## (Food Management)

- भारत में खाद्य प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
- रियायती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है।
- यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से खाद्यान्नों की कमी को प्रबंधित किया जाता है।
- अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों से खाद्यान्नों को खरीद कर कमी वाले स्थानों पर वितरित किया जाता है।
- इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
- इससे केंद्र व राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है।

**•केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां-**

1.एमएसपी की घोषणा

2. खरीद

3.भंडारण

4.परिवहन

5राज्यों को आवंटन

**•राज्य सरकार की जिम्मेदारियां-**

1. राज्य में वितरण

2.उचित मूल्य की दुकानों का नियमन 3.लाभार्थियों की पहचान

4. लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड बनाना।

•उल्लेखनीय है कि पीडीएस की शुरुआत 2 अक्टूबर 1950 को गांधी जयंती के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्यावर (अजमेर) से की थी।

• वस्तुतः पीडीएस वह व्यवस्था है जिसके तहत कम कीमत पर देश के नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है।

•इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीयन किया तथा इसके क्रियान्वयन के लिए राज्यों का सहयोग लिया गया और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई।

• 1992 में जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया तो इनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी इन्हीं संस्थाओं पर डाल दी गई।

•अब पीडीएस में परिवर्तन किया गया और इसका नाम बदलकर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) कर दिया गया।

• इसका मुख्य उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों तक पीडीएस की पहुंच को विस्तार देना एवं प्रभावी बनाना था।

• इसके माध्यम से पीडीएस में क्षेत्रीय स्तर पर जो कमी थी। उसको दूर किया गया और पीडीएस की पहुंच को व्यापक बनाया गया।

•इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत गांव के किसी एक व्यक्ति को वितरण प्रणाली हेतु सार्वजनिक दुकान का आवंटन करती थी, जिसे राशन की दुकान कहा जाता था। जहां पर व्यक्तियों को सस्ती कीमत पर खाद्यान्न तथा गैर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

•पुनः इस योजना में वर्ष 1997 में बदलाव किया गया।

•अब इसका नाम ' लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (Targeted PDS) कर दिया गया।

• इस प्रणाली में एससी, एसटी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल व्यक्तियों को लक्षित वर्ग माना गया था।

• पहली बार टीपीडीएस में विभेदीकृत कीमत प्रणाली अपनाया गया और देश के लोगों को बीपीएल तथा एपीएल दो वर्गों में बांट दिया गया।

• इस इन बीपीएल वर्गों को सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।

• जबकि एपीएल को सामान्य कीमत पर उपलब्ध कराया गया।

•इस प्रणाली के अंतर्गत दो रंग के राशन कार्ड अस्तित्व में आए।

•BPL वर्ग के लिए लाल रंग तथा APLवर्ग के लोगों के लिए हरे रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाने लगा।

## टीपीडीएस की सीमाएं -

1.बीपीएल की सही पहचान नहीं हो पाना जिससे सब्सिडी लीकेज की समस्या उत्पन्न हुई ।

2.बीपीएल से जरूरतमंद लोगों का बहुत अधिक संख्या में बाहर होना।

3. गरीबी की परिभाषा निर्धारित नहीं हो पाना।

4. प्रशासनिक रूप से भ्रष्टाचार।

5. फर्जी बीपीएल राशन कार्ड।

6. गरीबों के खाद्यान्न की कालाबाजारी।

7. घटिया स्तर के खाद्यान्न का वितरण हुआ।

8. प्रवासी श्रमिकों को पीडीएस का लाभ नहीं मिल पाता था।

9.डीलरों द्वारा राशन कार्ड का दुरुपयोग।

उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद भी यह प्रणाली पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु चलाई

गई विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी सामाजिक योजना है।

• इसके द्वारा न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है, अपितु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

• इस योजना के कारण देश की जीवन प्रत्याशा में लगातार सुधार हुआ है।

• इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को J.A.M. से जोड़ा गया है तथा लोगों को भी इसके प्रति जागरूकता बढ रही है।

## अंत्योदय अन्न योजना

• 25 दिसम्बर 2000 को प्रारम्भ ।

• गरीबों में भी अत्यधिक गरीब लोगों को 35 किलो अनाज प्रतिमाह (दो रुपए किलो की दर से गैहूँ तथा ₹ 3 किलो की दर से चावल) उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

• इसे 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया।

•इस कानून के द्वारा देश की दो तिहाई आबादी (67%) को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।

•यह कानून पीडीएस प्रणाली से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करता है।

•इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र प्रतिव्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रतिमाह (चावल, गैहूँ तथा मोटे अनाज क्रमशः 3 , 2 तथा 1 रुपए प्रति किलो के भाव से) देने का प्रावधान किया गया हैं।

• इस अधिनियम में गर्भवती महिलाएँ तथा स्तनपान कराने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपये मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी।

• खाद्यान्न की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

• राशन कार्ड पर 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को मुखिया के तौर पर नामित करने एवं ऐसा नहीं होने पर परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को मुखिया के तौर पर नामित करने का प्रावधान किया गया है।

• यह अधिनियम अंत्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवारों को भी शामिल करता है। उन्हें पूर्व की भांति 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रतिमाह दिया जाता रहेगा।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याएं

1.एफसीआई के द्वारा विलंबित खरीद।

2. एफसीआई के गोदामों की भंडारण क्षमता अपर्याप्त।

3.एफसीआई भंडारण की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहा है।

4. परिवहन के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी/लीकेज की समस्या।

5. केंद्र सरकार द्वारा जारी सब्सिडी में आमतौर पर देरी होती है।

6. राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार।

7. उचित मूल्य की दुकानों पर भ्रष्टाचार।

8. जनता में जागरूकता की कमी।

9. लाभार्थियों की पहचान, समावेश और निष्कासन में त्रुटि।

10. छद्म लाभार्थी(Ghost beneficiary) की समस्या।

## पीडीएस की समस्या का समाधान

1. जीपीएस सक्षम वाहन का प्रयोग करके।

2.डिजिटल राशन कार्ड जो आधार से जुड़े हुए हैं।

3. लाभार्थी की पहचान की समस्या को हल करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया गया है।

4.पीडीएस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू किया जा रहा है।

5. उचित मूल्य की दुकानों के खुलने का समय s.m.s. द्वारा सूचित किया जाता है।

## PDS से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं

**1. <u>एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन -2012</u>**

**<u>2. e-PDS , 2013</u>** - सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, जिसे ई- सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है।

लाभ - राशन कार्ड/लाभार्थी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप, वर्ष 2013 से 2017 तक आधार लिंकिंग के कारण जाली कार्डों का समापन, हस्तांतरण/पलायन/मृत्यु, लाभार्थी की आर्थिक स्थिति में बदलाव और N.F.S.Act के कार्यान्वयन के दौरान, कुल 2.75 करोड़ राशन कार्ड राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा नष्ट/रद्द किये जा चुके हैं।

**<u>3.पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन -</u>**आईएम-पीडीएस पीडीएस परिचालन की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी, केन्द्रीय डाटा भंडार और केन्द्रीय निगरानी प्रणाली को कार्यान्वित करने की दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क स्थापित करने के लिये ।

**<u>4. *एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना(One Nation-One Ration Card Scheme)</u>**

•बजट 2020-21 में इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही गई।

• इस योजना के तहत पूरे भारत के लिए एक ही राशन कार्ड जारी किया जाता है।

• जिससे लाभार्थी पूरे भारत में कहीं भी लाभ प्राप्त कर सकता है।

•लाभार्थी सार्वजनिक वितरण केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-POS) पर आधार प्रमाणीकरण के बाद इस सुविधा का लाभ ले सकता है।

•हालांकि इसके लिए लाभार्थी के राशन कार्ड का आधार से लिंक होना आवश्यक है।

• लाभार्थी की पहचान राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है परंतु केंद्र सरकार के द्वारा लाभार्थियों की केंद्रीकृत सूची बनाई जाती है।

इस योजना का मुख्य लाभ प्रवासी मजदूरों को हुआ है।

देश की लगभग 37% आबादी प्रवासी श्रमिकों की है। इसलिये यह योजना उन सभी लोगों के लिये महत्वपूर्ण है,जो रोज़गार आदि कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं।

**<u>5. मार्च 2021 में 'मेरा राशन ऐप/MERA Ration App'</u>** लॉन्च किया गया।

मेरा राशन ऐप के फायदे

• इस ऐप पर राशन कार्ड होल्डर्स खुद चेक कर सकेंगे कि उनको कितना अनाज मिलेगा।

• 'मेरा राशन' ऐप के आने से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी।

• इस ऐप का फायदा खासतौर पर प्रवासी लोग कर सकेंगे, क्योंकि 'वन नेशन वन राशन कार्ड योजना' के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी और किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे।

• प्रवास पर जाने वाले लाभार्थियों को इस ऐप के जरिए यह मालूम करना आसान होगा कि उनके आसपास राशन की कितनी दुकानें हैं और कौन सी दुकान उनके सबसे ज्यादा करीब है।

• इस ऐप के जरिए लाभार्थी अपने सुझाव भी दे सकते हैं।

**(6) शांता कुमार समिति**

•भारतीय खाद्य निगम(FCI) की भूमिका और पुनर्गठन के लिए सुझाव देने हेतु अगस्त 2014 में इस समिति का गठन किया गया।

•समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2015 में सौंपी, जिसकी मुख्य सिफारिशें निम्न हैं-

A. खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की संख्या को कम किया जाना चाहिए। इनके अनुसार NFS Act. 2013 के तहत लाभार्थियों की संख्या 67% जनसंख्या को घटाकर 40% करना चाहिए।

•इसमें शामिल परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज की जगह 7 किलोग्राम अनाज दिया जाना चाहिए।

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज रोकने के लिए लाभार्थियों की सूची को ऑनलाइन करना चाहिए तथा इस पूरी व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण किया जाना चाहिए।

इस समिति के अनुसार लीकेज 40 से 50% के बीच है

• इसमें होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता समिति का गठन किया जाना चाहिए।

• किसानों से खरीदारी के स्तर से लेकर भंडारण, ढुलाई और अंत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण तक अर्थात् शुरू से अंत तक संपूर्ण खाद्य प्रबंधन प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया जाना चाहिए।

•सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्रमिक रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करना चाहिए।

•एफसीआई को लाभार्थियों को खाद्यान्नों के 'प्रोक्योरमेंट सीजन' के समाप्त होने के तुरंत बाद 6 महीनों का राशन दे दिया जाना चाहिए।

•एफसीआई को केवल न्यूनतम स्टॉक रखना चाहिए और शेष स्टॉक को खुले बाजार में बेचा जाना चाहिए

• एफसीआई को वैज्ञानिक भंडारण विधियों का उपयोग करना चाहिए।

• एफसीआई गोदाम अपर्याप्त होने की स्थिति में निजी गोदामों को उपयोग कर सकता है।

## भारतीय खाद्य निगम
## (Food Corporation of India-FCI)

•यह एक सांविधिक निकाय है।

•इसका गठन भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत किया गया।

• इसका उद्देश्य खाद्यान्न तथा अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना और इससे संबंद्ध आनुशंगिक कार्यों को देखना है।

•FCI उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

**एफसीआई के मुख्य कार्य**

• एमएसपी पर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति (खरीदारी) करना।

• ऐसे खाद्यान्नों का भंडारण करना।

•आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों को कमी वाले राज्यों में भेजना।

• भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों को जारी करना।

• सरकार के आदेशानुसार बफर स्टॉक का रखरखाव करना।

• खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए घरेलू बाजार में हस्तक्षेप करना।

### बफर स्टॉक(Buffer Stock)

• बफर स्टॉक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए और आकस्मिक आपातकालीन स्थितियों में खाद्य सुरक्षा

को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

इसके उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर बनाए रखना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना है।

**प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान(पीएम-आशा)[Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan]-(PM-AASHA)**

-किसानों के उत्पादन का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में पीएम आशा की शुरुआत की है।

•इस योजना के तहत किसानों को MSP से प्राप्त कम राशि की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।

•इस योजना का उद्देश्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से डेढ़ गुणा कर कृषकों को राहत पहुंचाना है।

• पीएम आशा के अंतर्गत किसानों से अन खरीदने के लिए निम्न तीन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

**1. मूल्य समर्थन योजना(PSS)-** • इसके तहत दलहन, तिलहन, गरी (कोपरा) सहित तमाम फसलों की सीधी खरीद केंद्र की एजेंसियों के साथ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

•खरीद खर्च की भरपाई सहित केंद्र सरकार खरीद में हुई हानि का 25% भी वहन करेगी।

**2. मूल्य न्यूनता/कमी भुगतान योजना(PDPS)**

• इसके अंतर्गत वे तिलहनी फसलें आएंगी जिनके लिए MSP का निर्धारण किया जा चुका हो।

•यदि किसानों को फसल बाजार में MSP से कम कीमत पर बेचने पड़े तो मध्य प्रदेश की 'भावांतर भुगतान योजना' की तरह ही MSP मूल्य और फसल के दाम के अंतर का भुगतान सरकार करेगी।

नोट- उपर्युक्त दोनों योजनाएं केवल सरकार से ही जुड़ी है।

**3. निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना(PPSS)**

• इसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य सरकार एमएसपी से फसल का दाम कम होने की स्थिति में कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अन खरीदने और भंडारण का अधिकार दे सकती है।

• इसका उद्देश्य खरीद और भंडारण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना है।

नोट: उपर्युक्त में से किसी भी योजना का चयन राज्य आवश्यकतानुसार कर सकती है।

# प्रभावी नियामक की समस्या

प्रभावी नियामक की समस्या से तात्पर्य नियामक संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियामक मानकों के क्रियान्वयन में कमी या उनका उचित अनुपालन नहीं होने से है।

पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के बाद भी नीति व नियमों का निर्माण करने वाले प्रभावी तंत्र का अभाव देखा गया है। इसे ही प्रभावी नियामक की समस्या कहते हैं।

**वस्तुतः किसी देश में प्रभावी नियामक की समस्या निम्न कारणों से होती है-**

1. प्रभावी नियामक मानकों का अभाव।
2. नीतिगत प्रक्रिया का अकुशल संचालन।
3. नियमों का अप्रभावी क्रियान्वयन।
4. नियमों के क्रियान्वयन में राजनीतिक हस्तक्षेप।
5. प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव।
6. अंतरराष्ट्रीय दबाव में घरेलू नियामक संस्था प्रभावी कदम नहीं उठा पाती है।
7. सरकारी विभागों में आधुनिकता का अभाव।
8. नियामक मानकों की प्रभावी समीक्षा ना होना।
9. विशेषज्ञों व पेशेवरों का अभाव।
10. कई नियामक संस्थाओं को वैधानिक दर्जा न मिल पाना ।
11. विभिन्न नियामक संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियाँ ना मिलना
12. नियामक संस्थाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त होना।
13. प्रशासनिक अधिकारियों की अकुशलता।
14. सरकारों द्वारा बदलते समय के अनुसार प्रभावी नियामकीय कानूनों का ना बनाना।

## भारत में प्रमुख नियामक संस्थाएं-

**1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(SEBI)**

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में काम करती है।
- इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, तथा 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम-1992 के अनुसार इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
- इसकी वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती माधबी पुरी बुच है।

**2. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)**

- यह एक सर्वोच्च स्वायत्त सांविधिक निकाय है, जो भारत में बीमा उद्योग का विकास एवं विनियमन करता है।
- इसकी स्थापना 'बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999' द्वारा की गई थी।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।
- इसके अध्यक्ष श्री देबशीष पांडा है।

**3. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)**

- कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक संस्था है।
- यह भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को दिल्ली में हुई है ।
- इसके चेयरमैन श्री अशोक कुमार गुप्ता है।
- यह प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाई गई संस्था है।

**4. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)**

- यह भारत में दूरसंचार कारोबार के विनियमन हेतु एक स्वतंत्र विनियामक संस्था है।
- यह देश में दूरसंचार के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के लिए विनियामक का काम करती है।
- इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तथा उचित और पारदर्शी नीति व वातावरण प्रदान करना है, जो सभी सेवा प्रदाताओं के

लिए समान अवसरों को प्रोत्साहित करें ताकि नागरिकों को बेहतर दूरसंचार सेवाएं प्राप्त हो सके।

• इसकी स्थापना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत 20 फरवरी 1997 को हुई थी।

• इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

• इसके अध्यक्ष डॉ. जे. एस. शर्मा है।

**5. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ASCL)**

• यह भारत में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार के विज्ञापनों के लिए नियामक की भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना 1985 में हुई।

यह एक स्व-नियामक (स्वैच्छिक) संगठन है। इसकी स्थापना विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन एजेंसियों, मीडिया और संबंध व्यवसायियों ने मिलकर की है।अर्थात् यह एक गैर सरकारी निकाय है।

• इसका उद्देश्य विज्ञापन में जनता के विश्वास को बनाए रखना और बढ़ाना है।

• यह विज्ञापनों में कानूनी, सभ्य, ईमानदारी,निष्पक्षता और सत्यता पर बल देता है।

भ्रामक, खतरनाक या हानिकारक विज्ञापनों पर रोक लगाने संबंधी शिकायतों का निपटान करता है।

• इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।

• इसके अध्यक्ष श्री सुभाष कामत हैं।

**6. भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI)**

यह भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए एक समान तथा उच्च मानकों की स्थापना करने के उद्देश्य से स्थापित की गयी एक नियामक की संस्था है।

• यह चिकित्सा संबंधित व्यवसाय के लिए आवश्यक मानदंडों को सुनिश्चित करती है।

• जन स्वास्थ और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा उनकी निगरानी के लिए भारत में कार्य करने वाले चिकित्सकों का पंजीकृत करने वाली संस्था है।

• इसकी स्थापना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1933 के तहत 1934 में हुई थी।

• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। •इसके अध्यक्ष डॉ जयश्रीबेन मेहता है।

**7.पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA)**

• यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी है।

• यह भारत में पेंशन संबंधी मामलों का नियमन करती है।

• इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को हुई।

• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

• यह एक सांविधिक निकाय है।

• इसके चेयरमैन श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय हैं।

**8. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)**

• यह देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक एकल नियामक के रूप में कार्य करेगा।

• इसके चार निकाय होंगे।

A. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद्- विनियमन के लिए।

B.सामान्य शिक्षा परिषद्- मानक सेटिंग के लिए।

C.राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद्- मान्यता प्रदान करने के लिए।

D.उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद्- वित्तपोषण के लिए।

**9. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)-**

• इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।

• इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था।

• यह भारत में मुद्रा बाजार का नियमन करता है।

इसका मुख्यालय मुंबई में है।

• इसके वर्तमान गवर्नर श्री शक्तिकांत दास है।

**प्रभावी नियामक के लाभ-**

1. प्रभावी नियामक से संसाधनों का अनुचित उपयोग रुकता है।

2. कानून व प्रशासनिक तंत्र प्रभावी तरीके से काम कर पाता है।

3. निजी क्षेत्र की मनमानी पर रोक लगती है।

4. उपभोक्ताओं व नागरिकों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की प्राप्ति होती है।

5. देश में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता बढ़ती है तथा कानून का शासन स्थापित होता है।

6. निजी कंपनियों व व्यापारियों के शोषण से मुक्ति मिलती है।

## नियामक राज्य की आवश्यकता क्यों होती है?

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है। जिसमें सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन गतिविधियों का संचालन करते हैं। 90 के दशक तक सरकार उत्पादन गतिविधियों में प्राथमिक भूमिका में थी। किंतु 90 के दशक के बाद सरकार उत्पादक के स्थान पर प्रेरक राज्य की भूमिका में आ गई।

•आर्थिक गतिविधियों में जब सरकार की भूमिका उत्पादक से प्रेरक राज्य के तौर पर होती है तो राज्य नियंत्रक के स्थान पर नियामक राज्य के तौर पर काम करने लगता है।

अर्थात् अब आर्थिक गतिविधियों में सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारीता घटती है और वह आर्थिक गतिविधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने, ग्राहकों, निवेशकों आदि के हितों को सुनिश्चित करने हेतु एक विनियामक राज्य के तौर पर काम करता है।

भारत में 1990 के बाद उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे बड़े आर्थिक सुधारों के साथ ही राज्य की नियामकीय स्थिति मजबूत होने लगी।

## प्रभावी नियामक की जरूरत निम्न कारणों से होती है-

**1. बाजार की विफलता को रोकने हेतु-**

बाजार की विफलता, बाजार में एकाधिकार के कारण होती है। जब एक कंपनी बाजार को नियंत्रित कर रही होती है। तब सरकार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का काम करती है तथा गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधियों पर रोक लगाती है।

जैसे शेयर बाजार के रेगुलेशन हेतु सेबी, टेलीकॉम के रेगुलेशन हेतु ट्राई, बीमा क्षेत्र के रेगुलेशन हेतु आईआरडीएआई, बैंकिंग क्षेत्र के रेगुलेशन हेतु आरबीआई सरकार की ओर से नियामक संस्था के तौर पर काम करते हैं।

**2. गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहारों को नियंत्रित करने तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनेके लिए।**

सरकार बाजार में एक सक्षम वातावरण बनाती हैं, जहां सभी के पास आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर हो।

इस हेतु सरकार निम्नलिखित पर बल देती है।

- अनुचित व्यवहारों को रोकती है।
- आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी और भेदभाव रहित बनाती है।

**3. जनहित को बढ़ावा देना-** सभी आर्थिक गतिविधियों में जनहित को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे- जीवन स्तर में सुधार, संसाधनों का उचित वितरण और पहुंच।

**4. अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों पर रोकथाम हेतु।**

## आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनर्भाषित करना-

आर्थिक विकास एक बहुआयामी व गुणात्मक अवधारणा होती है। जिसमें आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ देश में राजनीतिक, सामाजिक- सांस्कृतिक विकास पर बल दिया जाता है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बीमारियों, अशिक्षा आदि की समाप्ति पर बल दिया जाता है।

•आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।

- आर्थिक विकास के लिए राज्य संसाधनों का प्रबंधन करता है, तकनीकी व कौशल विकास प्रदान करता है।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 90 के दशक तक राज्य आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता था। क्योंकि राज्य उत्पादक व नियंत्रक के रूप में होता था।
- किंतु विकास के बदलते प्रतिमान व LPG के लागू होने के बाद आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को सीमित किया गया है।
- अब राज्य आर्थिक विकास में मुख्य उत्पादक, निवेशक व नियंत्रक की भूमिका में ना होकर नीति निर्माणकर्ता, नीति क्रियान्वयनकर्ता, नियामक व प्रेरक राज्य की भूमिका में रह गया है।

# आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका

आर्थिक गतिविधियों से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, व्यापार तथा विकास कार्यों के संचालन से है।

उपर्युक्त आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका बहुत अधिक मायने रखती है, किंतु सरकार की आर्थिक गतिविधियों में कितनी भूमिका होगी? यह उस देश की आर्थिक प्रणाली(Economic System) से तय होता है।जैसे-

पूंजीवादी देशों में आर्थिक गतिविधियों में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है या बहुत नगण्य भूमिका होती है। जबकि समाजवादी देशों की आर्थिक गतिविधियों में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है।

क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है। अतः देश में संपन्न होने वाली आर्थिक गतिविधियों में सरकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका होती है।

1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवाद की ओर था। तब सरकार की भूमिका आर्थिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा होती थी। परंतु 1991 के बाद अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवाद की ओर हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका लगातार कम होती जा रही है।

**<u>इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं-</u>**

1. 1947 से 1991 तक सरकार नियंत्रक के रूप में काम करती थी।
2. 1991 से 2014 तक सरकार नियामक(Regulator) के रूप में काम कर रही थी।
3. जबकि 2014 से के बाद आर्थिक गतिविधियों में सरकार प्रवर्तक, सहयोगी, प्रेरक की भूमिका में आ गई। अब सरकार "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" (Minimum Government, Maximum Governance ) पर बल दे रही है।

**आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका को निर्धारित करने में आर्थिक प्रणाली के अलावा निम्नलिखित कारक भी प्रभावित करते हैं-**

1. अर्थव्यवस्था के विकास की प्रकृति और अवस्था।
2. निजी क्षेत्र का व्यवहार।
3. राजनीतिक विचारधारा।
4. सामाजिक अभिवृत्ति।
5. प्रशासनिक व्यवस्था ।
6. अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ।
7. समाजवादी समाज की स्थापना
8. संतुलित आर्थिक विकास

## अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका-

A. योजनाकर्ता
B. नीति निर्माता
C. नियामक
D. लोक कल्याण
E. नियंत्रक
D. प्रोत्साहक
E. उद्यमी
F. परिवर्तनकर्ता
D. सेवा प्रदाता

**<u>A. नीति निर्माता के रूप में सरकार की भूमिका</u>**

सरकार कृषि, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नीतियाँ बनाती है।

- सरकार अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति तथा मूल्य नीति का निर्माण करती है।

**B. एक नियामक के रूप में सरकार की भूमिका-**

नियामक के रूप में सरकार आर्थिक गतिविधियों में तीन मुख्य बातों पर बल देती है-

**1. बाजार की विफलता को रोकना-**

बाजार की विफलता बाजार में एकाधिकार के कारण होती है। जब एक कंपनी बाजार को नियंत्रित कर रही होती है। तब सरकार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का काम करती है तथा गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधियों पर रोक लगाती है। जैसे शेयर बाजार के रेगुलेशन हेतु सेबी, टेलीकॉम के रेगुलेशन हेतु ट्राई, बीमा क्षेत्र के रेगुलेशन हेतु आईआरडीएआई, बैंकिंग क्षेत्र के रेगुलेशन हेतु आरबीआई सरकार की ओर से नियामक संस्था के तौर पर काम करते हैं।

**2. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना-**

सरकार बाजार में एक सक्षम वातावरण बनाती हैं, जहां सभी के पास आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर हो।

इस हेतु सरकार निम्नलिखित पर बल देती है।

- अनुचित व्यवहारों को रोकती है।
- आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी और भेदभाव रहित बनाती है।

इस हेतु भारत में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग(CCI) की स्थापना की गई।

**3. जनहित को बढ़ावा देना-** सभी आर्थिक गतिविधियों में जनहित को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे- जीवन स्तर में सुधार, संसाधनों का उचित वितरण और पहुंच।

**C. प्रोत्साहक( प्रमोटर) के रूप में सरकार की भूमिका-** आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रेरक के तौर पर बड़ी भूमिका निभाती है। इस हेतु देश में बेहतर आर्थिक वातावरण का निर्माण करती है। जैसे-

1. सरकार वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा,मानव संसाधन, स्वास्थ्य सेवाएं आदि। आधारभूत संरचना किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र परिवहन के साधनों (रेल, सड़क, वायु, जहाजरानी, अंतर्देशीय जलमार्ग) ऊर्जा, जल, ईंधन,कच्चा माल, अपशिष्ट प्रबंधन,शिक्षा आदि पर निर्भर है।

इन सभी के निर्माण में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

2. विकास कार्यों के लिए वित्त प्रदान करती है।
3. कर कटौती करके प्रोत्साहन देती हैं।
4. छोटे उद्योगों की सहायता करते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देती हैं।
5. मित्रवत नौकरशाही की संकल्पना पर बल देकर कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करवाती हैं।

**D. नियंत्रक के रूप में सरकार सरकार की भूमिका-**

सरकार विभिन्न क्षेत्रों जैसे श्रम, भूमि अधिग्रहण आदि के लिए कानून और नियम बनाती है।

- विभिन्न व्यवसाय व आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करती है।
- विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुमति देती है।
- निर्यात-आयात और विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करना।

**E. जनकल्याण के लिए सरकार की भूमिका-**

सरकार सामाजिक न्याय व लोक कल्याण को बढ़ाने हेतु अनेक कार्य करती है। जैसे- भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, गरीबी समाप्त करना, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार के मुख्य उद्देश्य है।

यह कमजोर वर्गों के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है।

**F. योजनाकर्ता के रूप में सरकार की भूमिका-** एक योजनाकर्ता के रूप में सरकार अर्थव्यवस्था को दिशा प्रदान करती है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करती है। सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि क्या उत्पादन करना है? कितना उत्पादन करना है? उत्पादन कौन करेगा? उत्पादन कहा किया जाएगा? और किसे आवंटित किया जाएगा?

इस हेतु 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई।

योजनाओं के माध्यम से सरकार आय और संपत्ति के असमान वितरण की समस्या को हल करने का प्रयास करती है।

वर्तमान में योजनाकर्ता के रूप में सरकार की भूमिका सीमित हो गई है। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई है।

**G. उद्यमी के रूप में सरकार की भूमिका-** उद्यमी के रूप में सरकार अनेक केंद्रीय, राज्य या संयुक्त उद्यमों का संचालन करती है।

इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-

1. ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना जहां निजी निवेश उपलब्ध नहीं हो पाता है।
2. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नियंत्रित करना।
3. सस्ती व गुणवत्ता पूर्वक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना।
4. सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना।
5. आर्थिक असमानता को दूर करना।
6. सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना।

**H. आर्थिक संवृद्धि के लिए कानूनों का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन करने में सरकार की भूमिका-** देश की विभिन्न आर्थिक आवश्यकताओं के लिए सरकार, विधायिका में कानूनों का निर्माण करवाती है तथा विधायिका द्वारा पारित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती है।

**महत्वपूर्ण प्रश्न**

Q.1. अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका किन- किन क्षेत्रों में होती है? टिप्पणी करें। (50शब्द)

Q.2. आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए।(100 शब्द)

Q. 3. आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका के विस्तार के कारण लिखिए?(50 शब्द)

Q. 4. आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका बढ़ाने वाले कारकों पर प्रकाश डालें।(50शब्द)

Q.5. नियामक के तौर पर सरकार की भूमिका स्पष्ट करें।(50शब्द)

## सार्वजनिक,निजी एवं मेरिट वस्तुएं-

**सार्वजनिक वस्तुएं(Public Goods)-** वे वस्तुएं एवं सेवाएं जिन्हें सामूहिक रूप से समाज/नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है,सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती है। जैसे- सार्वजनिक सड़क, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक पार्क, न्याय व्यवस्था, देश की सुरक्षा, पुलिस- प्रशासन, शान्ति इत्यादि।

समाज के किसी भी व्यक्ति द्वारा इन वस्तुओं या सेवाओं से लाभान्वित होने पर शेष अन्य व्यक्तियों के लिए इनकी मात्रा में कमी नहीं आती है।

- यही कारण है कि ऐसी वस्तुओं को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
- भारत में सरकार बजट के माध्यम से सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराती है।
- इन सार्वजनिक वस्तुओं की चार विशेषताएं होती हैं-

**1. गैर प्रतिद्वंदिता -** अर्थात् किसी एक व्यक्ति के उपभोग से अन्य व्यक्तियों के लिए इन वस्तुओं की

उपलब्धता में कमी नहीं होती है। जैसे टीवी सिग्नल, राष्ट्र की सुरक्षा, पार्क में घूमना,

**2. गैर अपवर्जिता -** अर्थात् किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु के उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसी राष्ट्र की सुरक्षा, एक सार्वजनिक सेवा है और यह सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

**3. अविभाज्य -** सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग एक साथ किया जाता है। अर्थात् इन्हें अलग-अलग प्राप्त नहीं किया जा सकता। बल्कि संयुक्त रूप से ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि सभी नागरिकों को इनका समान लाभ प्राप्त होता है। जैसे पार्क के समीप रहने वाले व्यक्तियों को पार्क से दूर रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

**4. सरकार द्वारा वित्त प्रबंधन-** सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण के लिए खर्च सरकार के द्वारा किया जाता है। इन वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन सिद्धांत (Theory of Excludiability- पैसों के बदले में वस्तु या सेवा मिलना) का लागू नहीं होता है अर्थात् पैसे देकर इन वस्तुओं को बाजार में क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है।

## विचारक-

सेम्युलसन(Samuelson)- के अनुसार 'सामाजिक वस्तु एक ऐसी वस्तु है, जिसका सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि , किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी लाए बिना ही होती है।'

मसग्रेव(Musgrave)- के अनुसार सार्वजनिक वस्तुएँ वे हैं जिनका लाभ अप्रतिद्वंदी ढंग(Non rival) से उपलब्ध होता है। इस प्रकार X के लाभ में हिस्सा लेने से Y के लाभ में हस्तक्षेप नहीं होता है।

## निजी वस्तुएं ( Private Goods)-

वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जो लोगों द्वारा निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग की जाती है। जैसे- खाद्य पदार्थ, स्वयं का आवास, मनोरंजन/सिनेमा, परिवहन, संचार/मोबाइल इत्यादि।

इनकी विशेषताएँ निम्न होती है-

1• ये प्रतिद्वंदिता युक्त (Competitive) होती है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग करता है, तो अन्य के लिए उपलब्धता कम हो जाती हैं।

2• समाज के जिन व्यक्तियों द्वारा इन वस्तुओं को खरीदा जाता है, केवल वही इसके उपभोग से लाभान्वित होते हैं। अर्थात् यहां विभाज्यता का नियम लागू होता है।

यही कारण है कि इनका वितरण प्रभावपूर्ण मांग एवं बाजार कीमतों पर निर्भर होता है। इनका उत्पादन मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

3• इन पर अपवर्जन का सिद्धांत (Theory of Excludiability) लागू होता है। अर्थात् इनका मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है और इनका क्रय-विक्रय होता है। इनकी एक निश्चित कीमत होती है और इनका उपभोग करने के लिए यह कीमत अदा करनी होती है।

4• इन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वित्त का प्रबंधन करना होता है।

## विचारक-

प्रोफेसर रिचर्ड एबेल मसग्रेव के अनुसार निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, जो उपभोग में प्रतिद्वंदी होती है। यदि किसी विशेष वस्तु को X व्यक्ति ने उपभोग कर लिया है तो Y व्यक्ति उसके उपभोग से वंचित हो जाता है।

## मेरिट या उत्कृष्ट वस्तुएँ ( Merit Goods)-

वे वस्तुएँ जो समाज की कार्यकुशलता तथा दक्षता के लिए आवश्यक है, मेरिट वस्तुएँ कहलाती है।

अथवा

सरकार जिन वस्तुओं के उपभोग को जनहित के लिए बढ़ाना आवश्यक समझती है, वें मेरिट वस्तुएँ कहलाती है।

• इन वस्तुओं को सरकार लोगों की इच्छाओं पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से उपलब्ध कराती है। इनका उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ावा देना होता है।

• ऐसी वस्तुएँ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती हैं।

• ये वस्तुएं समाज के विशेष वर्ग के लिए उपलब्ध कराई जाती है ना कि सभी नागरिकों को। जैसे- सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराना, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क ईलाज, मिड डे मील, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण युक्त भोजन, निःशुल्क दवाइयाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी स्कूलों में शिक्षा, पब्लिक लाइब्रेरी कोविड-19 वैक्सीन

वस्तुतः सरकार के द्वारा ये वस्तुएँ उन लोगों को उपलब्ध कराई जाती है,जो इन्हें वहन नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है।

मेरिट वस्तुओं व सामाजिक वस्तुओं में अंतर- मेरिट वस्तुओं का लाभ समाज के किसी खास वर्ग को होता है, जबकि सामाजिक वस्तुओं का लाभ संपूर्ण समाज को होता है।

• मेरिट वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन सिद्धांत लागू हो सकता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता है।

• इनसे लाभार्थियों को संतुष्टि की मात्रा अलग-अलग हो सकती है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं द्वारा सबको समान संतुष्टि मिलती है।

## गैर मेरिट वस्तुएँ (Non Merit Goods)-

ऐसी वस्तुएँ, जिनके उपयोग को सरकार समाज के लिए हानिकारक समझती है तथा उन पर या तो रोक लगाती है या इन पर अत्यधिक टैक्स लगाती है। ताकि लोग इनका उपभोग कम कर पाएं। जैसे- शराब, गांजा, अफीम, अन्य ड्रग्स, जुआ के अड्डे, वायलेंट फिल्म, पॉर्न मूवी, ब्लू व्हेल, पब्जी/PUBG, गुटखा, सिगरेट आदि।

**प्रश्न-**

1• सार्वजनिक वस्तु की अवधारणा स्पष्ट कीजिए।

2• निजी वस्तुओं से क्या तात्पर्य है?

3• मेरिट वस्तुएँ क्या होती है?

4• अपवर्जन सिद्धांत क्या है?

5• उत्कृष्ट वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं में क्या अंतर होता है?(50शब्द)

6• सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएँ लिखिए। (50शब्द)

7• सार्वजनिक वस्तुओं तथा निजी वस्तुओं के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।(100 शब्द)

8• उत्कृष्ट वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? उत्कृष्ट वस्तुओं की विशेषता लिखिए। और ये सार्वजनिक वस्तुओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? स्पष्ट कीजिए।(100 शब्द)

# E- Commerce

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को शॉर्ट फॉर्म में ई-कॉमर्स कहा जाता है।

यह ऑनलाइन व्यापार करने का एक तरीका है।

इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री की जाती है।

or

इंटरनेट से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री ई-कॉमर्स कहलाता है।

यह कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अन्य स्मार्ट उपकरणों पर आयोजित किया जाता है।

आज ई-कॉमर्स के जरिए लगभग कुछ भी खरीदा जा सकता है।

## ई-कॉमर्स के मॉडल

1. B to B 2. B to C 3. C to B
4. C to C 5. B to G 6. G to G

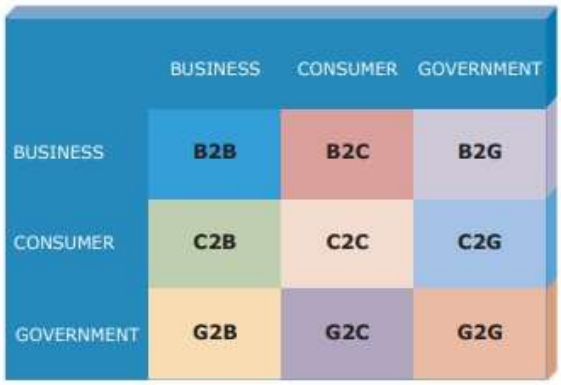


**1. (बिजनेस टू बिजनेस)-**

•इसमें लेनदेन दो कंपनियों के बीच होती है।

• जैसे यदि कोई कंपनी खुद कोई उत्पाद नहीं बनाती है और किसी अन्य कंपनी से उत्पाद खरीदती है तो वह B2B के अंतर्गत आता है।

उदाहरण : अलीबाबा, अमेजॉन बिजनेस , इंडियामार्ट आदि।

**2. बिजनेस टू कंजूमर (B2C) –**

• इसमें लेनदेन एक कंपनी व उपभोक्ता के बीच होता है।

• यह ई-कॉमर्स का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है।

• जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से उपभोक्ता सीधे उत्पाद खरीदता है और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार से सेवाएं खरीदते हैं।

**3. कंजूमर टू बिजनेस(C2B)-**

• यह B2C मॉडल के विपरीत है।

• इसमें लेनदेन व्यक्ति व व्यवसायी के बीच होता है।

• जैसे एक कंपनी अपनी वेबसाइट बनाने हेतु या कोई काम कराने हेतु ऑनलाइन किसी व्यक्ति को आर्डर देती है और उसी व्यक्ति द्वारा सही कीमत पर वेबसाइट बनाना या काम किया जाता है, तो यह B2C मॉडल कहलाता है।

**4. कंजूमर टू कंजूमर (C2C)-**

• इसमें लेनदेन दो उपभोक्ताओं/ व्यक्तियों के बीच होता है।

• जैसे quikr, e-bay, OLX जैसी साइट पर एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को कोई उत्पाद अथवा सेवा बेचता है।

**5. बिजनेस टू गवर्नमेंट(B2G)-**

• इसमें लेनदेन कंपनी व सार्वजनिक प्रशासन/ सरकार के बीच ऑनलाइन माध्यम से होता है।

• यह सामान्यतः वित्त, कानूनी दस्तावेज, रजिस्ट्रार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित होता है।

**6. कंजूमर टू गवर्नमेंट(C to G)-**

• इसमें उपभोक्ता व सरकार के बीच किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन शामिल किए जाते हैं।

• जैसे कर का भुगतान करना, स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान करना, दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना इत्यादि।

भारत में, तीन प्रकार के ई-कॉमर्स व्यवसाय मॉडल हैं

## 1.ई-कॉमर्स का इन्वेंटरी बेस मॉडल-

एक एसी ई-कॉमर्स गतिविधि है जहां वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंट्री का स्वामित्व ई-कॉमर्स इकाई के पास होता है और इसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है।

### 2. ई-कॉमर्स का मार्केटप्लेस बेस मॉडल-

इसका मतलब खरीदार और विक्रेता के बीच एक सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक ई-कॉमर्स इकाई द्वारा एक सूचना प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करना है।

### 3. हाइब्रिड मॉडल-

इन्वेंट्री आधारित और मार्केटप्लेस मॉडल दोनों से बना है।

## ई-कॉमर्स के लाभ

**A. उपभोक्ताओं को निम्न लाभ होते हैं-**

- कम कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता होती है।
- किसी भी देश से वस्तु व सेवाएं आसानी से मंगवायी जा सकती है।
- किसी भी समय, किसी भी स्थान से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की जा सकती है।
- वस्तुओं व सेवाओं की तुलना आधारित खरीदारी संभव।
- उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त होता है जिससे उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
- रिव्यू , रेटिंग तथा फीडबैक की सुविधा उपलब्ध होती है।

**B. व्यापारियों को होने वाले लाभ**

- व्यापार की पहुंच बढ़ती है।
- व्यापार की लागत कम होती है।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता है।
- अवसंरचनाओं के निर्माण की लागत कम होती है।

**C. सरकार को लाभ**

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
- निवेश आकर्षित होता विशेषकर विदेशी निवेश।
- रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।
- आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है, जिससे जीडीपी में वृद्धि होती है।
- सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होती है, क्योंकि कर चोरी संभव नहीं हो पाती।

## ई-कॉमर्स की चुनौतियाँ-

- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कमजोर होना।
- डिजिटल साक्षरता का अभाव।
- वित्तीय समावेशन की अपूर्णता।
- छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।
- ऑनलाइन धोखाधड़ी (खराब उत्पाद, पैसे की ठगी)।
- प्रभावी सरकारी नीतियों व कानूनों का अभाव।

| PREVIOUS YEAR QUESTIONS |
|---|
| Q. ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं? (20 शब्द) |
| Q. ई-कॉमर्स तथा ई-गवर्नेंस में क्या अंतर है?(20 शब्द) |
| Q.ई-कॉमर्स के लाभ क्या है? (50शब्द) |
| Q. ई-कॉमर्स से क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न प्रतिमानो पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। (100 शब्द) |
| Q. ई-कॉमर्स का अर्थ समझाते हुए इसके लाभ व हानियों पर प्रकाश डालें। (100 शब्द) |
| Q आपके विचार से ई-कॉमर्स किस तरह से भारत के ऑनलाइन बाजार का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करेगा और इसे वास्तव में समावेशी बना देगा? (100 शब्द) |
| |

# नयी शिक्षा नीति-2020

•यह शिक्षा नीति के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर जारी की गई।

• इसमें 21वीं सदी के लिए योग्य कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहन करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य-4 (2030) के अनुरूप है। यह भारत में शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्रचना का इरादा रखता है।
कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें
SDG Goal-4 = Quality Education

## Evolution of Education Policy

- University Education Commission (1948-49)
- Secondary Education Commission (1952-53)
- Education Commission (1964-66) under Dr. D.S. Kothari.
- First National Policy on Education, 1968
- (Dr. D.S. Kothari)-PM- Smt. Indira Gandhi
- 42nd Constitutional Amendment,1976-Education in Concurrent List.
- Second National Policy on Education (NPE), 1986-
- (Acharya Ramamurti)-PM- shri Rajiv Gandhi
- Dr. K. Kasturirangan Committee Report (31 May, 2019)
- Third National Policy on Education (NPE), 2020,
- (Dr. K. Kasturirangan Committee)-PM-shri Narendra Modi

## नयी शिक्षा नीति-

• नयी शिक्षा नीति में अब छात्र अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे और एग्जाम भी उसी भाषा में दे पाएंगे।

• भारत की अन्य प्राचीन भाषा जैसे संस्कृत को पढ़ने का भी ऑप्शन दिया गया है।

• अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गयी है।

• अब से शैक्षिक सत्र में छात्रों को तकनीकी ज्ञान देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें कक्षा 6 से ही कोडिंग आदि सिखायी जाएगी और इंटर्नशिप भी करायी जाएगी।

• नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा GDP का 6 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया जाएगा।

• नयी शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को अपने विषय का चुनाव स्वयं करने का अधिकार होगा। छात्रों को पहले की तरह आर्ट्स , साइंस और कॉमर्स में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा। वो चाहे तो इन तीनों ही स्ट्रीम्स से विषय चुन सकते हैं।

• नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। इस सम्बन्ध में उन्हें पढ़ने की सामग्री अब ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी।

**Q.राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या है ?**
उत्तर- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को ख़त्म कर उनके सर्वांगीण विकास को महत्व देना है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक सालों के दौरान ही उनमे किसी विषय को बिना दबाव के समझने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

## नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे अलग

-अलग चरणो में लागू किया जाएगा।

• नयी नीति के तहत अब शिक्षण व्यवस्था 5 +3 +3+4 की प्रक्रिया में होगी। ये पुरानी प्रक्रिया 10 +2 के आधार से अलग है।

• नयी शिक्षा नीति के तहत 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

## इसके कुल चार चरण होंगे।

**1.फाउंडेशन स्टेज/मूलभूत चरण-(पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 व 2)(5 वर्ष)**

अब प्री- प्राइमरी एजुकेशन को भी अब फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा। यानी अब 3 से 6 वर्ष के बच्चे भी शिक्षा

व्यवस्था का भाग होंगे।

• इस उम्र तक बच्चों के मस्तिष्क का सही विकास और शारीरिक वृद्धि हो सके इस बात को ध्यान में रखकर नयी नीति में उनके लिए पाठ्यक्रम में खेल कूद व अन्य गतिविधियाँ रखी हैं।

**2.प्रेपरेटरी स्टेज (3 वर्ष)-**

अगले चरण को प्रिपरेटरी स्टेज नाम दिया गया है,जहाँ बच्चों को आगे के पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया जाएगा। इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 8 से 11 वर्ष के बीच हो सकती है।

• कक्षा 3 से अब परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी।

• इन कक्षाओं के छात्र अपनी मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा में भी पढाई कर सकते हैं। यही नहीं वो चाहें तो परीक्षा भी स्थानीय या मातृभाषा में दे सकते हैं।

• नयी शिक्षा नीति के तहत ये कदम यही सोच के उठाया गया है की अपनी भाषा में ज्ञान अर्जित करना ज्यादा रोचक व सरल होता है। इसके चलते विद्यार्थियों को दिया ज्ञान ज्यादा प्रभावी और कारगर होता है।

• अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है और इसे एक विषय के रूप में अब भी पढ़ाया जाएगा। हालाँकि जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के इच्छुक हों उनके लिए भी ऑप्शन है।

• इस स्टेज में छात्रों को संख्यात्मक कौशल व भाषा का मूलभूत ज्ञान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कक्षा..... तक का पाठ पढ़ा सकेंगे।

ए. ग्रेड 3 बी. ग्रेड 4

सी. ग्रेड 5 डी. इनमें से कोई नहीं

**3.मिडिल स्टेज (3 वर्ष)**

इस स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी आएँगे, जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच हो सकती है।

• इस कक्षा से अब कंप्यूटर ज्ञान और कोडिंग की जानकारी दी जाने लगेगी। सभी को आवश्यक रूप से रूचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उसके बाद इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। इसके लिए उन्हें मार्क्स भी मिलेंगे। इस तरह से प्रशिक्षण के साथ साथ उनमें व्यावहारिक समझ भी विकसित की जाएगी।

• इस चरण में बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कोई भी एक भारतीय भाषा ( जैसे क्षेत्रीय भाषा ) का भी आवश्यक रूप से ज्ञान दिया जाएगा।

NEP 2020 ने स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार के साथ इंटर्नशिप के लिए बैगलेस अवधारणा पेश की, इस व्यावसायिक गतिविधि में कौन सा वर्ग समूह भाग लेगा?

A.ग्रेड 6-8 B. ग्रेड 5-8

C.ग्रेड 7-8 D.ग्रेड 8-9

**4.सेकेंडरी स्टेज (4 वर्ष )-**

• इस स्टेज में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र आएँगे, जिनकी उम्र सीमा 14 से 18 वर्ष हो सकती है।

• नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को परीक्षा सेमेस्टर वाइज देना पड़ेगा। जबकि पहले परीक्षा सालभर में एक बार होती थी।जिस से बच्चे परीक्षा से पहले के तीन महीने पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सालभर में दो परीक्षाएं होने से छात्रों को अध्ययनरत रहना होगा।

•अब छात्रों को आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में से किसी एक स्ट्रीम को ही पढ़ने की बाध्यता ख़त्म कर दी गयी है।

छात्र चाहें तो साइंस , कॉमर्स के विषय के साथ आर्ट्स के विषय भी ले सकते हैं। हालंकि इसके लिए विषयों के पूल बनाये जाने की भी व्यवस्था की जाएगी ।

**Q. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 5 + 3 + 3 + 4 फॉर्मेट क्या हैं ?**

उत्तर- नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 के चार चरण हैं। फाउंडेशन स्टेज जो 5 वर्षों का होगा (पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 व 2 )

2. प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 वर्षों का होगा।
   ( ग्रेड 3 से 5 )
3. मिडिल स्टेज भी 3 वर्षों का होगा
   (ग्रेड 6 से 8 तक )
4. सेकेंडरी स्टेज 4 वर्षों का होगा
   (ग्रेड 9 से 12 तक )

## मूल्यांकन

•विद्यार्थियों का मूल्यांकन अब पहले की तरह नहीं किया जाएगा। नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत अब उनका रिपोर्ट कार्ड नयी प्रक्रिया से तैयार होगा।

• किसी भी छात्र को फाइनल रिपोर्ट कार्ड पर अंक देते हुए उसके ओवरआल परफॉरमेंस को देखा जाएगा। उसका व्यवहार, उसकी एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टिविटीज में भागीदारी व प्रदर्शन, तथा उसकी मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। अब से रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा , जिसमे विषय पढ़ाने वाले अध्यापक के साथ-साथ छात्र अपना व अपने सहपाठियों का विश्लेषण कर खुद को और सहपाठियों को भी अंक देंगे।

## कॉलेज में एडमिशन

अब से कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर छात्रों को 12 वीं के मार्क्स के आधार पर (कटऑफ के बेस पर) मनपसंद कॉलेज में सीधे एडमिशन नहीं मिलता है तो वो छात्र CAT (कॉमन एप्टीट्युड टेस्ट ) एग्जाम दे सकते हैं। फिर 12 वीं तथा कैट एग्जाम के अंक मिलाकर वे अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का अवसर पा सकते हैं।

## मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन की पढाई को अब 4 और 3 साल के टाइम पीरियड में बांटा गया है।

• जिसमे अब "मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट" की सुविधा दी गयी है। इसके तहत अगर कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन की डिग्री की पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़कर जाता है या किसी कारणवश अपनी पढाई पूरी नहीं पाता तो उसे एक साल में सर्टिफिकेट कोर्स ,दो साल में डिप्लोमा , और 3 साल में बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। वहीँ अगर कोई 4 साल की पढाई पूरी करता है तो उसे बैचलर्स के साथ रिसर्च का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।

• बीच में छोड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी पढाई पूरी करने का इच्छुक हो तो वो भी अपनी पढाई फिर से शुरू कर सकता है। इसके लिए उसे फिर से ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से शुरू करने की जरूरत नहीं होगी। जिस वर्ष की पढाई अधूरी रह गयी थी, वहीँ से शुरू कर सकते हैं।

• यहाँ भी छात्र अपनी पसंद से विषयों का चुनाव कर सकते हैं।

Q.मल्टीपल एग्जिट और एंट्री क्या है ?
उत्तर- मल्टीपल एग्जिट और एंट्री छात्रों को मिलने वाली सुविधा है। इस सुविधा के तहत कोई भी छात्र यदि किसी कारणवश पढाई छोड़ता है तो उसे पढाई की समयावधि के अनुसार सर्टिफिकेट , डिप्लोमा या फिर डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही अगर वो आने वाले समय में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। इसके लिए पहले साल से पढ़ने की जरुरतनहीं है।वो अपने बचे हुए कोर्स को ही पूरा कर सकता है।

## अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट (ABC) –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब छात्रों को अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अब से सभी छात्रों के अंक , रिपोर्ट, डाक्यूमेंट्स आदि ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से सेव किये जाएंगे। पढाई के दौरान सेमेस्टर में क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसके अंतर्गत कोई भी छात्र जो किसी कारणवश अपने सेमेस्टर पूरे नहीं कर पाता है तो वो अपनी पढाई पूरी करने के लिए इस अकादमिक बैंक में अपने क्रेडिट्स का प्रयोग करके पढाई बाद (एक निश्चित अवधि) में पूरी कर सकता है।

इस बैंक में जमा क्रेडिट का उपयोग वो दूसरे संस्थान में जाने के लिए भी प्रयोग कर सकता है।

## नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

**1.वोकेशनल ट्रेनिंग को दिया जाएगा महत्व -**

नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 तक वोकेशनल पढाई करने वालों का प्रतिशत 50% तक लाने का लक्ष्य रखा है जो अभी तक 5 प्रतिशत से भी कम है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमे उन्हें बाग़बानी , मिटटी

के बर्तन बनाना, बिजली का काम आदि सिखाया जाएगा।

**2.एम. फिल. को किया समाप्त और अब 4 साल का होगा बी० एड :-**

नयी एजुकेशन पालिसी 2020 में एम.फिल. कार्यक्रम को ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही अब बी. एड. प्रोग्राम को 2 वर्ष से बढाकर 4 वर्ष कर दिया गया है।

**3.भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना :**

नयी शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की सुविधा दी है।

**4.विदेशी भाषा भी सम्मिलित :**

विद्यार्थियों को अब माध्यमिक स्तर से विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। इस तरह से छात्रों को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पिछड़ने से बचाया जा सकता है।

**5.नयी शिक्षा नीति के तहत भाषाओं को जान ने वाले शिक्षकों की भर्ती :**

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं का ज्ञान रखने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी ताकि अपनी भाषा में छात्र बिना किसी समस्या के पढ़ सकें।

**6.किसी एक स्ट्रीम के चुनाव की बाध्यता ख़त्म**

अब से स्कूल व कॉलेज में किसी भी एक स्ट्रीम को चुन ने की बाध्यता ख़त्म कर दी गयी है। छात्र अपने विषय अपनी पसंद से चुन सकेंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विषयों का पूल बनाया जाएगा जिसमे छात्रों को अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करने में सुविधा होगी।

**Q.नयी एजुकेशन पालिसी में क्या एक स्ट्रीम के विषयों को लेने की बाध्यता खत्म कर दी गयी है ?**

उत्तर- नई एजुकेशन पालिसी में एक ही स्ट्रीम के विषयों को लेने की बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है। अब छात्र अपनी रूचि के हिसाब से अपने विषय चुन सकेंगे। साइंस और कॉमर्स के साथ ही आर्ट्स के विषय भी लिए हैं। इसके लिए शिक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न विषयों का पूल बनाया जाएगा।

**7.शिक्षा के साथ कौशल विकास पर भी ध्यान**

नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अब छात्रों को शिक्षा के साथ अब कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्हें शुरूआती कक्षाओं से ही संगीत, नृत्य ,योग , मूर्तिकला आदि अन्य कलाओं में भी पारंगत किया जाएगा।

**8.मल्टीपल एग्जिट , मल्टीपल एंट्री की सुविधा**

नई नीति के तहत अब पढाई में किसी कारणवश छात्र को ब्रेक लेना पड़ता है तो वो बाद में भी अपनी पढाई को पूरी कर सकता है। इसके लिए छात्र को फिर शुरुआत से नहीं पढ़ना होगा। साथ ही छात्र को उसके पढ़े हुए अवधि के अनुसार सर्टिफिकेट , डिप्लोमा , डिग्री आदि प्रदान किये जाएंगे।

**9. अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट :**

अब विद्यार्थियों से सम्बंधित जानकारियां , डाक्यूमेंट्स व अंक आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। जिसे बाद में उनके डिग्री प्रदान करते वक्त इस्तेमाल किया सकेगा।

**10.भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)**

आयोग पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल नियामक के रूप में कार्य करेगा। (For Govt. and Private both) इसके तहत चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को नहीं रखा गया है।

**इसके चार निकाय होंगे–**

A.राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद्
(विनियमन के लिए)
B.सामान्य शिक्षा परिषद्
(मानक सेटिंग के लिए )
C.राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद्
(मान्यता प्रदान करने के लिए )
D. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद्
(वित्त पोषण के लिए)

विकलांग बच्चों के विकास के लिए भी नयी शिक्षा नीति में बदलाव किये गए हैं।

**11.राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन**

NRF को NEP 2020 के अनुसार एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा।

Q. उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय केरूप में बनाया जाएगा?
a. राष्ट्रीय आयोग फाउंडेशन
B. उच्च आयोग शिक्षा
C. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या है ?
उत्तर- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुरानी शिक्षा प्रणाली को बदलकर नया पाठ्यक्रम लाया गया है। इसके तहत पिछले 10 +2 के पाठ्यक्रम को बदलकर 5+3+3+ 4 वाला पाठ्यक्रम किया गया है। नयी नीति के अंतर्गत अब 3 से 18 साल के छात्रों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत रखा गया है। नए पाठ्यक्रम में बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उनके समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है।

Q. नयी एजुकेशन पालिसी में बी. एड. तथा एम. फिल. से सम्बंधित क्या बदलाव है ?
उत्तर- नयी एजुकेशन पालिसी में एम. फिल. के प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया है। बी. एड. प्रोग्राम की अवधि अब बढ़ा दिया गया है। अब 2 साल की जगह 4 साल में पूरा किया जा सकेगा।एनईपी 2020 ने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में इसके योगदान और इसकी सफलताओं और चुनौतियों के लिए एक अवधारणा है,इस अवधारणा का नाम क्या है?
A. "प्राचीन भारत का ज्ञान"
B. "आधुनिक भारत का ज्ञान"
C. "मध्यकालीन भारत का ज्ञान"
D. "भारत का ज्ञान"

मई 2016 में 'नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति' की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई?
ए. स्वर्गीय श्री टी.एस.आर. सुब्रमण्यम
बी. डॉ. के. कस्तूरीरंगन
सी. रीना रे
डी. श्री संजय धोत्रे

# वित्त आयोग

वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जिसके गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारत में वित्त आयोग की अवधारणा आस्ट्रेलिया के राष्ट्रमण्डल अनुदान आयोग से ली गयी है। परन्तु, भारत और आस्ट्रेलिया के वित्त आयोगों में दो प्रमुख अन्तर है। पहला अन्तर यह है कि भारत का F.C. एक संवैधानिक संस्था है। जबकि आस्ट्रेलिया का F.C. एक परामर्श दात्री संस्था है। दूसरा अन्तर यह है कि भारत का F.C. अस्थाई संस्था है जबकि आस्ट्रेलिया का F.C. स्थाई संस्था है।

- अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों के उपरान्त पर भारत में एक F.C. का गठन किया जायेगा। जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वयचं किया जायेगा या कराया जायेगा। यदि राष्ट्रपति को किसी स्त्रोत से भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि केन्द्र–राज्य वित्तीय सम्बन्धों में कटूता आ चुकी है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है कि केन्द्र और राज्य के विभिन्न सम्बन्धों को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह 5 वर्ष पूर्व भी F.C. का गठन कर सकते हैं या करवा सकते हैं।

भारत में F.C. के गठन का उद्देश्य केन्द्र और राज्य वित्तीय सम्बन्धों को स्थायित्व प्रदान करता है।

**इसके आलोक में वित्त आयोग के प्रमुख कार्य निम्नवत् बताये गये हैं।**

- सकल कर राजस्व वे बटवारें के सन्दर्भ में उचित फॉमूले या सिद्धान्तों का निर्धारण करना।
- केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में फॉमूले का निर्धारण करना।
- केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्धों की समीक्षा करना।
- उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त कोई भी कार्य जिसे राष्ट्रपति द्वारा उसे सौपा जाये।

F.C. में एक अध्यक्ष, चार विशेषज्ञ सदस्य तथा एक सचिव होता है।

भारत में पहला वित्त आयोग नवम्बर, 1951 में K. C. नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

भारत में अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किये जा चुके है।

## 15th Finance commission

- पंद्रहवें F.C. का गठन नवम्बर, 2017 में N. K. Singh की अध्यक्षता मे किया गया है।
- अध्यक्ष – श्री N. K. Singh

4 सदस्य – श्री Shanktikant Das ( Replaced by Ajay Narayan Jha)
Dr. Anoop Sinh
Dr. Ashok Lahidi
Dr. Ramesh Chand

सचिव – श्री Arvind Mehta

15 वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2020 से 2025 तक लागू होनी थी किंतु इसे 1 वर्ष बढ़ा दिया गया और अब इसकी सिफारिशें 2021 से 2026 तक लागू रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि 15 वें वित्त आयोग के द्वारा दो रिपोर्ट जारी की गई
प्रथम रिपोर्ट 2020-21के लिए।
दूसरी रिपोर्ट 2021-26 के लिए जारी की गई।

**15 वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है-**

1.केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की सिफारिश की है। जबकि 14 वें वित्त आयोग ने इसे 42% रखा था।

1% की कटौती जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को संघ शासित प्रदेश बनाये जाने से केंद्रीय खर्च में हुई वृद्धि के कारण की गई है।

2. क्षैतिज हिस्सेदारी के निर्धारण में निम्न 6 कारकों को आधार बनाया गया है-

| कारक - | भारांश |
|---|---|
| 1. आय का अन्तर | = 45% |
| 2. क्षेत्रफल | = 15% |
| 3. जनसंख्या | = 15% |
| 4. जनसांख्यिकी प्रदर्शन | = 12.5% |
| 5. वन एवं पारिस्थितिकी | =10% |
| 6. कर एवं राजकोषीय प्रयास | = 2.5% |

**3. अनुदान संबंधी सिफारिशें-**

17 राज्यों को राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान दिया जाएगा।

**4. राज्य केंद्रीय अनुदान निम्नलिखित कार्यों के लिए दिया जाता है-**

1. सामाजिक आवश्यकताएँ।
2. प्रशासन एवं आधारभूत संरचना।
3. जलापूर्ति व स्वच्छता।
4. पर्यटन।
5. सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का रखरखाव।

**5. क्षेत्र केंद्रीय अनुदान-**

कुल 8 क्षेत्रों को यह अनुबंध अनुदान दिए गए हैं।

1.स्वास्थ्य
2. स्कूली शिक्षा
3. उच्च शिक्षा
4. कृषि संबंधी सुधारों का क्रियान्वयन।
5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रखरखाव।
6. न्यायपालिका ।
7. आकांक्षी जिले और ब्लॉक।
8. सांख्यिकी।

**6. स्थानीय निकायों के अनुदान-**

स्थानीय निकायों को कुल 4.36 लाख करोड़ का अनुदान दिये जाने की सिफारिश की है।

आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों की कमियाँ निम्न हैं-

1. मानव संसाधन का अभाव
2. तकनीकी कुशलता
3. अपर्याप्त पूंजी
4. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का अप्रयाप्त होना।

**7. 15 वें वित्त आयोग के अनुसार सर्वाधिक लाभान्वित राज्य-**

1. उत्तर प्रदेश
2.बिहार
3. मध्य प्रदेश
4. पश्चिम बंगाल
5. महाराष्ट्र
6. राजस्थान

**8. राजकोषीय समेकन हेतु सिफारिश-**

आयोग का सुझाव है कि केंद्र सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4% रखें। साथ ही नकद सब्सिडी भुगतान में कमी लाएं।

**9. जीएसटी पर सुझाव-**

A. 12% व 18% की दरों को एकीकृत करते हुए युक्तियुक्त बनाया जाए।

B.केंद्र व राज्य के मध्य जीएसटी क्षतिपूर्ति से संबंधित विवादों के लिए द्विपक्षीय समाधान एवं मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जाए।

C. राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि सुधारों के लिए 1.3 लाख करोड रुपए का क्षेत्रक अनुदान दिया जाए तथा राज्यों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर कुल बजट का 8% खर्च करना चाहिए।

D. आपदा प्रबंधन अधिनियम प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर 'आपदा जोखिम सम्मन निधि' की स्थापना की जाए।

10. राज्यों को विद्युत क्षेत्र में सुधार करने पर 2021-25 तक SGDP के 0.5% के बराबर उधार लेने की अनुमति दी जाए।

# सब्सिडी(Subsidy)-(राज सहायता या उपादान, इमदाद-Govt Support)

• सब्सिडी से तात्पर्य सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने, बाजार के असंतुलन को दूर करने, निर्यात को बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है।
आर्थिक शब्दों में किसी उत्पाद की आर्थिक लागत एवं विक्रय मूल्य के मध्य के अंतर को यदि सरकार द्वारा वहन किया जाए तो, उसे सब्सिडी कहा जाता है।

**भारत में सब्सिडी निम्नलिखित के लिए दी जाती है**

• खाद्य वस्तुएं- PDS, Mid Day meal, पोषाहार सब्सिडी, A.A.Y
• उर्वरक- Urea subsidy
• ईंधन- LPG Subsidy (PAHAL)
• सरकारी सेवाएं- शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के लिए।
•प्रोत्साहन सब्सिडी- SEZ में टैक्स छूट, मेक इन इंडिया के लिए,ऋण पर सब्सिडी, स्टार्टअप इंडिया के लिए, पीएलआई स्कीम में,
•कृषि क्षेत्र की सब्सिडी- रेड बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीनबॉक्स, विशेष एवं विभेदात्मक बॉक्स सब्सिडी, पीएम किसान सम्मान निधि-2019

## सब्सिडी के प्रकार

**1. सोशल सब्सिडी (Social Subsidies)**
• सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु दी जाने वाली सब्सिडी। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, गरीबों को खाद्यान्न आदि।

**2. आर्थिक सब्सिडी- Economic Subsidies**
आर्थिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दी जाने वाली सब्सिडी। जैसे स्टार्टअप के लिए सब्सिडी, SEZ के लिए सब्सिडी, गन्ना उत्पादन के लिए एफआरपी, किसानों को एमएसपी, ब्याज अनुदान, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी, मशीनों आदि की खरीद पर सब्सिडी।

**3. प्रत्यक्ष सब्सिडी- Direct Subsidy-**
• जिसका बजट में उल्लेख कर दिया जाता है, प्रत्यक्ष सब्सिडी कहलाती है। यह सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है तो, इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कहा जाता है। जैसे एलपीजी सब्सिडी।

**4. अप्रत्यक्ष सब्सिडी—Indirect Subsidy**
ऐसी सब्सिडी जिसका बजट में उल्लेख नहीं किया जाता है तथा लाभार्थी को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहलाती है। जैसे- उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी, तकनीक पर दी गई सब्सिडी, लोन पर दी गई सब्सिडी, आयात निर्यात पर दी गई सब्सिडी, R&D पर दी गई सब्सिडी।

**5. मेरिट सब्सिडी- Merit Subsidy-**
ऐसी सब्सिडी जिसका लाभ समाज के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे किराया इत्यादि के लिए दी गई सब्सिडी।

**6. गैर मेरिट सब्सिडी- Non-Merit Subsidy-**
ऐसी सब्सिडी जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दी जाती है। अर्थात् इसका लाभ व्यक्ति विशेष को होता है। जिसे पेट्रोल, डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी।

**7. फूड सब्सिडी- Food Subsidy-**
ऐसी सब्सिडी जो वह अन्य कीमत पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है, खाद्य सब्सिडी कहलाती है। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली,मिड डे मील।

## सब्सिडी के सकारात्मक पहलू

• कमजोर व वंचित वर्ग के कल्याण को बढ़ाती है।

• सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करती है।

• संसाधनों का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करती है।

• गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी चुनौतियों का सामना करने में सहायता करती है।

• आर्थिक सब्सिडी उत्पादकों को उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करती है।

• मुद्रास्फीति तथा मंदी से देश के नागरिकों व उद्योगों को संरक्षण मिलता है।

• राज्य का कल्याणकारी स्वरूप सुनिश्चित होता है।

सब्सिडी की चुनौतियाँ

• सब्सिडी से राजस्व घाटा बढ़ता है,परिणाम स्वरूप सरकार का राजकोषीय घाटा ज्यादा होता है।

•सब्सिडी डेट जीडीपी(Debt/GDP) रेशों को बढ़ाता है।

• सब्सिडी केवल क्रय स्तर में वृद्धि करती है ना कि जीवन स्तर में।

• सब्सिडी लीकेज की समस्या।

• भ्रष्टाचार की चुनौती।

• सब्सिडी के कारण सार्वजनिक पूंजी निर्माण प्रभावित होता है।

• सब्सिडी बाजार प्रतिस्पर्धा के नियमों के विरुद्ध मानी जाती है।

•वंचित वर्ग के लोग सब्सिडी के कारण स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं और हमेशा सरकार पर निर्भर होते हैं।

## सब्सिडी से संबंधित प्रमुख योजनाएं

### डीबीटी योजना

• शुभारंभ 1 जनवरी 2013 को।

• उद्देश्य- सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए दी गई सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाना। डीबीटी की सबसे बड़ी योजना 1 जनवरी 2015 को लागू हुई जब LPG गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को 'पहल योजना' के माध्यम से प्रारंभ किया गया।

•वास्तविक लाभार्थी को सब्सिडी प्राप्त होगी जिससे सब्सिडी लीकेज की समस्या में कमी आएगी।

•सब्सिडी वितरण में प्रशासनिक लागतो में कमी आएगी।

•सब्सिडी के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

• सरकार को राजकोषीय घाटा कम होगा।

### DBT की चुनौतीयाँ-

• सब्सिडी राशि के दुरुपयोग की संभावना (शराब, नशाखोरी आदि में)

• बैंकिंग आधारभूत संरचना के अविकसित स्वरूप के कारण गरीब व्यक्तियों तक वित्तीय समावेशन का अभाव।

• इससे लाभार्थी की सब्सिडी प्राप्त करने की लागत में वृद्धि।

• जागरूकता की कमी।

•खाद्य सुरक्षा का संकट बढ़ सकता है।

• cyber crime की समस्याएँ।

### उर्वरक सब्सिडी- Fertilizer Subsidy-

1977 में पहली बार उर्वरक सब्सिडी दी गई थी।

• सरकार ने उर्वरक सब्सिडी नीति में सुधार करते हुए डीबीटी योजना को लागू किया है।

• 2016 में उर्वरक सब्सिडी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू की गई। जिसके अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर विभिन्न उर्वरकों की सब्सिडी सीधे उत्पादक कंपनियों को हस्तांतरित की जाएगी।

• किसानों को सब्सिडी युक्त उर्वरक की बिक्री करने वाले खुदरा विक्रेताओं की दुकान पर अपनी पहचान हेतु अपना मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड दिखाना होता है ,जिसके बाद उन्हें सब्सिडी दर पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं तथा इसकी जानकारी उर्वरक पोर्टल पर दर्ज हो जाती है।जैसी ही किसान उर्वरक खरीदता हैसरकार द्वारा उर्वरक उत्पादक कंपनी के

खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी राशि ट्रांसफर की जाती है।

• एक बार आधार दिखाकर 100 bag सब्सिडी पर मिलते हैं। इस प्रकार यह एलपीजी की डीबीटी से अलग है।

## विभिन्न प्रकार की कृषि सब्सिडी-

**1.रेड बॉक्स सब्सिडी- Red Box Subsidies-**

रेड बॉक्स के अंतर्गत आने वाली वे सब्सिडियाँ जिन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

**2. अंबर बॉक्स सब्सिडी-**

इसमें वे सब्सिडी शामिल होती है, जो कृषि व्यापार में असंतुलन को उत्पन्न करती है। ये मुख्यतः उत्पादकता में सहायता वाली सब्सिडी है। जैसे उर्वरक, बिजली, सिंचाई, एमएसपी के लिए दी जाने वाली सब्सिडी। डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के तहत इसे क्रमशः समाप्त करने की बात कही गई है। इसकी सीमा उन देशों की सकल कृषि उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है। जिसे विकसित देशों के लिए 5% प्रतिवर्ष और विकासशील देशों के लिए 10% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

**3. ब्लू बॉक्स सब्सिडी- Blue Box Subsidy-**

इसके अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना है। विकसित देशों का मानना है कि यह सब्सिडी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि यह उत्पादकता को प्रभावित करने के लिए नहीं है बल्कि किसानों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए है। यहां तनाव की स्थिति है।

**4. ग्रीनबॉक्स सब्सिडी- Greenbox Subsidy-**

इसके अंतर्गत वो सब्सिडी आती है, जो व्यापार को प्रभावित नहीं करती है। ऐसे में विकसित देशों का यह मानना है कि यह सब्सिडी जारी रखनी चाहिए और इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसमें पर्यावरण सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, रोग नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा इत्यादि के लिए दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। इसमें ज्यादा तनाव की स्थिति होती है। क्योंकि विकसित देश इसी के जरिए अंबर बॉक्स, रेड बॉक्स, यहां तक की ब्लू बॉक्स की सब्सिडी भी ग्रीनबॉक्स के नाम पर देने लगते हैं। इससे गरीब व विकासशील देश प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं। और उन देशों में सस्ता कृषि आयात बढ़ता है।

**5. स्पेशल एंड डिफरेंशियल बॉक्स (विशेष एवं विभेधात्मक सब्सिडी)**

इसमें विकासशील देशों को मानव विकास संबंधित मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी आदि के नाम पर विशेष सब्सिडी देने का अधिकार होगा।

# कृषि क्षेत्र

**Index**

1.कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भूमिका।
2.कृषि क्षेत्र में संवृद्धि की प्रवृतियां क्या है?
3.कृषि के समक्ष भारत में मुख्य चुनौतियां क्या हैं?
4.कृषि को लेकर सरकार की नीतियाँ क्या है?

## परिभाषा-

उत्पादन से लेकर विपणन तक की सारी प्रक्रिया कृषि कहलाती है।

## कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भूमिका-

यद्यपी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है।लेकिन अर्थव्यवस्था के अन्यक्षेत्रों में तेजी से विकास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो अब जीडीपी में कृषि का योगदान 2022-22 में 18.1% रहा है। जबकि FY1950-51 में 55.4%था।

इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बहुत ज्यादा होता है।
जिसे निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है-

**1. खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए**

कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित करती है। कहा जाता है कि यदि कोई राष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली हो तो भी कृषि क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण उसका पतन संभव है।

**2. रोजगार में भूमिका-**

असंगठित क्षेत्र के कुल श्रमबल के 90% से भी अधिक लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र प्रदान करता है।
श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 45% लोग कृषि पर निर्भर हैं। अतः यदि कृषि का विकास होगा तो इन लोगों की आय बढ़ेगी, परिणाम-स्वरुप ये औद्योगिक वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करेंगे,जिससे GDP में तेजी से वृद्धि होगी।

**3. इससे उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है।**

जैसे चीनी, कपड़ा, मिठाई उद्योग आदि के लिए कच्चा माल कृषि वस्तुओं से प्राप्त होता है।
अतः यदि कृषि का विकास होगा तो इन उद्योगों का तेजी से विकास होगा। इससे बने हुए उत्पादों को कृषि क्षेत्र के लोग वापस खरीदते हैं।

**4. कृषिगत वस्तुएं निर्यात** में भी बड़ी भूमिका निभाती है। देश का लगभग 10 से 15% निर्यात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित होता है।

**5. भारत में कृषि व्यवस्था मात्र अर्थव्यवस्था के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है।** बल्कि यह ग्रामीण संस्कृति का भी आधार है और ग्रामीण जीवन शैली, तीज त्योहार और उत्सव कृषि संरचना के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं।
इसके अलावा गांवों की सामाजिक संरचना भी कृषि से प्रभावित होती है।

### Trends in Growth and Productivity in Agriculture

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 की अवधि में 3.0% और 2022-23 में 4.0% की सकारात्मक वृद्धि दर रही है।
कृषि क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि दर इस प्रकार रही है-

| (वित्त वर्ष) | (वृद्धि दर) |
|---|---|
| 2016-17 | 6.8% |
| 2017-18 | 6.6% |
| 2018-19 | 2.1% |
| 2019-20 | 5.5% |
| 2020-21 | 3.3% |
| 2021-22 | 3.0% |
| 2022-23 | 4.0% |

# कृषि उत्पादकता

कृषि उत्पादकता को दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है।

**A. प्रति हेक्टेयर कृषि उपज से**

प्रति हेक्टेयर कृषि उपज से तात्पर्य यह है कि एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है। यह ही उस खेत की उत्पादकता है।

**B.प्रति श्रमिक उपज के मूल्य से**

अर्थात् एक खेत की कुल उपज केमूल्य में उस में कार्य करने वाले श्रमिकों का भाग देकर जो रिजल्ट आता है, वह उस खेत की प्रति श्रमिक उत्पादकता है।

वर्ष 1950-51 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 50.8 मिलियन टन था, जो 2020-21 में 308.65 मिलियन टन हो गया है।

स्वतंत्रता के समय भारत का कृषि उत्पादन अत्यधिक कम था। जिसके कई कारण थे-

1.पारंपरिक कृषि पद्धतियों का प्रयोग।

2. ब्रिटिश काल की शोषणकारी नीतियां।

3. भूमि का असमान वितरण।

4. आधुनिक तकनीकों की कमी।

5.कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी।

6. मध्यस्थों की संख्या अधिक।

7.छोटी एवं बिखरी जोते।

8. सिंचाई के स्थाई स्रोतों का अभाव।

9. निम्न कृषि यंत्रीकरण।

10. अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन की असुविधा।

11. वित्त का अभाव।

## कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा किए गए प्रयास-

1.भूमि सुधार कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन

2.जमीदारी प्रथा को समाप्त किया गया।

3. हदबंदी - अर्थात् भूमि की एक व्यक्ति के अधीन अधिकतम सीमा निर्धारित की गई ।

4. चकबंदी- अर्थात् भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों का एकत्रीकरण किया गया।

5. काश्तकारी सुधार लागू किए गए,
काश्तकारों को जमीन पर मालिकाना हकदिया गया।

6.हरित क्रांति

7.कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया गया।

8. कृषि क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा किसानों को प्रशिक्षित करना

9.फसलों की गहनता एवं बहू फसल को बढ़ावा देना।

10. सिंचाई प्रणाली में व्यापक सुधार तथा इस हेतु
सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ करना।

11.उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग।

12. कृषि से संबंधित गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन।

13. भूमि एवं जल संसाधनों का समन्वित प्रबंधन।
14. रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का उचित प्रयोग। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
15. कृषि साख एवं विपणन सुविधाओं का विकास।
16. कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
17. कृषि क्षेत्र से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण तीव्र करना।

उपरोक्त सुधारों से खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

जैसे वित्त वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 323.55 मिलियन टन हुआ हैं। जिसमें

चावल = 129.47 मिलियन टन

गेहूं = 107.74 मिलियन टन

Coarse grain = 51.10 मिलियन टन

दाल = 27.3 मिलियन टन

तिलहन = 37.96 मिलीयन टन

यद्यपि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में तो तीव्र वृद्धि हुई है।किंतु यह चावल व गेहूं में ज्यादा हुआ हैं। आज भी दलहन व तिलहन का उत्पादन पर्याप्त नहीं है।

इसलिए हम इनके आयात पर निर्भर हैं।

## हरित क्रांति)Green revolution/ High yielding variety)-

कृषि के परंपरागत तरीकों के स्थान पर नई तकनीक, जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि उपकरण, विस्तृत सिंचाई परियोजना,

सस्ता ऋण आदि के प्रयोग को बढ़ावा देकर 1966 में खरीफ की फसल के साथ ही

एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हरित

क्रांति नाम दिया गया।

इसके जन्मदाता प्रोफेसर ई. नॉर्मन बोरलॉग हैं।

लेकिन भारत में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है।

इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. विलियम गैड ने किया था।

### हरित क्रांति के प्रमुख तत्व

• **अधिक उपज देने वाली फसलों का कार्यक्रम-** 1970-71 में प्रारम्भ, इसमें 6 फसलों को चुना गया।

(गैहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा रागी)

पंजाब, हरियाणा, उत्तर- प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में यह कार्यक्रम काफी सफल रहा।

**•बहु फसल कार्यक्रम-**

थोड़े समय में पक कर तैयार होने वाली किस्मों को प्राथमिकता। ताकि 1 वर्ष में एक ही भूमि पर, एक से अधिक बार, एक साथ कई फसलें बोई जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके

**•लघु सिंचाई पर बल**

नलकूप ,छोटी नहरे, तालाब, कुएं,वाटर हार्वेस्टिंग तथा ट्यूबवेलद्वारा सिंचाई पर बल दिया गया

**•रासायनिक खाद**

यूरिया,

पोटाश,

डी.ए.पी.

**<u>हरित क्रांति का महत्व-</u>**

हरित क्रांति के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है।

1. फसलों के कुल उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि से देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना।
2. खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार।
3. किसानों की आय बढ़ी जिससे ग्रामीण निर्धनता में कमी।
4. कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला।
5. उन्नत किस्मों का उत्पादन बड़ा।
6. व्यवसायिक खेती की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला।
7. कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे किसानों की दशा में सुधार हुआ।
8. कृषकों को उचित मूल्य, भंडारण, साख सुविधाओं का लाभ मिलने से उनकी दशा में सुधार हुआ।
9. मानसून पर निर्भरता कम हुई।
10. कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ा।
11. कृषि का वैज्ञानिकीकरण हुआ।

**<u>हरित क्रांति की सीमाएँ</u>**

हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति रही, परंतु इसकी कुछ कमियाँ भी सामने आई है। जो इस प्रकार हैं-

चुनिंदा फसलों तक सीमित- हरित क्रांति केवल गेहूं , चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का तक सीमित रही, अन्य फसलों को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ।

इसके कारण दलहन और तिलहन क्षेत्र में निवेश घटने से उत्पादन कम हुआ।

2. सीमित क्षेत्रों पर ही प्रभाव- हरित क्रांति का लाभ पंजाब व हरियाणा के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है।

3. बड़े किसानों को लाभ- हरित क्रांति का लाभ मुख्यतः बड़े किसानों को मिला। इसके कारण किसानों की आय में असमानता बढ़ी है।

4. उर्वरकों के प्रयोग का दुष्परिणाम- रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग ने भूमि को अनुपजाऊ बना दिया। इससे भूजल, पर्यावरण तथा जीवों को भी हानि पहुंची है। किसानों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ा है।

5.भूजल स्तर में कमी- हरित क्रांति के परिणाम-स्वरुप नलकूपों, ट्यूबवैलों के माध्यम से भूजल का अत्यधिक दोहन किया जाने लगा, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आई है।

6.यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बड़ी है।

उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद भी हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है तथा तात्कालिक खाद्यान्न संकट को दूर कर देश को ना केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया बल्कि कृषिगत वस्तुओं का निर्यात भी किया जाने लगा है।

(मिलियन टन में उत्पादन

| फसले/फसलों का समूह | राज्य | उत्पादन | अखिल भारतीय उत्पादन में प्रतिशत अंश | उत्पादन का संचयी प्रतिशत अंश |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **I. खाद्यान्न** | | | | |
| चावल | पश्चिम बंगाल | 16.76 | 12.87 | 12.87 |
| | उत्तर प्रदेश | 15.27 | 11.72 | 24.59 |
| | पंजाब | 12.89 | 9.89 | 34.48 |
| गेहूँ | उत्तर प्रदेश | 33.95 | 31.77 | 31.77 |
| | मध्य प्रदेश | 22.42 | 20.98 | 52.76 |
| | पंजाब | 14.82 | 13.87 | 66.63 |
| मक्का | कर्नाटक | 5.22 | 15.53 | 15.33 |
| | मध्य प्रदेश | 4.57 | 13.59 | 29.12 |
| | महाराष्ट्र | 3.53 | 10.51 | 39.63 |
| कुल/न्यूट्री/मोटे अनाज | कर्नाटक | 7.30 | 14.34 | 14.34 |
| | राजस्थान | 7.07 | 13.89 | 28.22 |
| | महाराष्ट्र | 5.84 | 11.47 | 39.70 |
| चना | महाराष्ट्र | 1.37 | 31.49 | 31.49 |
| | कर्नाटक | 1.14 | 26.39 | 57.88 |
| | उत्तर प्रदेश | 0.35 | 8.00 | 65.88 |
| तूर | महाराष्ट्र | 3.28 | 23.82 | 23.82 |
| | मध्य प्रदेश | 3.03 | 22.05 | 45.87 |
| | राजस्थान | 2.65 | 19.28 | 65.15 |
| जोड़ -दालें | मध्य प्रदेश | 6.03 | 21.78 | 21.78 |
| | महाराष्ट्र | 5.19 | 18.75 | 40.53 |
| | राजस्थान | 4.02 | 14.51 | 55.04 |
| जोड़ -खाद्यान्न | उत्तर प्रदेश | 56.11 | 17.77 | 17.77 |
| | मध्य प्रदेश | 39.05 | 12.37 | 30.14 |
| | पंजाब | 28.21 | 8.94 | 39.08 |
| **II. तिलहन** | | | | |
| मूंगफली | गुजरात | 4.49 | 44.48 | 44.48 |
| | राजस्थान | 1.70 | 16.83 | 61.30 |
| | तमिल नाडू | 0.95 | 9.36 | 70.66 |
| रेपसीड और सरसों | राजस्थान | 5.48 | 46.63 | 46.63 |
| | मध्य प्रदेश | 1.69 | 14.36 | 60.99 |
| | हरियाणा | 1.37 | 11.63 | 72.62 |
| सोयाबीन | महाराष्ट्र | 5.47 | 42.12 | 42.12 |
| | मध्य प्रदेश | 5.39 | 41.50 | 83.62 |
| | राजस्थान | 0.93 | 7.12 | 90.74 |
| सूरजमुखी | कर्नाटक | 0.14 | 54.35 | 54.35 |
| | तेलंगाना | 0.02 | 8.32 | 62.67 |
| | ओडिसा | 0.02 | 7.56 | 70.23 |
| कुल-तिलहन | राजस्थान | 8.39 | 22.25 | 22.25 |
| | मध्य प्रदेश | 7.92 | 21.02 | 43.27 |
| | गुजरात | 6.90 | 18.30 | 61.56 |
| गन्ना | उत्तर प्रदेश | 177.43 | 41.09 | 41.09 |
| | महाराष्ट्र | 110.54 | 25.60 | 66.69 |
| | कर्नाटक | 61.15 | 14.16 | 80.09 |
| **कपास[क]** | गुजरात | 7.48 | 23.98 | 23.98 |
| | महाराष्ट्र | 7.12 | 22.81 | 46.79 |
| | तेलंगाना | 6.07 | 19.44 | 66.23 |
| जूट और मेस्ता[ख] | पश्चिम बंगाल | 8.36 | 81.00 | 81.00 |
| | असम | 0.91 | 8.78 | 89.78 |
| | बिहार | 0.82 | 7.94 | 97.72 |

## Agricultural Revolutions in India

| Products/Aim | Revolution | Father of the Revolution |
|---|---|---|
| Oilseed Production (Especially Mustard and Sunflower)<br>खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए | Yellow Revolution<br>पीली क्रांति | Sam Pitroda |
| Petroleum products<br>पेट्रोलियम/खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनोल का उत्पादन भी बढाया जायेगा। इसका सम्बन्ध कोयला उत्पादन से भी है। | Black Revolution<br>काली क्रांति | पेट्रोल में एथेनोल को 20% मिलाकर बायो डीजल बनाने का लक्ष्य है । |
| Fish Production<br>मत्स्य उत्पादन में बृद्धि के लिए चलाई गयी थी । | Blue Revolution<br>नीली क्रांति | Dr Arun Krishnan<br>भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है । |
| Leather / Cocoa / Non-Conventional Products | Brown Revolution | – |
| Jute Production | Golden Fiber Revolution | – |
| इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है । | Rainbow Revolution<br>इन्द्रधनुषी क्रांति | जुलाई 2000 में नयी कृषि नीति को लागू किया गया है इसी को इन्द्रधनुषी क्रांति कहा गया है । |
| Fruits / Honey Production / Horticulture Development<br>इसका सम्बन्ध बागवानी उत्पादन में बृद्धि से है जिसमे फल विशेषकर सेव उत्पादन। इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। | Golden Revolution<br>सुनहरी क्रांति | Nirpakh Tuteja<br>भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व मे दूसरा स्थान रखता है । |
| Fertilizers<br>उर्वरक उत्पादन में बृद्धि का लक्ष्य | Grey Revolution<br>धूसर क्रांति | |
| Onion Production / Pharmaceuticals / Prawn Production<br>यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से सम्बंधित है | Pink Revolution<br>गुलाबी क्रांति | Durgesh Patel<br>भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। |
| Egg Production / Poultry Production<br>भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए | Silver Revolution<br>रजत क्रांति | Indira Gandhi (Mother of the Revolution)<br>भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है जबकि अमेरिका में 295 अंडे । भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है । |
| Cotton | Silver Fiber Revolution | – |
| Meat Production / Tomato Production | Red Revolution | Vishal Tewari |
| Potato<br>इसका सम्बन्ध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है । | Round Revolution<br>गोल क्रांति | भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। |
| Food Grains | Green Revolution | M.S. Swaminathan |

| | | |
|---|---|---|
| खाद्यान्न उत्पादन से सम्बंधित थी | हरित क्रांति | |
| Milk Production<br>दुग्ध उत्पादन से सम्बंधित है | White Revolution<br>श्वेत क्रांति | Verghese Kurien इसकी शुरुआत 1964-65 हुई जिसे आगे 'ऑपरेशन फ्लड' कहा गया \|<br>1st phase<br>1970 to 80 2nd phase 1981 to 85 3rd phase 1985-96 |

## विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम

1. हाइड्रोपोनिक्स - जल में पौधों को उगाना(मृदा रहित कृषि)
2. एयरोपोनिक्स - पौधों को हवा में उगाना
3. एपीकल्चर - मधुमक्खी पालन
4. हॉर्टीकल्चर - बागवानी
5. फ्लोरीकल्चर - फूलों का उत्पादन
6. ओलेरीकल्चर - सब्जियों का उत्पादन
7. पोमीकल्चर - फलों का उत्पादन
8. विटीकल्चर - अंगूर की खेती
9. वर्मीकल्चर - केंचुआ पालन
10. पीसीकल्चर - मत्स्य पालन
11. सेरीकल्चर - रेशम कीट पालन
12. मोरिकल्चर - रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना

## वर्तमान समय में कृषि की मुख्य समस्याएं-

- कृषि भूमि का आकार
- कृषि विपणन की समस्या
- उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव
- सिंचाई संसाधनों का अभाव
- उर्वरकों की समस्या
- आधुनिक मशीनों का अभाव
- कृषि वित्त की समस्या
- जोखिम कम करने के लिए कृषि
- बीमा की कमी
- अस्पष्ट भू आलेख
- किसानों की कम आय
- अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन की असुविधा

**1.कृषि भूमि का आकार -**

भारत में 86% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं।
अर्थात् इनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम है।
जोतों के छोटे होने का मुख्य कारण जनसंख्या का दबाव और परिवार में जोतों का बंटवारा है।
छोटी भूमि पर पूंजीगत व्यय जैसे सिंचाई सुविधा मशीनीकरण भंडारण आदि लाभप्रद नहीं होते हैं।
इसके कारण कृषि में निवेश कम होता है।

- सीमांत किसान- 1 हैक्टेयर से कम खेत
- लघु किसान- 1 से 2 हैक्टेयर तक का खेत
- लघु-मध्यम किसान- 2 से 4 हैक्टेयर तक का खेत
- मध्यम किसान- 4 से 10 हैक्टेयर तक का खेत
- बड़े किसान- 10 से ज्यादा हैक्टेयर का खेत

### सुधार (Reforms )-

A.भूमि सुधार
B.भूमि का एकीकरण /समेकन
चकबंदी
हदबंदी
सहकारी खेती
अनुबंध खेती

## अनुबंध कृषि (Contract Farming)

• इसके तहत कोई संस्था या कंपनी, एक किसान या अनेक किसानों से समझौता करके कृषि कार्य कराती है।
• अनुबध आधारित कृषि में किसान न तो अपने लिए और न ही अपनी इच्छा से कृषि करता है, बल्कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार कम्पनी के निर्देशानुसार कृषि कार्य करते हैं।
• इसमें क्रेता कंपनी या संस्था किसानों से कृषि उत्पादन के बदले निर्धारित अनुबंध के आधार पर उचित मूल्य भुगतान करती हैं।

Q. "अनुबंध खेती किसान को विकास की मुख्यधारा से जोड़ सकती है,किंतु भारतीय कृषि इसके लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है" टिप्पणी करें।

## सहकारी कृषि

जब अनेक छोटे-छोटे किसान अपनी छोटी जोतों को आपस में मिलाकर कृषि करते हैं, तो इसे

• इस हेतु वे सहकारी समिति का गठन करते हैं।

• समिति को बैंकों से सस्ता कर्ज प्राप्त हो जाता है।

• समिति के सदस्य मिलकर वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि का निर्माण करते हैं।

•किसानों की स्वायत्तता बरकरार रहती है।

• संगठित होने से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं।

## 2 .कृषि विपणन की समस्या-

कृषि विपणन में उन सभी गतिविधियों, एजेंसियों और नीतियों को शामिल किया जाता है, जिनके द्वारा कृषि उत्पादों को किसान के खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है।

कृषि विपणन में बहुत सारी गतिविधियाँ एक दूसरे से अंतर्संबद्ध होती है। जैसे- फसल को उगाना, काटना, कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण एवं विभाजन करना, पैकिंग, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन, वितरण एवं विक्रय करना। भारत में किसानों को विपणन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अशिक्षा और अजागरूकता, मूल्य संबंधी सूचनाओं के अभाव तथा मंडियों की कपटपूर्ण रीतियों के कारण किसान अपने कृषि उत्पादों को औने-पौने दामों पर किसी स्थानीय व्यापारी या साहूकार को विक्रय कर देते हैं।

**APMC में चुनौतियाँ –**

राज्य सरकारों के द्वारा ए.पी.एम.सी. अधिनियम (Agriculture Produce Marketing committee Act. 2003)पारित किए गए हैं। जिसके अनुसार कृषि उत्पाद को सिर्फ कृषि मंडियों में ही बेचा जा सकता है। मंडियों की संख्या कम है तथा मंडी तक पहुंचने के लिए किसानों को परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है तथा परिवहन व्यवस्था भी अल्प विकसित होती हैं।

मंडियों के द्वारा विभिन्न शुल्क तथा कर लगाए जाते हैं, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है।

मंडियों में लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही फसल बेची जा सकती है। इन व्यापारियों की संख्या कम होती है तथा इनके द्वारा समूह का निर्माण कर लिया जाता है, जिससे किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नहीं मिल पाता है।

किसानों की सहायता के लिए 'आडतिया' नामक मध्यस्थ होता है, जो अपनी सेवा की राशि वसूल करता है। इससे किसानों का लाभ कम हो जाता है तथा मध्यस्थों की श्रृंखला बन जाती है।

मंडी में भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण श्रेणी विभाजन का अभाव तथा अन्य आधारभूत ढांचा अत्यधिक कमजोर होता है, जिससे फसलों को नुकसान होता है।

**सुधार हेतु सqझाव एवं योजनाएं-**

•नियमित मंडियों की स्थापना करना

•एक ही राष्ट्रीय बाजार का विकास

•कृषि उत्पादों का श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण

•किसानों को बाजार से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना

•यातायात सुविधाओं का विकास करना

•मानक बाट एवं माप तोल की अनिवार्यता

•कृषि उत्पादों के उचित भंडारण व्यवस्था का विकास

•किसानों को वित्त एवं साख सुविधाएं उपलब्ध कराना

•उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना

•सरकारी खरीद की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना

**Electronic National Agriculture Market/ eNAM)-**

14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ई-मंडी (eNAM) पोर्टल की शुरुआत की थी। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसके माध्यम से देश की 1 हजार से अधिक कृषि मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जोड़ा गया है।

यद्यपि राष्ट्रीय कृषि बाजार एक वर्चुअल बाजार है, लेकिन यह किसानों तथा व्यापारियों को देश की किसी भी कृषि मंडी में कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है।इससे किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होता है।इसका विकास कृषि एवं किसान

कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसकी टैग लाइन "उत्तम फसल, उत्तम इनाम" है।इसके तहत पूरे देश के व्यापारी तथा किसान कृषि उत्पादों को खरीदने एवं बेचने के अवसर प्राप्त करते हैं।

**2.GrAM(Gramin Agriculture Market)-**

22000 हाट बाजारों को ग्राम बाजार के रूप में विकसित किया गया है। जिससे परिवहन लागत कम होगी तथा गांव के पास ही फसल को बेचा जा सकता है।

## 3. आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम )Model APMC Act.)

हमारे देश में कृषि उत्पादों के बाजार को ए.पी.एम.सी. एक्ट 2003 से राज्यों द्वारा रेगुलेट किया जाता था। अप्रैल 2017 में Model APMC कानून की घोषणा की है। जिसके अनुसार –

राज्य सरकारों को यह छूट है कि वह अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी मंडियों के अतिरिक्त निजी मंडी भी स्थापित कर सकते हैं, ताकि कृषि उत्पाद के बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले।

•किसान अपने उत्पादों को सीधे ठेके पर कृषि प्रायोजकों को बेच सकते हैं। अर्थात् यह संविदा कृषि(Contract Farming) की अनुमति देता है।

•एपीएमसी के जरिए कमाए गए राजस्व से बाजार के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना।

•बाजार में कार्य कर रहे लोगों के लाइसेंस की जगह पंजीकरण की व्यवस्था करना ताकि उन्हें एक या एक से अधिक बाजार में संचालन की अनुमति मिल सके।

एम एवं संबंधित .पी.एस.मुद्दे

•किसानों को उनके द्वारा किए गए उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के संदर्भ में सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा की जाती है।

## एम.एस.पी. की परिभाषा-

•वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों की कुछ निश्चित फसलों के पूरे उत्पादन को खरीदने के लिए तैयार रहती है, उसे एम.एस.पी. कहा जाता है।

अथवा

•एम.एस.पी. से तात्पर्य किसानों को सरकार द्वारा दिए गए उस आश्वासन से होता है जिसके तहत वह किसानों को यह भरोसा देती है कि एक निश्चित कीमत पर (MSP) वह उनकी समस्त फसलों को खरीद लेगी। अतः इससे कम कीमत पर वह अपनी फसल को ना बेचे, किंतु यदि बाजार में इससे ज्यादा कीमत है, तो वह अपनी फसलों को बेच सकते है। इसकी घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है

1. खरीफ की बुवाई से पहले जून में।
2. रबी की बुवाई से पहले अक्टूबर में।

**एमएसपी का उद्देश्य**

•किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना।

• किसानों को कीमत अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें फसलों का वाजिब मूल्य उपलब्ध कराना।

•अति उत्पादन होने की स्थिति में मूल्य को गिरने से बचाना किसानों के हितों की सुरक्षा करना।

**MSP की घोषणा कौन करता है?**

एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है। (CCEA)

• सरकार इसका निर्धारण 'कृषि लागत एवं कीमत आयोग'(CACP) की सिफारिश पर करती है।

•उल्लेखनीय है कि 1965 में कृषि कीमत आयोग (APC) का गठन किया था।

• 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि कीमत एवं लागत आयोग (CACP) कर दिया गया।

23 फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' पर होती है।)

• तोरिया की MSP सरसों और डिहस्कड नारियल (dehusked coconut) की नारियल (Coconut) के मुताबिक होती है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 cereals | 5 pulses | 8 oilseeds – तिलहन | वाणिज्यिक फसलें |
| Paddy धान | Gram चना | Groundnut मूंगफली | Raw Cotton |
| Wheat गेहूँ | Arha अरहर | Rapeseed/mustard तोरी/सरसों | Raw Jute |
| Barley जौ | Moong मूंग | Toria/Lahi तोरिया* | Coconut Copra/dehusked coconut* |
| Jowar ज्वार | Urad उड़द | Soyabean सोयाबीन | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bajra<br>बाजरे | Lentil.<br>masoor | Sunflower<br>सूरजमुखी | |
| Maize<br>मक्का | | Sesamum<br>तिल | |
| Ragi<br>Millet<br>रागी | | Safflower<br>कुसुम | |
| | | Niger<br>seed/Ram Til<br>नाइजर<br>बीज | |

## Sugarcane

• गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (Fair and Remunerative Price-FRP) की सिफारिश की जाती है।

### एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाता है?

इसके निर्धारण के लिएनिम्नलिखित तीन विधियां हैं

(1)A2 विधि

(2)A2+FL विधि

(3) C2 विधि

### पहली विधि

पहली विधि A2 =Actual Paid out by Farmers (किसानों द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि) जैसे मिट्टी तैयार करने के लिए जुताई खर्च +बीज + उर्वरक + कीटनाशक + सिंचाई तथा श्रम लागत आदि कृषि आगतों पर हुआ खर्च।

•इसके अंतर्गत वह संपूर्ण लागत आती है। जिसका किसानों के द्वारा भुगतान किया जाता है।

स्पष्ट लागतें (Explicit Costs) कहा जाता है।

### दूसरी विधि

दूसरी विधि = A2+FL (Family Labour Cost/ पारिवारिक श्रम लागत )

Note: A2 में वो सभी श्रम लागत आMजाती हैं जिसके लिए Payment किया जाता है।

जबकि FL में सामान्यतः unpaid श्रमिक होते है। लेकिन किसान का पूरा परिवार इसमे श्रमिक के तौर पर लगा रहता है। आतः उसकी भी मजदूरी बनती है।

A2+FL= मिट्टी तैयार करने की लागत +बीज +उर्वरक +कीटनाशक+ सिंचाई +श्रम + पारिवारिक श्रम की लागत

निहित लागतें (Implicit Costs) इसमें किसानों द्वारा फसल उत्पादन में प्रयुक्त स्वयं के साधनों को शामिल किया जाता है, यथा-स्वयं की भूमि, स्वयं की पूँजी और पारिवारिक श्रम।

C2 के मानक में उपर्युक्त सभी लागतों को ध्यान में रखा जाता है इसलिए इसे व्यापक लागत (Comprehensive Cost) कहा जाता है।

### तीसरी विधि

तीसरी विधि = C2 (Comprehensive Cost/समग्र लागत

•इससे कृषि उत्पादन की सबसे सही लागत निकलती है।

• वर्तमान में एमएसपी के लिए A2+FL+Profit को आधार बनाया जाता है। जबकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है कि C2+ 50% Profit के आधार परएम.एस.पी. निकाली जानी चाहिए।

**Note:**

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।

**1. नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग**

फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED)

स्थापना- 2 अक्टूबर 1958

उद्देश्य- कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना।

**2.ट्राईबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट**

फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED)

स्थापना - 1987

उद्देश्य- जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने हेतु।

Q.न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आप क्या समझते हैं? MSPकृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा?

(उत्तर 100 शब्दों में दीजिए)

## प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

किसानों के उत्पादन का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में पीएम आशा की शुरुआत की है।

•इस योजना के तहत किसानों को MSP से प्राप्त कम राशि की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।

•इस योजना का उद्देश्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से डेढ़ गुणा कर कृषकों को राहत पहुंचाना है।

• पीएम आशा के अंतर्गत किसानों से अन खरीदने के लिए निम्न तीन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

**1. मूल्य समर्थन योजना)PSS)-**

• इसके तहत दलहन, तिलहन, गरी (कोपरा) सहित तमाम फसलों की सीधी खरीद केंद्र की एजेंसियों के साथ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

•खरीद खर्च की भरपाई सहित केंद्र सरकार खरीद में हुई हानि का 25% भी वहन करेगी।

**2. मूल्य न्यूनता)कमी भुगतान योजना/PDPS)**

• इसके अंतर्गत वे तिलहनी फसलें आएंगी जिनके लिए MSP का निर्धारण किया जा चुका हो।

•यदि किसानों को फसल बाजार में MSP से कम कीमत पर बेचने पड़े तो मध्य प्रदेश की 'भावांतर भुगतान योजना' की तरह ही MSP मूल्य और फसल के दाम के अंतर का भुगतान सरकार करेगी।

नोट- उपर्युक्त दोनों योजनाएं केवल सरकार से ही जुड़ी है।

**3. निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना)PPSS)**

• इसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य सरकार एमएसपी से फसल का दाम कम होने की स्थिति में कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अन खरीदने और भंडारण का अधिकार दे सकती है।

• इसका उद्देश्य खरीद और भंडारण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना है।

नोट: उपर्युक्त में से किसी भी योजना का चयन राज्य आवश्यकतानुसार कर सकती है।

**.4कृषि कानून 2020**

सरकार के द्वारा तीन कृषि कानून 2020 में पारित किए गए थे, परंतु किसानों के विरोध के कारण उन्हें वापस ले लिया गया। ये कानून निम्न थे-

**)A) कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार** संवर्धन)मुख्य प्रावधान-

सरकारी कृषि मंडी के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचे जा सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा देना

बाजार शुल्क की समाप्ति का प्रावधान

**लाभ**

किसान अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी उत्पाद को बेच सकता है।

अधिक विकल्पों के होने से किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त हो सकते हैं।

मध्यस्थों की संख्या को कम किया जा सकता है।

किसानों की लागत कम होगी।

प्रतिस्पर्धा के कारण मंडियों के आधारभूत ढांचे में निवेश होगा।

फसल खरीदने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकारी कृषि मंडियों का एकाधिकार समाप्त होगा।

**चुनौतियाँ**

1.•किसानों को आशंका थी कि इससे सरकारी मंडियाँ समाप्त हो जाएगी।

2. • MSP की व्यवस्था समाप्त होने की आशंका।

3. • कृषि विपणन के निगमीकरण (Corporatization)की आशंका।

4. •बिना लाइसेंस के व्यापारी के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है।

**B) किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा अधिनियम /2020**

• यह संविदा कृषि को बढ़ावा देता है।

• 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के कृषि अनुबंध किए जा सकते हैं।

• विवाद निपटारे के लिए त्रिस्तरीय तंत्र

एसडीएम के द्वारा बनाई गई समिति

एसडीएम

.डी एम या भारत सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी

**लाभ**

1. पूर्व निर्धारित कीमत के कारण किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाया जा सकता है।
2. निश्चित आय
3. बेहतर तकनीक तथा गुणवत्तापूर्वक कृषि आगते किसानों को उपलब्ध होंगी।
4. लघु एवं सीमांत किसान समूह बनाकर बेहतर अनुबंध कर सकते हैं।
5. मध्यस्थों की समाप्ति ।
6. कृषि विपणन की लागत कम होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।
7. किसी भी परिस्थिति में किसानों की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता।

**चुनौतियाँ**

1.किसानों की आशंका थी कि ऐसे अनुबंधों में किसानों का पक्ष कमजोर होगा अर्थात् यह अनुबंध निजी कंपनियों (कॉरपोरेट) की ओर झुके होंगे।

2. निजी कंपनियों का पक्ष विवाद निपटारे में अधिक मजबूत होगा।

3.विवाद निपटारे में न्यायालय का प्रावधान नहीं है।

## आवश्यक वस्तु संशोधन 2020

•यह कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करता है।

• ECA-1955 अनाज, दाल, खाद्यान्न तेल, आलू, प्याज, नमक आदि आवश्यक वस्तुओं के भंडारण को एक लिमिट से अधिक करने पर रोक लगाता है।

•ECaA-2020 कानून अनाज, दालों और तिलहन, आलू, प्याज जैसे खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर रखने का प्रावधान करता है।

•सरकार का तर्क है कि अब देश में कृषि उत्पादन लक्ष्य से बहुत अधिक है, ऐसे में स्टॉक लिमिट ठीक नहीं है।

•कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए संशोधन जरूरी है।

•यद्यपि भंडारण सीमा को विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा, फल सब्जियों की कीमतों में 100% से अधिक वृद्धि, खराब ना होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में 50% से अधिक वृद्धि ।

**लाभ**

भंडारण क्षमता का विकास

कृषि निर्यात को बढ़ावा

खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा

**चुनौतियाँ**

• जमाखोरी व कालाबाजारी बढ़ेगी।

• आमजन के लिए वस्तुएं महंगी होगी।

• सस्ते आयात को बढ़ावा मिलेगा।

**निष्कर्ष**

•सरकार किसानों को कृषि कानूनों का लाभ समझाने में असफल रही।

• किसानों से लगातार संवाद कर उनकी आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए तथा क्रमिक रूप से सुधार लागू किए जाने चाहिए।

### 3. उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव-
**Lack of high quality seeds-**

•प्रमाणित बीजों की अनुपलब्धता

•अधिक मूल्य के कारण वहनीय नहीं है।

• जीएम फसलों को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ।

सुधार हेतु योजना -

## बीज ग्राम योजना-

बीज ग्राम योजना की शुरुआत केंद्र सरकारद्वारा वर्ष 2014 -15 में की गयी थी। इस स्कीम के अंतर्गत कृषकों को बीज उत्पादन में सहायता देने के साथ ही फसलों के लिए उच्चकोटि के बीज उपलब्ध कार्य जाते है।

बीज ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके ही क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवानें के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

•प्रशिक्षित किसानों के द्वारा विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्वक बीजों का उत्पादन किया जाता है।

•आपदा की स्थिति में उपलब्ध कराने हेतु बीज बैंक की स्थापना।

• कुछ जीएम फसलों को अनुमति दी गई है।

Bt- cotton

## 4. सिंचाई संसाधनों का अभाव-

**Lack of Irrigation Resources-**

भारतीय कृषि के समक्ष सिंचाई एक बहुत बड़ी चुनौती है।

भारतीय कृषि मुख्यतया मानसून पर आधारित है, इसलिए इसे मानसून का जुआ कहा जाता है।

•भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत-

| | | |
|---|---|---|
| नलकूप | (Tube well) | = 45% |
| नहर | (canal) | = 26% |
| कुआ | (well) | = 19% |
| तालाब | (pond) | = 3% |
| | Other | = 7% |

• पिछले कुछ वर्षों से नलकूपों से सिंचाई बढी है। जिससे कृषि लागत बढ़ गई है तथा भू-जल के अत्यधिक दोहन के कारण बहुत से क्षेत्र डार्क जोन घोषित हो चुके हैं।

•नहरी क्षेत्र में नहर का रखरखाव समय पर ना होने के कारण सेम की समस्या देखी जाती है।

• वाष्पीकरण के कारण भी सिंचाई जल का नुकसान होता हैलघु सिंचाई परियोजनाएं- ये 2000 हैक्टेयर तक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाली परियोजनाएं होती है।

मध्यम सिंचाई परियोजनाएं- ये 2000 हैक्टेयर से अधिक किंतु 10000 हैक्टेयर तक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाली परियोजनाएं हैं। वृहद सिंचाई परियोजनाएं- ये 10000 हैक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमांड छेत्र वाली परियोजनाएं हैं।

Schemes for improvement

## प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

•मानसून पर खेती की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से तथा हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 2 जुलाई 2015 को शुरू की गई।

• केंद्र व राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी क्रमशः (60:40)

•यह योजना Jal Shakti ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है।

•इस योजना के तीन मुख्य घटक है

(a) प्रति बूंद अधिक फसल-

•सूक्ष्म सिंचाई (बूंद -बूंद सिंचाई , फव्वारा / स्प्रिंकलर सिंचाई) को बढ़ावा दिया जाता है।

• कोष सूक्ष्म सिंचाई निधि 10,000 करोड़

(b) हर खेत को पानी -

•प्रत्येक खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

•त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मध्यम व वृहद सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाता है।

(c) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम-

• इसके तहत चेक डेम , तालाब आदि का विकास करके परंपरागत भंडारण तंत्र का संरक्षण व नवीनीकरण किया जाता है।

**Integrated watershed management program:**

## (2) अटल भूजल योजना-

•1 April 2020, को प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिये 'अटल भूजलयोजना' प्रारंभ की गई है।

•इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) ( जल शक्ति मंत्रालय द्वारा) द्वारा किया जा रहा है।

•वित्तीय भार- केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक (50 : 50 ) इस योजना का कुल परिव्यय 6000 करोड़ रुपए है

•सात ऐसे राज्यों पर केंद्रित जहां भूजल अत्यधिक नीचे चला गया।इस योजना के तहत पहचान किये गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रोंमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। ये राज्य भारत के कुल भूजल के दोहन के संदर्भ में 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक जोखिम तथा कम जोखिम वाले ब्लॉक हैं।

•पंचायत के नेतृत्व में भूजल प्रबंधन व भूजल प्रयोग के व्यवहार में परिवर्तन लाना।

### 3) राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट

2016 में शुरू किया गया सुदूर संवेदन के द्वारा जल संसाधन विभाग का पूर्वानुमान लगाया जाता है

5.उर्वरकों की समस्या-

| (मुख्य पोषक तत्व) Macro Nutrient | गोण पोषक तत्व Micro Nutrient | सूक्ष्म पोषक तत्व Micronutrients | भौतिक पैरामीटर Physical parameters |
|---|---|---|---|
| • **नाइट्रोजन (N) Nitrogen** | • **सल्फर (S) Sulphur** | •**जिंक(Zn) Zinc** | • **pH** |
| • **फास्फोरस (P) Phosphorous** | | •**फेरस(Fe) Ferrous** | • **Electrical conductivity(EC)** |
| • **पोटेशियम (K) Potassium** | | •**कॉपर(Cu) Copper** | • **Organic Carbon (OC)** |
| | | • **मैग्नीशियम(Mn), Magnesium** | |
| | | • **बोरोन (B) Boron** | |

• मुख्य उर्वरक के रूप में
नाइट्रोजन(N),
फास्फोरस(P) और
पोटेशियम(K) का अनुपात मृदा में 4: 2:1 होना चाहिए, परंतु भारत मेंयह अनुपात 8:3:1 है।
•इस असंतुलन का मुख्य कारण सब्सिडी युक्त रासायनिक उर्वरकों काप्रयोग है। जिसमें सर्वाधिक प्रयोग यूरिया का किया जाता है। इससे भूमि की उत्पादकता प्रभावित होती है तथा भू-जल भी दूषित होता है।

**Reforms**

**A. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी-**

रासायनिक उर्वरक बनाने वाली कंपनी को विभिन्न पोषक तत्वों के वजन के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। परंतु इसमें यूरिया शामिल नहीं है।

**B.मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना-**

19 फरवरी,2015 को सूरतगढ़ (श्री गंगानगर) से यह योजना शुरू की गई थी।
• यह कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है।
• इसका क्रियान्वयन सभी राज्य एवं केंद्र शासित सरकारों के कृषि विभागों के माध्यम से किया जा रहा है।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जिसमें खेत की मृदा का सैंपल लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण करके किसानों को यह कार्ड दिया जाता है।
• मृदा के विभिन्न 12 अवयवों की मात्रा को इस कार्ड में अंकित किया जाता है।
• मृदा की अम्लीयता, लवणीयता तथा क्षारीयता को जांच कर मृदा की गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव उपलब्ध कराए जाते हैं।
• तथा मृदा के अनुकूल कौनसा उर्वरक है तथा कौन सी फसल लगानी चाहिए इसकी सलाह दी जाती है।
• किसानों को प्रत्येक 2 वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का प्रावधान किया गया है।
• टैगलाइन 'स्वस्थ धरा-खेत हरा'

## 3. नीम लेपित यूरिया

कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जब सामान्य यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसमें से कुछ यूरिया अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाता है जिसे 'अमोनिया वाष्पीकरण' कहते हैं।
इस अमोनिया वाष्पीकरण के दौरान लगभग 8 से 10% नाइट्रोजन की हानि होती है।
इस नाइट्रोजन का पूर्ण इस्तेमाल करने के लिए नीम लेपित यूरिया की शुरुआत की गई है।
नीम लेपित यूरिया में यूरिया का प्रत्येक दाना नीम तेल से लेपा होता है। जो मृदा में यूरिया की घुलन दर को कम कर देता है और इस प्रकार फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है।
नीम में ऐसे गुण होते हैं जो प्रत्येक स्तर पर नाइट्रोजन की क्षति को नियंत्रित करते हैं।
नीम नाइट्रेट निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है।
नीम लेपित यूरिया के प्रयोग करने का कारण यह है कि यह जल में जाकर शीघ्रता से नहीं घुलता और पौधों के

लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहकर उस की वृद्धि में सहायक बनता है।

भारत सरकार ने मई 2015 में 100% नीम लेपित यूरिया उत्पादन करने हेतु इसे विनिर्माताओं के लिए अनिवार्य बनाया है एवं दिसंबर 2015 से आयातित यूरिया भी नीम तेल से 100% लेपित हो रहा है इसी के परिणामस्वरूप मंडी में उपलब्ध कुल यूरिया नीम लेपित हैं।

## . पीएम-प्रणाम

'पृथ्वी माता के पुनर्रूद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम' राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शरू किया जाएगा।

- **योजना की विशेषताएँ:**
  - इस योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा और उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत सब्सिडी बचत का 50% उस राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा जो पैसा बचाता है।
    - योजना के तहत प्रदान किये गए अनुदान का 70% गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीकी अपनाने से संबंधित परिसंपत्ति सृजन के लिये उपयोग किया जा सकता है।
    - शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और **स्वयं सहायता समूहों**__को पुरस्कृत करने तथा प्रोत्साहित करने के लिये किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग को कम करने व जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।
  - एक वर्ष में यूरिया के रासायनिक **उर्वरक उपयोग को कम करने की गणना की तुलना पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से की जाएगी।**
    - इस उद्देश्य के लिये, उर्वरक मंत्रालय के डैशबोर्ड, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली )Integrated Fertilizer Management System-IFMS) पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाएगा।

## (4) जैविक खेती को बढ़ावा देना।

'परंपरागत कृषि विकास योजना'

Paramparagat Krishi Vikas Yojana'- किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2015 में यह योजना प्रारंभ की थी।

• इसके तहत 50 या अधिक किसानों को संगठित कर 50 एकड़ भूमि का एक प्लास्टर बनाकर जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

•प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ ₹20000 की सहायता दी जाती है।

• ऐसे 10000 कलर्स को का निर्माण किया गया है जिससे 5 लाख एकड़ भूमि पर जैविक खेती की जा सके।

• बाजार से जुड़ाव और जैविक खेती का प्रमाणीकरण

• बजट 2020 में यह घोषणा की गईथी कि 5 किमी के क्षेत्र में रसायन मुक्त गलियारा बनाया जाएगा जिसमें गंगा नदी के पास जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा

## ऑर्गेनिक फार्मिंग

जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। बल्कि इनके स्थान पर जैविक खाद व प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है।

• प्रमुख जैविक उर्वरकों में गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है।

• वस्तुतः जैविक उर्वरक लाभकारी जीवाणुओं के वो उत्पाद हैं जो मिट्टी एवं हवा से मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन व फास्फोरस को अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं।

## 6.आधुनिक मशीनों का अभाव-

•आधुनिक कृषि उपकरणों विशेषकर भारतीय भू-आकृति के अनुरूप कृषि उपकरणों की कमी एक बड़ी समस्या है।

• लघु और सीमांत किसानों केपास आधुनिक मशीनों के लिए वित्त का अभाव है।

•कृषि उपकरण भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं (स्थलाकृति और जलवायु में विविधता)

• छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक मशीनरी के लिए वित्त की कमी

## सुधार

•हरित क्रांति

•कृषि उन्नति योजना- कृषि मशीनीकरण के लिए सब मिशन

•बजट 2022 में घोषणा की गई है कि किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा।

## 7.कृषि ऋण की समस्या-

• किसानों को दो कार्यों के लिए कर्ज की आवश्यकता होती है।

A. उत्पादन गतिविधियों के लिए। जैसे बीज, खाद, उर्वरक, कृषि उपकरण, भूमि आदि खरीदने हेतु।

B. गैर उत्पादक गतिविधियों के लिए। जैसे तीज, त्योहार, शादी, बच्चों की पढ़ाई- लिखाई आदि हेतु।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की कृषि कर्ज आवश्यकता के लिए कर्ज देने हेतु दो साधन होते हैं।

संस्थागत स्त्रोत- वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक

B. गैर संस्थागत स्त्रोत- साहूकार, महाजन, चैट्टी, रेड्डी, जमींदार इत्यादि।

• सामान्यतः किसानों को उत्पादन गतिविधियों के लिए संस्थागत कर्ज बैंकों से प्राप्त हो जाता है।जो तीन प्रकार का होता है।

1.अल्पकालीन कर्ज - यह 15 महीनों तक के लिए दिया जाता है।जैसे खाद, बीज,चारा आदि खरीदने हेतु।

2. मध्यम कालीन कर्ज- यह 15 माह से 5 वर्ष हेतु दिया जाता है। जैसे कृषि उपकरण, पशुधन, कृषि औजार खरीदने हेतु।

3. दीर्घकालीन कर्ज- यह 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए होता है। जो जमीन, कृषि मशीनरी आदि खरीदने के लिए दिया जाता है।

वित्तीय समावेशन के अभाव में औपचारिक/ संस्थागत स्रोतों से वित्त की उपलब्धता कम होती है। इस कारण किसान कर्ज की आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक/गैर संस्थागत स्त्रोतों पर निर्भर होते हैं। जहां ब्याज की दरें ज्यादा, शर्तें कठिन व वसूली के तरीके निर्मम होते हैं।

भारत में लगभग दो-तिहाई कृषि मानसून पर निर्भरहै। अतः फसल उत्पादन में जोखिम बहुत ज्यादा होता है।कम उत्पादन के कारण कई बार किसान लिए गए कर्ज को समय पर नहीं चुका पाते हैं।

कई बार किसानों द्वारा ऋण राशि का प्रयोग कृषि में निवेश की बजाय तात्कालिक घरेलू आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, जिससे उत्पादन कम होता है और वे ऋण नहीं चुका पातेहैं।

तथा पुनः ऋण चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और वे कर्ज जाल में फस जाते हैं और जब इससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है

तो वे आत्महत्या कर लेते हैं।

## सुधार हेतु कदम –

• बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ का ऋण लक्ष्य रखा गया है।

### किसान क्रेडिट कार्ड योजना-

•शुरुआत 15 अगस्त 1998 ने तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा।

•उद्देश्य- साहूकारों के शोषण से बचाने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी योजना है। इसके माध्यम से बहुत कम ब्याज दर पर किसानों को कर्ज मिलता है।

•पात्रता- ऐसे किसान जो 5000 या अधिक मूल्य के उत्पादन ऋण के लिए योग्य हैं, वह किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार होंगे।

•वैधता- किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिए वैध होता हैं तथा प्रत्येक निकासी का भुगतान 12 माह के भीतर करना होगा।

नाबार्ड केसीसी की प्रबंधक इकाई है। जबकि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक इसे किसानों को प्रदान करते हैं।

**• ब्याज सहायता योजना**

2006-07 से लागू है।

इसके तहत किसानों को तीन लाख तक की राशि 7% ब्याज दर पर प्रदान की जाती है। यदि किसान समय पर कर्ज चुकाते हैं तो उनको उनको ब्याज दर पर 3% सब्सिडी प्राप्त होती है अर्थात् प्रभावी ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष होती है।

इसका क्रियान्वयन नाबार्ड और आरबीआई द्वारा किया जाता है।

Q. जैविक उर्वरक के लाभ बताइए। (20 शब्द)
Q.अनुबंध आधारित कृषि क्या है? (20 शब्द)
Q.भारत में कृषि साख के प्रमुख स्रोत क्या है?(20 शब्द)
Q. मृदा स्वास्थ्य कार्ड। (20 शब्द)
Q. कृषि साख कितने प्रकार की होती है (20 शब्द)
Q. भारतीय कृषि क्षेत्र की पांचप्रमुख समस्याएं बताइए? (20 शब्द)
Q. हरित क्रांति पर टिप्पणी करें। (20 शब्द)
Q.किसान क्रेडिट कार्ड।(20 शब्द)
Q. भारत में कृषि साख के लिए ब्याज अनुदान योजना क्या है? (50 शब्द)
Q. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्य व विशेषताएं बताये।(50 शब्द)
Q. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाके उद्देश्य व विशेषताएं बताएं।(50 शब्द)

## 8. जोखिम कम करने के लिए कृषि बीमा की कमी-

कृषि अत्यधिक जोखिम युक्त पेशा है। फसल उगाई से लेकर कटाई तक कई चुनौतियों से इसमें नुकसान की संभावना होती है। किंतु जागरूकता के अभाव में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी अत्यधिक कम है।

### Pradhan Mantri fasal bima yojna

- 18 feb, 2016 को भारत सरकार ने यह बीमा योजना प्रारंभ की थी।
- इसका उद्देश्य फसल उपज के सभी जोखिमों अर्थात् फसल बुवाई के पूर्व, खड़ी फसल एवं फसल कटाई के बाद 14 दिनों की अवधि में चक्रवात, चक्रवाती वर्षा , बेमौसम बारिश, पाला, आगजनी, सूखा, अतिवृष्टि,कीटों आदि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।
- किसानों को 'एक मौसम- एक दर' पर न्यूनतम प्रीमियम राशि के बदले 100% तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

प्रीमियम राशि -

खरीफ की फसल के लिए 2%

रबी फसल के लिए 1.5 %

और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% अधिकतम निर्धारित है। शेष राशि सरकार के द्वारा वहन की जाती है।

दावों के शीघ्र निपटान तथा नुकसान के त्वरित आकलन के लिए 'रिमोट सेंसिंग तकनीक, स्मार्टफोन और ड्रोन आदि का प्रयोग किया जाता है।

राज्य सरकार इसके लिए स्थानीय जोखिमों को भी शामिल कर सकती है और नुकसान के आकलन के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है।

ताकि किसानों को गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसल के नुकसान के विरुद्ध व्यापक बीमा कवरेज प्रदान किया जा सके।

## 9.अस्पष्ट भू आलेख-

अस्पष्ट भू आलेखों के कारण कानूनी विवादों की संख्या अधिक है। जिससे भूमि पर निवेश तथा कृषि उत्पादन प्रभावित होता है।

## सुधार-

स्वामित्व योजना- SVAMITVA (Survey of villages and mapping with improvised technology in village areas)

24 अप्रैल, 2020 को पंचायती राज दिवस(Panchayati Raj Diwas) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वामित्व योजना' को शुरू कियाथा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स' देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है।इस योजना का लक्ष्य देश के गाँवों में लोगों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक देना है। यह योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगी। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह, ग्रामीणों की ओर से ऋण और अन्य

वित्तीय लाभ लेने के लिये वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
इसका उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-
प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना (भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। )

**Low income of farmers**

• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(NSO) ने हाल ही में ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण(SAS) 2019 जारी किया।

•SAS के अनुसार 2018-19 के दौरान भारत में एक कृषि परिवार की औसत कुल मासिक आय ₹ 10,829 थी, जो फसल वर्ष 2012-13 में ₹6427 थी।

• किसानों की कम आय होने का मुख्य कारण आय का एक ही स्त्रोत कृषि कार्य होना हैं।

**सुधार हेतु योजनाएं**

## .1प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

शुरुआत- 24 फरवरी 2019

•यह केंद्रीय योजना है। 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

•इसके तहत किसान परिवार को ₹6000 प्रति वर्ष तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

•इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आगतो की खरीद संबंधी छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है।

•संस्थागत भूमि धारक और प्रतिष्ठित पद वाले व्यक्ति को बाहर रखा गया है।

## .2 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

• यह एक पेंशन योजना है।

• 18 से 40 वर्ष के आयु के बीच के किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

• जिन्हें क्रमशः 55 से 200 रुपये के बीच प्रीमियम जमा कराना होंगा।( आयु के हिसाब से प्रियम राशि तय होगी)

• 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3000 की पेंशन दी जाएगीminimum pension of ₹3000 per month, who attains the age of 60 years.

•भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India-LIC) को पेंशन कोष का फंड प्रबंधक नियुक्त किया गया है।

## PM KUSUM

•इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल 60% सब्सिडी पर मिलते हैं, जिससे वह बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।

•अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद शेष बची बिजली को, बेचा भी जा सकता हैं। जिससे किसान को अतिरिक्त आय होगी।

## (कृषि अवसंरचना निधि शुरुआत-

9 अगस्त 2020कुल राशि- एक लाख करोड़ रुपये।

• योजना वर्ष 2020-21 से लेकर 2032-233 तक जारी रहेगी। उद्देश्य- सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे।

• फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना (Post-Harvest Management Infrastructure) का विकास करना।

•यह योजना ब्याज अनुदान व वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों (Community Agricultural Assets) में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण संबंधी वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराती है।

•यह ऋण कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को दिया जाता है।

• अधिकतम ऋण 2 करोड़ तक •ब्याज दर पर 3% सब्सिडी दी जाएगी।

# औद्योगिक क्षेत्र

## Index


1. औद्योगिक प्रवृतियाँ जीडीपी में योगदान वृद्धि दर

**2. औद्योगिक नीतियाँ-**

- प्रथम औद्योगिक नीति-1948
- द्वितीय औद्योगिक नीति-1956
- तृतीय औद्योगिक नीति-1991

**3. उद्योगों के प्रकार-**

- कुटीर उद्योग
- ग्राम उद्योग
- सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग
- निगम
- सार्वजनिक उपक्रम
- महारत्न ,नवरत्न ,मिनिरत्न

4.उद्योगों का महत्व

5.उद्योगों के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ

6.समाधान के उपाय व सरकारी योजनाएं

7.औद्योगिक वित्त

8.उदारीकरण, निजीकरण,वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार

9.अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि


## औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान

वित्त वर्ष 2021-22 में 28.2 % था जो कि 2022-22 में बढ़कर 28.48%% हो गया है।

चित्र 1: सकल मूल्य वर्धन में उद्योग तथा उसके घटकों का भागीदारी

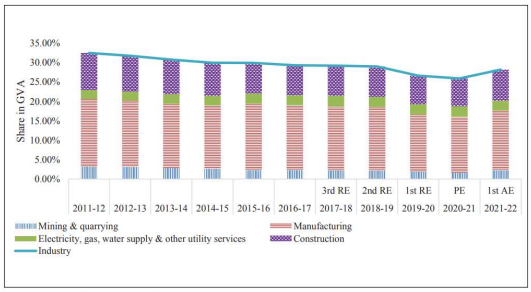


स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना। चालू कीमतों पर डेटा।

## उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर

•वित्त वर्ष 2020-21 में lockdown के कारण वृद्धि दर -7.0% रही।

• वित्त वर्ष 2021-22 में यह बढकर 11.8% रही है। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह बढकर 4.1% रही है।

तालिका 1: उद्योग में सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि

| क्षेत्र | वर्ष | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| | | | | | | 3rdआरई | 2ndआरई | 1stआरई | पीई | 1stएई |
| खनन और उत्खनन | 0.6 | 0.2 | 9.7 | 10.1 | 9.8 | -5.6 | 0.3 | -2.5 | -8.5 | 14.3 |
| उत्पादन | 5.5 | 5.0 | 7.9 | 13.1 | 7.9 | 7.5 | 5.3 | -2.4 | -7.2 | 12.5 |
| बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं | 2.7 | 4.2 | 7.2 | 4.7 | 10.0 | 10.6 | 8.0 | 2.1 | 1.9 | 8.5 |
| निर्माण | 0.3 | 2.7 | 4.3 | 3.6 | 5.9 | 5.2 | 6.3 | 1.0 | -8.6 | 10.7 |
| उद्योग | 3.3 | 3.8 | 7.0 | 9.6 | 7.7 | 5.9 | 5.3 | -1.2 | -7.0 | 11.8 |

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय डेटा पर आधारित सर्वेक्षण गणना। आरई – संशोधित अनुमान, पीई-अनंतिम अनुमान, एई – उन्नत अनुमान

## औद्योगीकरण
## Industrialization-

औद्योगिकीकरण से तात्पर्य जीडीपी , श्रम शक्ति, उत्पादन व निवेश में उद्योगों की बढ़ती हिस्सेदारी से है।

### औद्योगिक नीतियाँ)Industrial Policies)-

• भारत में उद्योगों के विकास को बढ़ाने हेतु समय-समय पर औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई है।

•औद्योगिक नीतियाँ देश में औद्योगिक विकास की कार्ययोजना प्रस्तुत करती है।

•औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करती है एवं औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा प्रदान करती है।

**देश की प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ इस प्रकार हैं-**

प्रथम औद्योगिक नीति- 1948
दूसरी औद्योगिक नीति-1956
तृतीय औद्योगिक नीति-1991

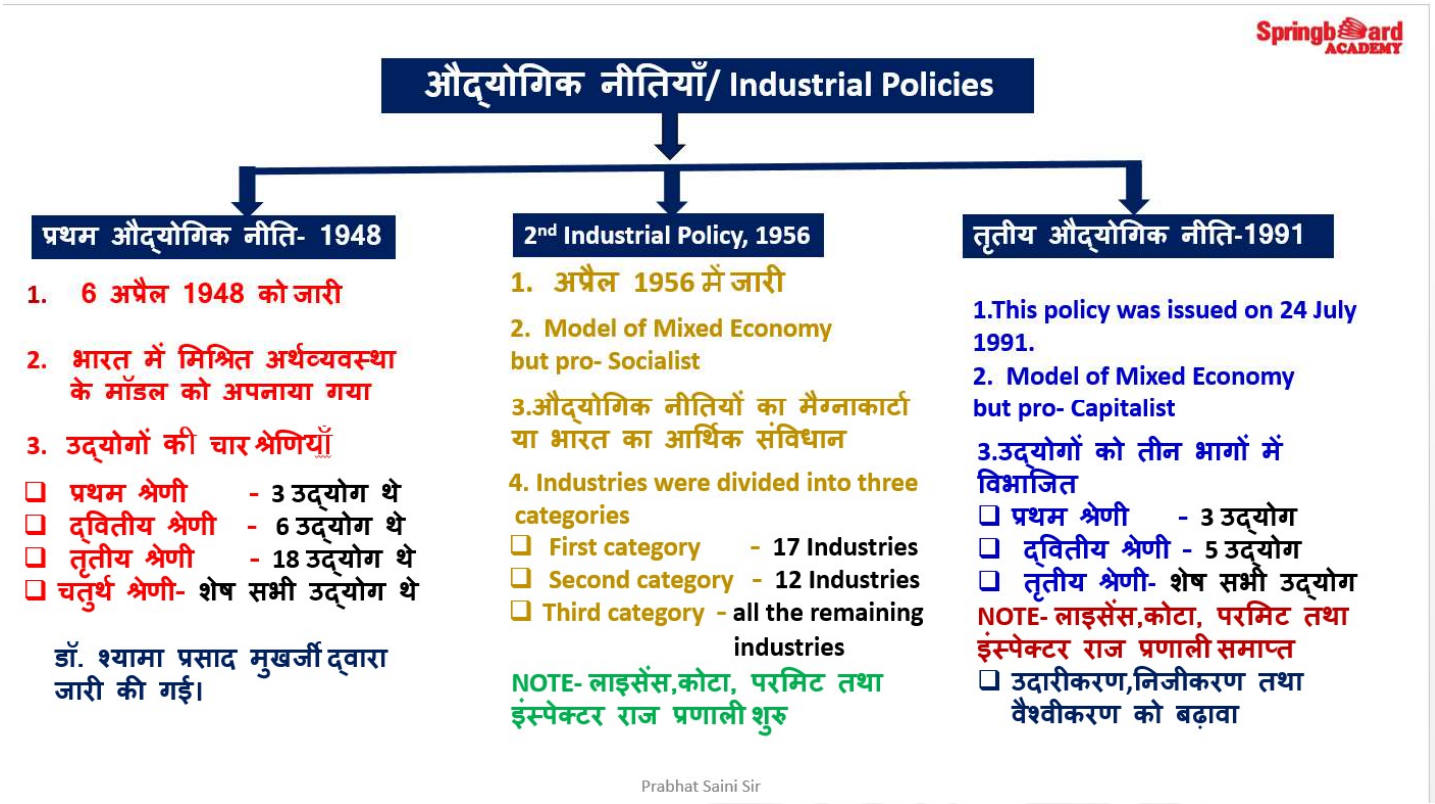


## प्रथम औद्योगिक नीति- 1948

भारत की प्रथम औद्योगिक नीति डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को जारी की गई।

• इस नीति से यह निर्धारित हुआ कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया जाएगा, जिसमें सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होगी।

• इस नीति में उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया।

**<u>प्रथम श्रेणी-</u>**

इसमें 3 उद्योगों को रखा गया, जिन पर सरकार का एकाधिकार था।

• ये सामरिक महत्व के उद्योग थे। जैसे अस्त्र-शस्त्र व युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे

**<u>द्वितीय श्रेणी-</u>**

इसमें बुनियादी क्षेत्र के 6 उद्योगों को रखा गया।

• इसमें नए निजी निवेश की अनुमति नहीं थी। किंतु पहले से चले आ रहे निजी उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गई थी। यदि सरकार चाहे तो 10 वर्षों के बाद इनका राष्ट्रीयकरण कर सकती थी।

• नया निवेश केवल सरकार द्वारा किया जा सकता है। जैसे कोयला, लौह-इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा वायरलेस के यंत्रों व उपकरणों का निर्माण।

**<u>तृतीय श्रेणी-</u>**

इसमें 18 उद्योगों को रखा गया था।

ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित थे किंतु इन पर सरकार का नियंत्रण था। जैसे मशीन टूल्स, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र, रसायन आदि उद्योग।

**<u>चतुर्थ श्रेणी-</u>**

शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया। ये उद्योग निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खुला था। अर्थात् इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। सामान्यतः यह उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योग थे।

निजी क्षेत्र अपनी इच्छा अनुसार इनका उत्पादन करते थे।

## दूसरी औद्योगिक नीति 1956

•इसे 'नेहरू-महालनोबिस मॉडल' नाम से भी जाना जाता है

•इस नीति के तहत देश में पहली बार उद्योगों के लिए विस्तृत गाइडलाइन बनाई गई जो अपने आप में पहली बार विस्तृत सुधार थे।

• इसीलिए इसे **<u>औद्योगिक नीतियों का मैग्नाकार्टा</u>** या भारत का आर्थिक संविधान के नाम से भी जाना जाता है।

इसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया था-

1.भारी और मशीन निर्माण उद्योग का विकास।

2.सार्वजनिक क्षेत्र का विकास।

3.विशाल और बढ़ते सहकारी क्षेत्र की स्थापना।

4.निजी क्षेत्र में स्वामित्व व प्रबंधन के प्रसार को प्रोत्साहन।

5. इस नीति में रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व पर बल दिया।

•इसमें उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था।

### <u>प्रथम श्रेणी के उद्योग</u>

इसमें कुल 17 उद्योग थे, जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थे।

• मुख्यतः इनमें सुरक्षा, खनन,अनुसंधान,इंफ्रास्ट्रक्चर, परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योग थे, जिन पर सरकार का एकाधिकार था।

• इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम से जाना जाता है।

### <u>द्वितीय श्रेणी के उद्योग</u>

इसने 12 उद्योगों को शामिल किया गया था।

• यह ऐसे उद्योग थे जिन पर सरकार पहल करेगी यदि संभव हुआ तो निजी क्षेत्र की भागीदारी से भी विकसित किया जाएगा, किंतु निजी निवेश को लाइसेंस,कोटा, परमिट तथा इंस्पेक्टर राज प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था।
जैसे दवा, रसायन, उर्वरक इत्यादि।

### <u>तृतीय श्रेणी के उद्योग</u>

शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया।

• इसमें केवल निजी क्षेत्र काम करते थे, किंतु ये सरकार के नियंत्रण में होते थे।

• स्थापना हेतु सरकार से लाइसेंस व परमिट लेना होता था तथा इनमें कोटा निर्धारित किया गया और सरकारी इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण की शुरुआत की गई।

• इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना था।

## द्वितीय औद्योगिक नीति का प्रभाव

प्रारंभिक काल में इस नीति के सकारात्मक प्रभाव देखे गए।

•विभिन्न क्षेत्रों में निवेश होने लगा जिससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए परंतु दीर्घकाल में इस नीति के नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए। जैसे-

1. PSUs रोजगार प्रदान करने के लिए एक मात्र मात्र स्रोत हो गए। इसलिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके।

2. PSUs में राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक था, जिसके कारण PSUs की दक्षता प्रभावित हुई।

3. प्रतिस्पर्धा के अभाव व अधिक लागत के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में जाने लगे। घाटे की भरपाई बजटीय सहायता से की जाती थी।जिससे PSUs के विस्तार में निवेश न

हो सका।
4. प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण उत्पादों की गुणवत्ता कमजोर थी।
5. निजी निवेश सीमित था, इसके कारण औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो सका।
6.लाइसेंस और कोटा राज के कारण भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया।
7. निर्यात अत्यधिक कम था, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध था, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार अत्यधिक कम था और भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था की भांति थी।
8. सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई जिसके कारण बजटीय घाटा बढ़ गया।
जिससे 1990 तक आते-आते
नई औद्योगिक नीति जारी करनी पड़ी।
कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनकी स्थापना में सहयोगी देश

तृतीय औद्योगिक नीति- 1991

• यह नीति 24 जुलाई 1991 को जारी की गई।
•इसे राव-मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है।
•1991 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया गया।
•अब राज्य उत्पादनकर्ता(Producer State) के स्थान पर प्रेरक राज्य(Facilitator State) की भूमिका में आ गया।
• लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया और विभिन्न उद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
• 1991 की औद्योगिक नीति में वित्तीय नियंत्रण को भी समाप्त किया गया। अब भारतीय उद्योग बैंकों से ऋण लेने के अलावा अन्य स्रोतों से भी ऋण ले सकते थे। जैसे शेयर बाजार, विदेशी वाणिज्यिक उधारी(E.C.B.), म्यचुअल फंड इत्यादि।
• भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोला गया।
•अब आयात-निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया।
• भारतीय उद्योगपतियों को भी विदेशों में निवेश करने की अनुमति दी गई। इस औद्योगिक नीति में भी उद्योगों को तीन भागों में विभाजित किया गया था।

**<u>प्रथम श्रेणी</u>**

•सरकार के एकाधिकार वाले 3 उद्योग-
1. परमाणु ऊर्जा
2. प्रमाण ऊर्जा अनुसंधान
3. रेल सेवा।

हालांकि धीरे-धीरे इनमें भी छूट दी जा रही है जैसे रेलवे आधारभूत संरचना
विकास में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

**<u>द्वितीय श्रेणी</u>**

इसमें 5 उद्योग शामिल किए गए हैं, जिनका उत्पादन तो कोई भी कर सकता है। किंतु इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
ये उद्योग है-
1.अल्कोहल युक्त पेय व शराब बनाना
2.सिगरेट, तंबाकू एवं तंबाकू से निर्मित उत्पाद
3.इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण तथा एयरोस्पेस
4.बारूद,माचिस, औद्योगिक विस्फोट तथा प्रस्फोटक फ्यूज उद्योग
5.खतरनाक रसायन

**<u>तृतीय श्रेणी</u>**

शेष सभी उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया जिनके उत्पादन के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार इस नीति में उदारीकरण निजीकरण तथा वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया।

## 1991 की औद्योगिक नीति का मूल्यांकन –

### सफलताएं

1.औद्योगिक विकास तथा जीडीपी में वृद्धि।
2. विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि इसके तहत FDI और FPI दोनों में वृद्धि हुई है।
3. विदेशी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया गया, जिससे उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि हुई।
4.विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि वर्तमान में लगभग 605 बिलीयन डॉलर।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई।
6. बुनियादी ढांचे का विकास हुआ।
7. गरीबी में कमी आई है(2011में 21.9%)
8.रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

• कृषि और उद्योग आर्थिक सुधारों के बाद पिछड़ते गए जबकि समावेशी विकास के लिए सभी क्षेत्रों में अनुकूल बदलाव होना चाहिए। जैसे 1990-91 में विनिर्माण क्षेत्र का कुल GDP में योगदान 16.4% था, वह 2020-21 तक 14.4% के आसपास की रहा है।

• आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उम्मीद के मुताबिक विकास नहीं हुआ।

• श्रम कानूनों में आज भी जटिलताएं हैं

•औद्योगिक निकास नीति (इंडस्ट्रियल एग्जिट पॉलिसी) का नहीं होना।

• रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं नवाचारों की कमी का होना।

• पर्यावरण से जुड़े कानूनों में जटिलता होना।

• एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलना।

• जनसंख्या के अनुरूप रोजगार के अवसरों में कम वृद्धि हुई,जिससे रोजगार विहीन आर्थिक संवृद्धि की अवधारणा देखी गई।

## औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
## )Index of Industrial Production-IIP)

• IIP किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में किसी खास अवधि में उत्पादन की स्थिति के बारे में जानकारी देता है।

• इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन NSO द्वारा इस सूचकांक के आंकड़े हर माह जारी किए जाते हैं।

• ये आंकड़े आधार वर्ष के मुकाबले उत्पादन में बढ़ोतरी या कमी के संकेत देते हैं।

• इसका आधार वर्ष 12 मई 2017 को 2004-05 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया था।

• यह सूचकांक उद्योग क्षेत्र में हो रही संवृद्धि को बताने का सबसे सरल तरीका है।

• औद्योगिक उत्पादन सूचकांक विनिर्माण, खनन तथा विद्युत क्षेत्र की 407 मदों (Items) के उत्पादन के आधार पर मापा जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा भारांश विनिर्माण क्षेत्र को दिया गया है।

| | क्षेत्र / Sectors | भारांश( |
|---|---|---|
| 1 | विनिर्माण(Manufacturing) | 77.63% |
| 2 | खनन (Mining) | 14.37% |
| 3 | विद्युत (Electricity) | 7.99% |

उपयोग के आधार पर इन 407 मदों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है

| | 6 भाग | मद = 407 | भारांश = 100% |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राथमिक या बुनियादी वस्तुएं, Primary or Basic Items | 15 | 34.1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | पूंजीगत वस्तुएं, Capital Goods | 67 | 8.2% |
| 3. | मध्यस्थ वस्तुएं, Intermediate items | 110 | 17.2% |
| 4. | विनिर्माण व इंफ्रास्ट्रक्चर वस्तुएँ, Manufacturing and Infrastructure goods | 29 | 12.3% |
| 5 | टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, Durable Consumer Goods | 86 | 12.8% |

## कोर उद्योग Core Industries-

• आठ प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों को कोर उद्योग कहा जाता है।

• ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनके विकास से अन्य उद्योगों का विकास होता है।

• IIP Index में इन उद्योगों का भारांश 40.27% है।

1. रिफाइनरी = 28.04%
2. विद्युत = 19.85%
3. इस्पात = 17.92%
4. कोयला = 10.33%
5. कच्चा तेल = 8.98%
6. प्राकृतिक गैस = 6.88%
7. सीमेंट = 5.37%
8. उर्वरक = 2.63%

Q. What are the eight core Industries that support infrastructure in India? RAS Mains-2021

## उद्योगों के प्रकार (Types of Industry's)

**1. कुटीर उद्योग)Cottage Industries)** ये उद्योग पारिवारिक स्तर पर लगाए जाते हैं।

• इनका स्वामित्व परिवार के पास ही होता है।

• इनमें निवेश बहुत कम किया जाता है तथा तकनीक का प्रयोग भी नाममात्र का होता है।

• इनमें काम करने वाले व्यक्ति स्थाई वेतन भोगी श्रमिकों के बजाय परिवार के सदस्य ही होते हैं। जैसे पेंटिंग, रुई की धुनाई, कुमार, बढ़ई, लोहार आदि का काम, गुड़, अचार, पापड़, जैम एवं मसाले आदि खाद्य वस्तुएँ, चमड़े के उत्पाद, ईंटभट्टी का - काम,कागज़ के थैले, बाँस की टोकरियाँ का निर्माण आदि कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं।

**2. ग्राम उद्योग-** यह उद्योग ग्राम स्तर पर लगाए जाते हैं।

• जहां जनसंख्या 10000 से कम हो। इनमें निवेश लगभग • 15000 तक होता है।

• कुटीर और ग्राम उद्योग के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग 1956 में स्थापित किया गया था।

**3.लघु उद्योग)Small Industries)**

• इनकी परिभाषा के लिए 'सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006' बनाया गया है।

• जिसके अनुसार इसकी परिभाषा प्लांटसंयंत्र या मशीनरी में / किए गए निवेश के आधार पर दी गई थी।

• इसके अनुसार इन उद्योगों को विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दो भागों में बांटा गया।

**विनिर्माण से संबंधित MSMEs**

• सूक्ष्म उद्योग -25 लाख से कम निवेश।

• लघु उद्योग -25 लाख से 5 करोड़ तक निवेश।

• मध्यम उद्योग -5 करोड़ से 10 करोड़ तक निवेश।

**सेवा क्षेत्र से संबंधित MSMEs**

• सूक्ष्म उद्योग -10 लाख से कम निवेश।

• लघु उद्योग -10 लाख से 2 करोड़ तक निवेश।

• मध्यम उद्योग -2 करोड़ से 5 करोड़ तक निवेश।

• MSME उद्योगों के उपर्युक्त परिभाषा को 1 july 2020 को संशोधित किया गया है।

• अब वस्तु और सेवा क्षेत्र वाला विभाजन समाप्त कर दिया गया और दोनों के लिए एक ही सीमा तय की गई है। इसके अनुसार अब....

1.सूक्ष्म उद्योग वो होंगे जिसकी प्लांट एवं मशीनरी में निवेश एक करोड़ तक किया गया हो तथा उद्यम का वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक हो।

2.लघु उद्योग वह होंगे जिनमें निवेश 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का हो तथा टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ तक हो।

3.मध्यम उद्योग वें होंगे जिनकी प्लांट और मशीनरी में निवेश 10 करोड़ से 50 करोड़ तक हो तथा वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपये तक हो।

4. वृहत उद्योग)Heavy Industries) ऐसे उद्योग जिनमें 50 करोड़ से अधिक निवेश किया गया हो तथा उनका वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक हो।

**लघु एवं कुटीर उद्योगों का अर्थव्यवस्था में महत्व -**

•भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा उद्देश्य समावेशी समृद्धि है। यह तभी हो सकती है जब समाज के निचले तबकों तक संवृद्धि का लाभ पहुंचे।

समावेशी विकास में इन MSME उद्योगों का बहुत ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि ये श्रम प्रधान उद्योग होते हैं।

• बेरोजगारी के संकट को समाप्त करने में इन उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इनमें रोजगार बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं।

• इनमें ज्यादा कुशलता की मांग भी नहीं होती है। अतः अकुशल गरीब लोगों को कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं में प्राप्त होता है।

• लोकेशनल एडवांटेजलघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से - छोटे -हम स्थानीय स्तर पर संसाधनों का दोहन करके छोटे उद्योग बना सकते हैं। जिससे हर क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होंगे, उद्योगों का विकेंद्रीकरण होगा तथा उत्पादकता बढ़ेगी और क्षेत्रीय विषमता समाप्त होगी।

• यह कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की विषमताओं को समाप्त करता है।

• शहरी एवं ग्रामीण विषमता को समाप्त करता है।

• शहरों में ग्रामीण प्रवसन को रोकता हैं, जिससे शहरों में ट्रैफिक, झुग्गीझोपड़ियों -, लूट, अपहरण जैसी समस्याओं में कमी आती है। तो वहीं ग्रामीणों का शहरों में शोषण नहीं हो पाता है।

• यह उद्योग निर्यात संभावनाओं को भी विकसित करते हैं। जैसे भारत से निर्यातित वस्तुओं में कपड़े, हीरेजव -ाहरात, हस्तशिल्प, चमड़ा जैसे उत्पाद भी महत्वपूर्ण है। इनमें से अधिकांश का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योगों से ही होता है।

• इसके अलावाये कीमत नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योगों की जीडीपी में लगातार हिस्सेदारी घट रही है, जो चिंता का विषय है।

• उल्लेखनीय है कि ये औद्योगिक विकास में 45%, निर्यात में 40% तथा कुल रोजगार में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं।

•संख्या के आधार पर सबसे अधिक लघु एवं कुटीर उद्योग तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश मे है।

• जबकि रोजगार के आधार पर सबसे अधिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में है।

**एमएसएमई उद्योगों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ**

(1) इनकी लागत ज्यादा होती है। क्योंकि तकनीकी पिछड़ापन, महंगा असंगठित क्षेत्रों का कर्ज, अकुशल श्रमिकों से उत्पादन के कारण उत्पादकता कम होना तथा भंडारण इत्यादि के लिए गोदाम आदि का अभाव होना।

(2) आधारभूत संरचना का अविकसित होना, बिजली संकट, यातायात संकट आदि का होना।

(3) वैश्वीकरण का प्रभाव-1990 के पश्चात् जब भारत में LPG को लागू किया गया, तो इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ने लगा।

• परिणामस्वरुप ये छोटे उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए और -धीरे या तो समाप्त हो गए अथवा इन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों -धीरे ने इनका अधिग्रहण कर लिया।

• उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए इन उद्योगों को निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता थी-

(1) कुशल मानव संसाधन।

(2) 24 घंटे अबाधित विद्युत आपूर्ति।

)3) सस्ती पूंजी।

(4) आधारभूत संरचनाओं का विकास।

(5) बाजार से जुड़ाव।

(6) बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में संरक्षण।

ऐसे में सरकार की नीतियाँ निम्नलिखित हैं-

1. लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए लघु उद्योग विकास संगठन)SIDO) का गठन किया गया। जो इनके विकास के लिए शीर्ष संस्था है।

2. MSMEs के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम )NSIC) का गठन किया गया। जो प्लांट एवं मशीनरी के संदर्भ में इन उद्योगों को सस्ता वित्त उपलब्ध कराता है।

3. 1990 में इन उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक )SIDBI) का गठन किया गया।

4. वर्ष 2015 में इन उद्योगों को सस्ता व आसान कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए मुद्रा बैंक की स्थापना की जो इन्हें 10 लाख रुपये तक का सस्ता कर्ज देता है।

5. इसी तरह विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उदय योजना प्रारंभ की गई।

6.ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया।

7.इनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने हेतु इन्हें ईकॉमर्स से -जोड़ा गया है।

8. कुशल मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए स्किल इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया।

9. बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संरक्षण देने के लिए मल्टी ब्रांड रिटेल विदेशी निवेश में उद्योगों के उत्पाद बेचने के बाध्यता लागू की गई।

10. इसी तरह राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का 'राज्य वित्त निगम' गठित किया गया। जो राज्य स्तर पर इन उद्योगों के विकास के लिए कर्ज देता है।

11.इसी तरह आधारभूत संरचना विकास उद्यमिता संरचना विकास के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट की सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके लिए विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है।

12.इसी तरह मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ईबिज पोर्टल-, पीएलआई योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाओं को हाल ही में प्रारंभ किया गया, जिनसे भारत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सकेगा।

13. चैंपियन पोर्टल (www.champions.gov.in)

• उद्देश्य- एमएसएमई उद्योगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना।

• एमएसएमई समाधान, उद्यम पंजीकरण, CPGRAM जैसे विभिन्न पोर्टलों के साथ एकीकरण।

14. विश्वकर्म योजना

शुभारंभ- 17 सितंबर 2023

घोषणा - 15 अगस्त 2023

लाभार्थी- लोहार, सुनार, कुम्हार, बढई, मूर्तिकार, नाव बनाने वाले, मूर्तिकार, मोची, दर्जी, नायी जैसे विभिन्न व्यवसाय में लगे पारंपरिक कारीगर तथा शिल्पकार विश्वकर्मा शामिल है।

इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार शामिल है।

प्रकार- केंद्रीय योजना।

मंत्रालय - सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय

लाभ- 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर एक लाख रुपये की पहली किस्त और दो लाख रुपए की दूसरी किस्त की ऋण सहायता।
समयावधि- 5 (वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक)
कुल बजट- 13000 करोड रुपए ।
इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए ₹500 प्रतिदिन और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए ₹1500 का अनुदान दिया जाएगा

Q. Define micro, small and medium enterprises on the basis of investment and annual turnover in India. RAS Mains-2021

Q. वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म (Micro) उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है?

A. 10 लाख C. 25 लाख
B. 1 करोड़ D. 10 करोड़

Q. लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि-
A.वह बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं।
B.सरकार उनकी सहायता करती है।
C.वे पारंपरिक हैं।
D. इनका प्रबंधन सरल होता है।

Q. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरुप औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) में रोजगार कैसे कम हुए? टिप्पणी करें। (50 शब्द)

Q. MSMEs उद्योगों की नई परिभाषा क्या है? (50 शब्द)
Q. उद्योग क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी तथा वृद्धि दर पर टिप्पणी करें। (20 शब्द)

Q. औद्योगिक क्षेत्र के विकास में एफडीआई की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए।(50 शब्द)

Q. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम भारत में आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक हैं। इस कथन का परीक्षण कीजिए।(100 शब्द)

Q. वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।(100शब्द)

Q. कोर उद्योग किसे कहते हैं? इसमें कौन-कौन से उद्योग शामिल है? (50 शब्द)

Q. मेक इन इंडिया पर टिप्पणी करें। (50 शब्द)
Q. स्टार्टअप इंडिया पर टिप्पणी करें। (50 शब्द)
Q. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर टिप्पणी करें। (100 शब्द)
Q. 1991 की औद्योगिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (100शब्द)

## निगम /कम्पनी) Company)

• किसी व्यापार को संचालित करने के उद्देश्य से गठित स्वैच्छिक संगठन कंपनी कहलाता है।
• भारत में किसी कंपनी का गठन एवं पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा किया जाता है।
• कंपनी के प्रमुख लक्षणों में स्वतंत्र कानूनी अधिकार, सीमित देयता, निरंतर उत्तराधिकार, स्वतंत्र संपत्ति, शेयरों की हस्तांतरणीयता, सामान्य मुहर एवं स्वतंत्र प्रबंधन आदि है।

### कंपनियों के प्रकार (Types of Companies)

#### लिमिटेड कंपनीसीमित देयता कम्पनी/

• ऐसी कंपनी के डूबने पर कंपनी की देयताएं (Liabilities) सिर्फ कंपनी की संपत्ति तक ही सीमित होती है, अर्थात् शेयरधारकों या प्रमोटर्स की व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई देयता नहीं होती है। तो

उसे लिमिटेड कंपनी कहा जाता है।अनलिमिटेड कंपनी-असीमित देयता कम्पनी/

**Unlimited Company/Unlimited Liability Company-**

ऐसी कंपनी के डूबने पर देयताएं कंपनी व प्रमोटर्स दोनों पर होती है।

• अर्थात् कंपनी की देयताओं को चुकाने के लिए दोनों की बाध्यता होती है।पब्लिक लिमिटेड कंपनी सार्वजनिक कम्पनी/

•ऐसी कंपनी जिसका स्वामित्व/ मालिकाना हक जनता के पास होता है तथा इसके शेयर कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, रख सकता है या बेच सकता है।

• इस प्रकार की कंपनी में कम से कम 7 सदस्य/ प्रमोटर्स होने चाहिए, अधिकतम प्रमोटर्स की संख्या शेयरों की संख्या के बराबर हो सकती है।

• इस प्रकार की कंपनी में निदेशकों की संख्या कम से कम 3 और अधिकतम 15 तक हो सकती है।

**निजी कंपनी/Private Limited Company**

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऐसी कंपनी में कम से कम 2 प्रमोटर्स का होना आवश्यक है। और अधिकतम सदस्यों/प्रमोटर्स की संख्या 200 तक हो

सकती है।

- इसमें निदेशकों की संख्या कम से कम 2 तथा अधिकतम 15 हो सकती है।
- ऐसी कंपनी पर मालिकाना हक पूर्णतः प्रमोटर्स का होता है तथा कंपनी के शेयरों पर इन्हीं लोगों का अधिकार होता है। यह आम जनता के लिए शेयर जारी नहीं कर सकती हैं।

**सरकारी कंपनी)Government Company)-**

किसी कंपनी में 51% या अधिक पूंजी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों सरकारों के पास हो, तो उसे सरकारी कंपनी कहते हैं।

• सरकारी कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महारत्न, नवरत्न, मिनिरत्न इत्यादि कंपनियों को शामिल किया जाता है।

**लोक उपक्रम )Public Sector Undertaking)**

भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उद्यमों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या PSUs कहा जाता है।

•

इनकी स्थापना के उद्देश्य-

1.अर्थव्यवस्था में पहलकारी भूमिका निभाना अर्थात् जिन क्षेत्रों या राज्यों में निवेश नहीं हुआ वहां औद्योगिक गतिविधियों में निवेश करके औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना।

2. संवृद्धि के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना ताकि गरीबी, बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।

3. सामाजिक, आर्थिक न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। जैसे कम कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य करना, जिस भौगोलिक क्षेत्र में भौतिक रूप से PSU स्थापित है, वहां के लोगों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना।

## प्रकार-Types-

A.विभागीय पी.एस.यू. - ये किसी मंत्रालय के अधीन होते है। जैसे रेलवे, डाकघर।

B.विधिक प्रक्रिया द्वारा स्थापित लोक उपक्रम जिनकी स्थापना संसद ने कानून बनाकर की है। जैसे एल.आई.सी., एफ.सी.आई., एस.बी.आई.

C. कंपनी- जिनकी स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत हुई है। इस प्रकार की कंपनियों में 51% से

ज्यादा शेयर सरकार के पास होते हैं जैसे नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कंपनियाँ। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न PSUs

## महारत्न )Maharatna)-2010

• महारत्न योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वायत्तता देखकर अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है।

**<u>महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक मानदंड:</u>**

1.कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये।
2.कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नियामकों
के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होनी चाहिये।
3.विगत तीन वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए
से अधिक होना चाहिये।
4.पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।
5.पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिये।
6.कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिये।

**<u>महारत्न कंपनी से लाभ</u>**

महारत्न कंपनियाँ बिना सरकार की अनुमति के अपने निवल मूल्य के 15% या 5000 करोड़ रुपए तक घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisition) या निवेश कर सकती हैं।

**<u>भारत में महारत्न PSUs की संख्या-</u>**

Oil India Ltd. को 3-8-2023 को महारत्न का दर्जा मिलने पर अब इनकी संख्या 13 हो गई है।

1.भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Limited)
2.भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited)
3.कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited)
4.गेल इंडिया लिमिटेड (GAIL India Limited)
5.हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited)
6.इंडियन आयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Indian Oil Corporation Limited)
7.राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (National Thermal Power Corporation Limited)
8.ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Oil and Natural Gas Corporation Limited)
9.स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited)
10.पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Power Grid Corporation of India Limited)
11.Power Finance Corporation Ltd.
12. REC Ltd.
13.Oil India Ltd.

## नवरत्न )Navratna)-1997

•कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

• पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो।

•इसके लिए 6 पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं। इन पैरामीटर्स के आधार पर 100 अंक का स्कोर निर्धारित किया गया है। जिनमें 60 तक अंक प्राप्त करने वाली कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलता है।

ये मानदंड है

1.कुल शुद्ध पूंजी (Net worth)

2.निवल लाभ (Net Profit)
3.कुल श्रम शक्ति लागत
4.वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की लागत
5. प्रति शेयर आय (income per share )
6.सेवा निष्पादन (Performance of services)
•वर्तमान में कुल 16 नवरत्न कंपनियां है।

**<u>नवरत्न कंपनी के लाभ</u>**

•नवरत्न कंपनियों को एक हजार करोड़ या परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना सरकार की अनुमति के निवेश करने की स्वायत्तता होती है।

**मिनी रत्न-1 - (1997)**

•लगातार पिछले 3 वर्षों से लाभ कमा रही पीएसयू या पिछले 3 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में ₹30 करोड़ या इससे अधिक का लाभ कमाया हो।

<u>लाभ :</u>

• इस प्रकार की कंपनी अपने networth के बराबर या 500 करोड रुपए तक (जो भी कम हो) निवेश करने के लिए स्वतंत्र होती है।
• ऐसी कंपनियों की कुल संख्या 57 है।

**मिनी रत्न-2**

• पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ में है। साथ ही उसका networth सकारात्मक होना चाहिए।

<u>लाभ</u>

• इस प्रकार की कंपनी 300 करोड़ या networth के 50% तक जो भी कम हो निवेश करने के लिए स्वतंत्र होती है।
•ऐसी कंपनियों की कुल संख्या 11 है।

## <u>नेटवर्थ )Net Worth)-</u>

से तात्पर्य प्रदत्त पूंजी या चुकता पूंजी(Paid up Capital) अर्थात् कंपनी में लगा हुआ निवेश + कंपनी रिजर्व या कंपनी की बचत(Company Reserves)

## आर्थिक सुधार हेतु उठाए गए कदम तथा सरकारी योजनाएं

उदारीकरण ,
निजीकरण तथा
वैश्वीकरण
FERA to FEMA
SEZ
आर्थिक सुधार

## उदारीकरण )Liberalisation)

•इससे तात्पर्य है कि राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करें। और अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाये
•अर्थात् कोटा प्रणाली, लाइसेंस व्यवस्था, परमिट प्रणाली, इंस्पेक्टर राज इत्यादि को समाप्त किया जाए तथा बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और राज्य उसकी क्षमता को बढ़ाने में सहायक बने।

अथवा

उदारीकरण का आशय आर्थिक नियमों तथा कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया है।

अथवा

•अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो आयाम लागू किए जाते हैं, उन्हें उदारीकरण कहा जाता है।
• इसमें वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेशी विनिमय दर प्रणाली, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार करने हेतु अनेक अनावश्यक नियमों एवं नियंत्रणों को समाप्त किया जाता है।
1991 के बाद भारत में उदारीकरण हेतु अनेक कदम उठाए गए। जैसे

1.लाइसेंस राज को समाप्त किया गया।
2. एमआरटीपी एक्ट को समाप्त किया गया।
3. वित्तीय क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए।
4. करो में व्यापक सुधार किए गए।
5. विदेशी विनिमय दर प्रणाली में सुधार किया गया।
6. फेरा के स्थान पर फेमा कानून लागू किया गया।
7. व्यापार और निवेश नीति में सुधार किया गया।
8. टैरिफ दरों में कमी की गई।

## निजीकरण)Privatization)

निजी करण से तात्पर्य है कि राज्य निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करें अर्थात् राज्य स्वयं उत्पादन कार्यों से हट जाए। व निजी क्षेत्रों को फलने-फूलने दे।

अथवा

•अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है।

• इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटाई जाती है अर्थात् विनिवेश किया जाता है।

<u>लाभ</u>

1. इससे निजी निवेश, तकनीक, प्रबंधन आदि अर्थव्यवस्था को प्राप्त होने लगे।
2. निजीकरण से सार्वजनिक उपक्रमों का संचालन व्यावसायिक आधारों पर होने लगा ।
3. इससे PSUs के एकाधिकार की जगह प्रतिस्पर्धा बड़ी जिससे रोजगार के ज्यादा अवसर उत्पन्न होने लगे।
4. प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण उपभोक्ताओं की चयन की स्वतंत्रता बढी।
5. प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए निजी कंपनियों द्वारा कम कीमत में ज्यादा गुणवत्ता युक्त वस्तु प्रदान की जाने लगी।

## वैश्वीकरण)Globalization)

• घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना ही वैश्वीकरण कहलाता है।

• इसके तहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमाओं के बाहर होता है।

अथवा

वैश्वीकरण से तात्पर्य एक देश से अन्य देशों में वस्तु, सेवा, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह होने से हैं। अर्थात् जब कोई राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोलता है, तो इसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है।

• इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वस्तुओं, सेवाओं, टेक्नोलॉजी तथा पूंजी आदि के मुक्त प्रवाह में व्याप्त अवरोध व सरकारी हस्तक्षेप आदि को समाप्त किया जाता है।

• विदेशी निवेश को बढ़ाने हेतु मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है तथा देश के औद्योगिकीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

**<u>वैश्वीकरण के लाभ (Benefits of Globalization)</u>**

- तस्करी नहीं होती है।
- तकनीकों का आगमन होता है।
- विदेशी निवेश आने से रोजगार में वृद्धि होती है।
- आधारभूत संरचना का विकास होता है।
- उद्यमिता, कौशल विकास आदि बढ़ते हैं।

• अब एक देश के श्रमिक दूसरे देश में श्रम प्रदान करने हेतु जा सकते हैं।

• इस प्रकार वैश्वीकरण से नागरिकों को विश्व की हर सुविधाएं अपने देश में ही प्राप्त हो जाती है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी होती है।

• वैश्वीकरण हेतु आउटसोर्सिंग, विदेशों में निवेश, PTA,FTA जैसे समझौते करके टेरिफ प्रक्रिया को सरल किया जाता है।

- पूरा विश्व एक गांव की भांति हो जाता है, परस्पर निर्भरता बढ़ने लगती है,विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। इससे युद्ध जैसी चुनौतियाँ

समाप्त होने लगती है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से घरेलू कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। जिससे घरेलू उद्योग अपनी उत्पादकता, गुणवत्ता व तकनीक में तेजी से सुधार करने के लिए बाध्य होते हैं।

- राष्ट्र में विदेशी निवेश बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि होती है। जिससे भुगतान संतुलन के संकट की समस्या समाप्त होती है।
- विदेश व्यापार में वृद्धि होने से विदेशों में भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- आर्थिक संबंधों में वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है।
-

**<u>निष्कर्ष (Conclusion)</u>**

•इस प्रकार उदारीकरण ने औपचारिकताओं तथा सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करके देश में उदार व्यापारिक वातावरण का निर्माण किया है।

• वहीं निजीकरण ने सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के काम करने के लिए समान धरातल स्थापित किया है साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का काम किया है।

• तो वही वैश्वीकरण में वस्तु, सेवा, पूँजी, तकनीक, श्रम, एफडीआई व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे शेष विश्व के लिए खोल दिए हैं। परिणामस्वरूप भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विकास तेजी से बढ़ रहा है।

## विदेशी विनिमय नियामक अधिनियम )Foreign Exchange Regulation Act-FERA),1973

•इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था। 1973 में लागू

• विदेशी मुद्रा रखने पर आपराधिक मुकदमा (Criminal Offense/ फौजदारी अपराध) दर्ज किया जाता था।

•आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती थी।

• दोषी पाए जाने पर कारावास व जुर्माना दोनों होता था।

• जुर्माना आरोप का 5 गुना था।

•आरोपी व्यक्ति को स्वयं निर्दोष सिद्ध करने का उत्तरदायित्व था।

## विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम )Foreign Exchange Management Act-FEMA)

• 1999 में अटल बिहारी वाजपेई सरकार द्वारा पारित किया गया।

•अवैध विदेशी मुद्रा रखने पर सिविल मुकदमा (Civil Offence/दीवानी अपराध)दर्ज किया जाता है।

• आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

• दोषी पाए जाने पर केवल आर्थिक जुर्माना।

• जुर्माना केवल 3 गुना ।

• आरोपों को सिद्ध करने और प्रमाण देने का उत्तरदायित्व जांच एजेंसी का होता है।

## विशेष आर्थिक क्षेत्र )Special Economic Zone-SEZ)

विशेष आर्थिक क्षेत्र देश में स्थित एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है,जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं।

• इसे आर्थिक रूप से विदेशी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है।

• यह एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होता है। यहां पर उत्पादन हेतु निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का

बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाता है।

• इसमें किए गए उत्पादन में कर में छूट होती है, बशर्ते कि किए गए उत्पादन का 100% निर्यात करें।

• यदि किए गए उत्पादन को घरेलू बाजार में बेचा जाता है तो उसे आयात समझा जाएगा और उस पर सीमा शुल्क (Custom Duty) लगेगी।

• इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।

• आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इसके उद्देश्य हैं।

• भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2000 को सेज पॉलिसी की घोषणा की थी तथा 2005 में सेज कानून बना था जो फरवरी 2006 में लागू किया गया।

•भारत ने सेज की अवधारणा 2000 में चीन से अपनाया है। चीन ने 1979 में सेज लागू किया था।

• यद्यपि इसी प्रकार का एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन (EPZ) भारत के कांडला में 1965 में बनाया गया था। अर्थात् SEZ जैसी पहल भारत में EPZ के रूप में चीन से बहुत पहले थी।

<u>SEZ में निम्नलिखित की छूट होती हैं :</u>

• सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों में छूट जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी,

• प्रत्यक्ष करों में छूट-

पहले 5 वर्षों तक 100%

अगले 5 वर्षों तक 50%

• 100% एफडीआई की अनुमति।

• श्रम कानूनों में छूट।

•सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराना।

•भारत में 427 अनुमोदित सेज हैं जिनमें 267 सेज काम कर रहे हैं।

एवं इनमें 20 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है।

• इनमें पांच लाख करोड़ का निवेश आया है तथा सात लाख करोड़ का सेज से निर्यात हुआ है।

## सेज के समक्ष चुनौतियां
## (Challenges before SEZs)

1.उपजाऊ भूमि पर सेज की स्थापना कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है।

2. बाहरी उद्योगों को सेज में स्थानांतरित करना।

3. चीन जैसा प्लान नहीं होना।

4. आधारभूत संरचना की चुनौती।

5. लालफीताशाही

6. अनेक राज्यों ने सेज नीति ही नहीं बनाई।

7. श्रम कानूनों से संबंधित चुनौतियां।

8. WTO के नियमों का SEZ से विरोधाभासी होना ।

9. सेज की बहुत सी भूमि बिना उपयोग के ही व्यर्थ पड़ी होना।

**<u>सेज नीति की समीक्षा के लिए बाबा कल्याणी समिति</u>**

SEZ को प्रभावी बनाने के लिए, SEZ को डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार बनाने तथा शेष की खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए 2018 में बाबा कल्याण समिति गठित की गई थी।

Note:

सेज संशोधन अधिनियम- 2019 इसके माध्यम से ट्रस्ट को भी सेज में उत्पादन की अनुमति दी गई।

## राजस्थान में सेज
## (Special Economic Zones in Rajasthan)

1. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर)लिमिटेड, जयपुर

2. सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड, खुशखेड़ा,भिवाड़ी,अलवर

3. जेनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर(जयपुर)प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर

4. वाटिका जयपुर सेज डेवलपर्स लिमिटेड, जयपुर
5. मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम, जोधपुर
6. आर.एन.बी. इन्फ्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर

## औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाएं

### मेक इन इंडिया)Make In India)

भारत को विनिर्माण क्षेत्र का वैश्विक हब बनाने तथा भारत को एक आदर्श निवेश स्थल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई।

### स्टार्टअप इंडिया)Start up India)

नए क्षेत्रों में या नए तरीके से स्थापित उद्यम को स्टार्ट अप कहा जाता है। जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोप्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, फ्यूल आदि क्षेत्रों में।

**Minicorn**

Minicorn startups are companies with valuations of more than $ 1 million and they are still on the rise to become a unicorn business.

**Soonicorn**

Startups have growth potential and the possibility of joining a unicorn club called Soonicorn. Soonicorn company is primarily funded and financed by an Angel Investor or a venture capitalist.

**यूनिकॉर्न )UniCorn)**

ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य एक अरब डॉलर से अधिक हो गया है यूनिकॉर्न कहलाते हैं। जैसे- Flipkart, BharatPe, Dream11, PhonePe, BYJU'S, OLA Cabs, OYO Rooms, Swiggy, Zomato.
This term was created by Aileen Lee, the founder of Cowboy Ventures,and it appeared in 2013.

**)DecaCorn)**

ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, Decacorn कहलाते हैं।
Flipkart, BYJU'S, Swiggy

**)Hectocorn)**

ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, Hectacorn कहलाते हैं।

•भारत में नवाचार और स्टार्टअप उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु 16 जनवरी 2016 को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।

•इसके तहत स्टार्टअप कारोबारियों को 3 साल के लिए आयकर में छूट दी गई है।

• स्टार्टअप के लिए एग्जिट प्लान की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत 90 दिनों की अवधि में स्टार्टअप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे।

• अटल इन्नोवेशन मिशन के तहत ट्रेनिंग देने हेतु इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। जहां शुरुआती अवस्था में स्टार्ट अप को आवश्यक बुनियादी ढाँचा व सहायता प्रदान की जाती है।

•16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया है।

• भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर।

• कानूनों के अनुपालन के लिए स्टार्टअप हेतु स्व प्रमाणन-)self-certification) सिस्टम होगा।

• 3 वर्षों तक निरीक्षण हेतु कोई अधिकारी नहीं आएगा, जिससे इंस्पेक्टर राज मुक्त परिवेश मिलेगा।

• स्टार्टअप मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के माध्यम से साधारण फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन कराना संभव होगा।

• स्टार्टअप कारोबारियों को पेटेंट शुल्क में 80% तक की छूट दी जाएगी।

• वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने लायक स्टार्टअप को चयनित करके सरकार ₹10 करोड़ की मदद करेगी।

•10000 करोड रुपए का स्टार्टअप कोष बनाया गया है।

### स्टैंड अप इंडिया)Stand Up India)

SC-ST तथा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 April,2016 में यह योजना शुरू की गई थी।

• इसके तहत उपर्युक्त श्रेणी के उद्यमियों को बैंकों से 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

## उत्पादन आधारित प्रोत्साहन-2020 स्कीम )Production Linked Incentive Scheme-PLI)

• 2020 को शुरुआत की गई।

•इस योजना में 14 उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जिनमें उत्पादन प्रारंभ करने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।

• इसके तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

• इसके तहत उन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां भारत अभी तक आयात करता है।

•अतः इस योजना से न केवल इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा बल्कि उन क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी और भारत इन क्षेत्रों में निर्यात के अवसरों को भी उत्पन्न करेगा।

• इस योजना से भारतीय विनिर्माता भी दुनिया भर में बढ़ती प्रतियोगिता का सामना कर सकेंगे।

इस योजना से निम्नलिखित लाभ होंगे -

•इस योजना से भारत में निवेश एवं रोजगार बढ़ेगा तथा निर्यात के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

•वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

• उत्पादन में दक्षता को प्राप्त किया जाएगा।

•निर्यात बढ़ेगा।

• निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा।

•घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्धी एवं प्रभावी बनेगा।

Q. व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक बतलाइए। भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने हेतु कौन से घटक उत्तरदायी हैं? (100 शब्द) RAS MAINS-2021

## 4th Generation Economic Reform

इनकी नीव तैयार की जा रही है।

इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G, 3D प्रिंटिंग, Boi प्रिंटिंग, डीप स्पेस, न्यू स्पेस, सोलर सेल, फ्यूल सेल जैसे सुधार किए जा रहे हैं।

इन इंडस्ट्रीज सुधारों को Industries 4.0 कहा जाता है।

सभी उद्योगों को Sunrise Industries कहा जाता है

## आत्मनिर्भर भारत अभियान)ABA)

• 12 मई 2020 को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में इसकी शुरुआत हुई।

• 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज।

• जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में भारत को औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिलाना है।

•यह आत्मनिर्भरता)Self-Reliance) आत्म केंद्रित )Self-Centered) भारत की तरफ नहीं ले जाता है, क्योंकि इसमें वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं है।

•लेकिन कोविड-19 के संकट के अनुभवों से प्रेरणा ली गई कि संकट काल में दूसरा सहायक नहीं हो सकता है।

### आत्मनिर्भर भारत अभियान के चरण

प्रथम चरण

• इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

द्वितीय चरण :

इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

## आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभ

• आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर केंद्रित है।

1.अर्थव्यवस्था)Economy) - जो वृद्धिशील परिवर्तन )Incremental Change) के स्थान पर बड़ी उछाल)Quantum Jump) पर आधारित होगी।

2. अवसंरचना)Infrastructure) - ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।

3. प्रौद्योगिकी)Technology)

21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली है। अतः इसके विकास पर बल देना है।

4. गतिशील जनसांख्यिकी)Vibrant Demography) - जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है।

5. मांग )Demand) - भारत की मांग और आपूर्ति श्रंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना।

Q. भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है?( 100 शब्द)nnRAS Mains-2021

1.राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना (National Infrastructure Pipeline Project-NIP)

2.राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetization Pipeline)

3. पीएम गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana)

4. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन-2020 स्कीम (Production Linked Incentive Scheme-PLI)

## औद्योगिक वित्त

## ) Industrial Finance)-

-औद्योगिक क्षेत्र के विकास अर्थात् स्थापना से लेकर पुनर्जीवन (बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनः संचालन), आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण आदि के लिए पूंजी संबंधी आवश्यकता की पूर्ति ही औद्योगिक वित्त कहलाता है।

औद्योगिक पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1.स्थिर पूंजी या दीर्घकालीन पूंजी (Fixed Capital or Long Term Capital)- किसी नए उद्योग के प्रारंभ में भूमि, भवन, मशीनों, औजार, फर्नीचर आदि स्थाई परिसंपत्तियों का क्रय करने के लिए आवश्यक पूंजी को दीर्घकालीन पूंजी कहते हैं।

2. कार्यशील पूंजी या अल्पकालिक पूंजी(Working Capital or Short Term Capital)- किसी उद्योग के दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने,कच्चा माल खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने एवं अन्य
प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी को अल्पकालिक पूंजी कहते हैं।

औद्योगिक वित्त के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है।

**<u>1.आंतरिक स्रोत (Internal Sources)-</u>**

शेयर पूंजी, ऋण पत्र, लाभ का पुनर्निवेश।अंश/शेयर पूंजी(Share Capital)- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी, स्थाई पूंजी जुटाने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) के माध्यम से प्रिफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर जारी करके पूंजी एकत्रित कर सकती है।

Q. स्वचालित मार्ग तथा सरकारी मार्ग जिनके द्वारा भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करता है, को समझाइए। (50 शब्द) RAS MAINS- 2021

## ऋण पत्र )Debenture)-

कंपनी ऋण पत्रों को जारी करके भी पूंजी एकत्र कर सकती है। ऋण पत्रों में जोखिम की मात्रा कम होती है।

•ऋण पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं

1.परिवर्तनीय ऋण पत्र

2.अपरिवर्तनीय ऋण पत्र।

लाभ का पुनर्निवेश(Ploughing Back of Profit)

कम्पनी लाभ के पुनर्निवेश के माध्यम से भी पूँजी प्राप्त कर सकते हैं।

•कंपनी अपने लाभ के एक हिस्से को अपने शेयर धारकों में वितरित न करके उसे उद्योग के विस्तार हेतु उद्योगों में ही निवेश कर सकती हैं।

**2. बाह्य स्रोत )External Sources)-**

व्यापारिक बैंक, सार्वजनिक जमाएँ, उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन।

व्यापारिक बैंक उद्योगों की कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी उपलब्ध कराने में व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

सार्वजनिक जमाएँ / Public Deposits

भारतीय औद्योगिक कंपनियों द्वारा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार की सार्वजनिक जमाएँ स्वीकार की जाती है।

## उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन

उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है। जैसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड(IFCI), राज्य वित्त निगम(SFCs), भारतीय औद्योगिक विकासबैंक(IDBI)भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक )SIDBI) Small Industries Development Bank of India (SIDBI)

SIDBI की स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कामकाज में समन्वय के लिए 2 अप्रैल 1990 को संसद के द्वारा की गई थी।

### भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड )Industrial Finance Corporation of India Ltd.-IFCI)

भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना एक वित्तीय संस्थान के रूप में की थी।

• आईएफसीआई का मुख्य उद्देश्य भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए दीर्घकालिक तथा मध्यकालीन साख की व्यवस्था करनी है।

### राज्य वित्त निगम
### )State Finance Corporation-SFCs)

•लघु एवं मध्यम आकारके उद्योगों के लिए वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 28 सितंबर 1951 को राज्य वित्त निगम अधिनियम पास किया।

•जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में राज्य वित्त निगम की स्थापना कर सकती है।

•वर्तमान में दिल्ली सहित 19 राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित हो चुके हैं

### जोखिम पूंजी )Venture Capital)-

नए स्टार्टअप या कंपनियों के लिए व्यवसाय को शुरू करने और व्यवसाय को विस्तार देने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रारंभिक पूंजी जिसमें सामान्यतः से जोखिम विद्यमान रहता है, जोखिम पूंजी कहलाती है।

अथवा

जोखिम पूंजी उद्योगों को प्रारंभ करने एवं विस्तार देने के लिए एक दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी होती है।

Q. औद्योगिक वित्त से क्या अभिप्राय है? (20 शब्द)
Q. औद्योगिक वित्त के पांच प्रमुख स्रोत बताएं?
Q. विशेष आर्थिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? इसका औद्योगिक विकास में क्या महत्व है?(100शब्द)

# आधारभूत संरचना
# (Infrastructure)

पूंजी स्टॉक का वह भाग जो उत्पादन/ उत्पादकता के विकास में अपनी सेवाएं प्रदान करता है और मानव विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आधारभूत संरचना कहलाता है।
जैसे सड़क, रेलवे, बिजली, संचार, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य, पेयजल इत्यादि।

## आधारभूत संरचना का स्वरूप
### Nature of infrastructure

•आधारभूत संरचना को दो भागों में बांटा जाता है।
1. भौतिक आधारभूत संरचना- जैसे सड़क, बिजली, संचार, रेलवे, बिजली ग्रिड।
• यह भौतिक आधारभूत संरचना उत्पादन में अपनी प्रत्यक्ष सेवाएं देता है।
2. सामाजिक आधारभूत संरचना- यह उत्पादन में अपनी अप्रत्यक्ष सेवाएं देता है।जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सफाई एवं बैंक, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, बीमा इत्यादि
• परंतु यह जितना ज्यादा विकसित अवस्था में होगा, उतना ही मानवीय क्षमता का विकास होगा और भौतिक आधारभूत संरचना का उपयोग करने में सक्षम मानवीय पूंजी का निर्माण होगा।
• परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी।
•अतः यह माना गया है कि किसी देश के विकास में जितनी आवश्यकता भौतिक आधारभूत संरचना की होती है, उससे कहीं ज्यादा सामाजिक आधारभूत संरचना की जरूरत होती है।
• यदि किसी देश में दोनों ही बेहतर हो तो उत्पादन बेहतर होगा और आर्थिक संवृद्धि की दर तेज होगी।

## अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का महत्व

**आधारभूत संरचना के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है-**

1.जुड़ाव(connectivity)- आधारभूत संरचना के विकास से किसी देश के एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों का आपस में जुड़ाव होता है। परिणाम-स्वरूप सुदूर ग्रामीण उत्पादों को आसानी से शहरी क्षेत्रों में लाया जा सकता है।

इससे गांव का उत्पादन आसानी से शहरों में बिक जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

2. उपलब्धता (Availability)- आधारभूत संरचना के विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पाद आसानी से शहरों में और शहरी क्षेत्रों का उत्पाद आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचता है,जिससे दोनों ही क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होती है।

3. रोजगार(Employment)- जुड़ाव व उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का उत्पाद शहरों में पहुंचता है तो शहरों में इसकी मांग लगातार बढ़ती है। इसी तरह शहरी उत्पादों की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती है। परिणामस्वरूप दोनों ही स्थानों पर रोजगार सृजन होता है।

4. ग्रामीण विकास (Rural Development)- गाँव में आधारभूत संरचना का विकास होने के कारण ग्रामीण उत्पाद शहरी क्षेत्रों में आसानी से बिकने जाएंगे। इससे ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि होगी। धीरे-धीरे व्यापारी लोग शहरों में ग्रामीण उत्पादों की संख्या को बढ़ाएंगे।
वही गांवों में लोग शिक्षा, स्वास्थ, शुद्ध पेयजल, लघु उद्योगों के विकास की मांग बढ़ाएंगे।
परिणाम-स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ज्यादा होगा तथा जीवन स्तर में सुधार होगा।
यही नहीं अब यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास भी तेजी से होने लगेगा।
5. इससे निवेश बढता है।

## आधारभूत संरचना के विकास में चुनौतियाँ

1. संसाधनों का प्रबंधन अर्थात् बड़े स्तर पर पूंजी, तकनीकी, कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
2. भूमि अधिग्रहण की चुनौती।
3. विस्थापन की समस्या।
4. खाद्य सुरक्षा का संकट बढ़ता है।
5. पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती है।जैसे- भूकंप, बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग।
6. आधारभूत संरचना शहरोंन्मुखी होती है। जिससे शहर और गांव में विभेद बढ़ता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवसन बढ़ता है।
7. लालफीताशाही।
8. नौकरशाही की चुनौतियाँ।
9. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण सरकार आधारभूत ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता नहीं देती है।
10. सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का अभाव।
11. सार्वजनिक-निजी भागीदारीता के उचित मॉडल का अभाव जिससे सरकार व निजी क्षेत्र के बीच विभिन्न विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।
12. जटिल पर्यावरणीय कानून तथा न्यायिक सक्रियता।
13. परियोजनाओं में होने वाली देरी।

Q. भारत में आधारभूत ढांचे में निवेश की समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। (100 शब्द) RAS MAINS-2021

## आधारभूत संरचना के विकास हेतु सरकारी प्रयास

### 1.राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना )National Infrastructure Pipeline Project-NIP)

• इस परियोजना की 15 अगस्त 2019 को घोषणा की गई।

•अटानु चक्रवर्ती के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया,रिपोर्ट 2020 में जारी की।

• 2019-20 से 2024-25 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर पर 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

•इसमें केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की भागीदारी क्रमशः 39:39:22 है।

• इस योजना में उर्जा,सड़क,सिंचाई, ग्रामीण कृषि और खाद्य प्रसंस्करण परिवहन, रेलवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट और एयरपोर्ट आदि क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

## राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन )National Monetization Pipeline)

•बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने 6 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की घोषणा की थी।

•परियोजना काल 2022 से 2025 तक )4 वर्ष(

• इस योजना के तहत 2022-25 तक सरकारी एसेट्स लीज पर देकर अवसंरचना निर्माण हेतु 6 लाख करोड़ के जुटाए जाएंगे।

• राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का उद्देश्य ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना और उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना है।

• सरकार ने संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए सड़क, बिजली ट्रांसमिशन, तेल, टेलीकॉम टॉवर, स्टेडियमो सहित अन्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना तैयार की है।

• इससे होने वाली आय का प्रयोग नेशनल इन्फ्राट्रक्चर पाइपलाइन के लिए किया जाएगा।

## पीएम गति शक्ति योजना

नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी-

• बजट 2022-23 में घोषणा।

• पीएम गति शक्ति परियोजना की मदद से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास को बढावा देना है।

• यह प्रोजेक्ट 107 लाख करोड़ का है, जिसकी मदद से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप दिया जाएगा।

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करके आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है।

• इसके तहत 22 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा गया है।

•इन सभी मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बड़ी परियोजनाओं के लिए समन्वय स्थापित होगा। सभी विभागों का एक ही पोर्टल पर आने से उन्हें दूसरे विभागों की परियोजनाओं के बारे में पता चलेगा।

• इस योजना के सात मुख्य इंजन है-

1. सड़क
2.रेलवे
3.एयरपोर्ट
4.पोर्ट
5.जलमार्ग
6.सार्वजनिक परिवहन
7.लॉजिस्टिक अवसंरचना

•पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाया गया है।

• इसके तहत 25000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य पूरा किया जाएगा।

•इस परियोजना के अंतर्गत अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी।

• वहीं 100 पीएम गति शक्ति कॉर्गो टर्मिनल को भी तैयार किया जाएगा।

•राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम प" -र्वतमाला" रोपवे परियोजनाएं शुरू की जाएगी।

**<u>औद्योगिक गलियारे )Industrial Corridor)-</u>**

• ऐसे विशेष क्षेत्र जहाँ उद्योग स्थापित किए जाएंगे, औद्योगिक गलियारे कहलाते हैं।

• देश के मुख्य औद्योगिक गलियारे-

1. दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा
2. बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा
3. बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा
4. कोच्ची बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा
5. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा
6. चेन्नई विशाखापट्टनम औद्योगिक गलियारा

• **रक्षा गलियारे(Defence corridor) -**

तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे

**<u>राष्ट्रीय निवेश आधारभूत संरचना निधि</u>**

**<u>)National Investment & Infrastructure Fund-NIIF)</u>**

• इसकी शुरुआत 2015 में की गई।

• इंफ्रास्ट्रक्चर में के क्षेत्र को लॉन्ग टर्म कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।

• मुख्यालय - Mumbai

• इसमें 49% फंड सरकार देगी, शेष घरेलू व विदेशी स्रोत निवेश करेंगे।

• यह अर्द्ध संप्रभु निधि (Quasi Sovereign Fund) है।

• यह एक प्रकार का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है।

• इसमें तीन प्रकार के फंड हैं

a. मास्टर फंड
   - रोड के लिए
   - पोर्ट के लिए
   - एयरपोर्ट के लिए
   - एनर्जी के लिए
   - रेलवे के लिए

B. फंड ऑफ फंड –
अन्य कई परियोजनाओं के लिए

C. स्ट्रैटेजिक फंड –
शेयर बाजार के लिए

## <u>6. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-2017 (सौभाग्य योजना</u>

**7. एन.एच.डी.पी. -1998**

**8. भारतमाला- 2017**

**9. सेतु भारतम 2016**

**10. सागरमाला**

**11. पर्वतमाला 2022-23 बजट**

**12. Dedicated Freight Corridors-2006**

**13. Mission Retro Fitment-2017**

**14. उड़ान योजना- 27 April,2017**

**15.कृषि उड़ान योजना-2020**

**16. कुसुम योजना- 2019**

**17. PMGSY-2000**

**संसाधनों के प्रबंधन हेतु सरकार ने पीपीपी मॉडल पर भी बल दिया है।**

पीपीपी से तात्पर्य- जब सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं का निर्माण करते हैं।

**PPP निम्न लाभ है-**

1. आधारभूत संरचनाओं के लिए संसाधन प्रबंधन।
2. दक्षता एवं प्रबंधकीय क्षमता का विकास।
3. कम कीमत पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता।

**पीपीपी मॉडल**

**A- MCA Model (रियायत समझौता मॉडल)-** इसके अंतर्गत परियोजना के नीति निर्माण से लेकर नीति प्रबंधन तक और नीति क्रियान्वयन तक एक स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत वर्णित कर दिया जाता है। जिसमें सभी के उत्तरदायित्व और भूमिका परिभाषित कर दी जाती है।
इससे कार्य में नौकरशाही की चुनौतियाँ समाप्त हो जाती है और एक पारदर्शी प्रक्रिया विकसित होती है तथा इसमें समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा किया जाता है। जैसे DMRC

b. SPV model (Special Purpose Vehicle)-
इस मॉडल के अंतर्गत सरकार और निजी निवेशक मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं, जो किसी विशेष परियोजना के निर्माण से संबंधित होती हैं। सरकार प्रारंभिक दौर में इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए और वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए अनुदान के रूप में घाटे को पूरा करने का प्रयास करती है, इसे VGF (Viability Gap Funding)के नाम से जाना जाता है। यह Model मुख्यतः बड़ी परियोजनाओं के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है।

C. बनाओं, चलाओं, स्थानांतरण करो (Build, Operate Transfer-BOT)
निर्माण, संचालन, स्वामित्व, हस्तांतरण )build, operate, own, transfer-BOOT) निजी क्षेत्र सार्वजनिक प्रोजेक्ट की डिजाइन करने, निर्माण करने और उसके वित्तीयन(funding) का काम करती हैं।
प्रोजेक्ट पूरा होने पर समझौते के अनुसार निजी कंपनी टोल, फीस, किराया आदि से लागत को प्राप्त करती है। निश्चित समय के बाद वह वापस प्रोजेक्ट को सरकार को लौटा देती है।
Note:- यदि BOT में टोल निजी कंपनी वसूले तो इसे BOT- टोल कहते हैं। यदि टोल सरकार वसूले तो इसे BOT- एन्युटी कहते हैं।
• कनाडा तथा न्यूजीलैंड में इसे B.O.T. न कहकर B.O.O.T. कहते हैं।

*D. डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर*
*Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) –*
इसमें निजी इकाई शुरू से लेकर अंत तक सभी काम करती हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने पर सरकार को हस्तांतरित कर देती है।

E. अभियांत्रिकी अधिप्राप्ति निर्माण मॉडल (E.P.C.)-
Engineering Procurement Construction Model

इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल (E.P.C.) में फंडिंग सरकार द्वारा की जाती है।निजी फर्म केवल परियोजना की डिजाइन और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेती है।

F. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल-Hybrid Annuity Model (HAM) यह EPC और BOT एन्यूटी मॉडलों का मिश्रण है।
इस मॉडल में परियोजना की लागत सरकार और निजी पक्ष द्वारा क्रमशः 40:60 के अनुपात में वहन की जाती है।निजी कंपनी सड़क बनाकर उसे सरकार को सौंप देती है।
निजी कंपनी द्वारा किए गए निवेश के बदले सरकार द्वारा संग्रहित टोल में से वार्षिक राशि का भुगतान किया जाता है।

# आर्थिक संवृद्धि

आर्थिक संवृद्धि से तात्पर्य प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं वास्तविक वृद्धि से हैं। आर्थिक संवृद्धि मात्रात्मक एवं एक आयामी अवधारणा है। अर्थात् यह देश के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि की बात करती है।

**अथवा**

आर्थिक चरों जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में होने वाले परिवर्तनों जिन्हें मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक संवृद्धि कहते हैं।

## प्रति व्यक्ति आय-

यह किसी देश के लोगों की औसत वार्षिक आय होती है तथा कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए हमें राष्ट्रीय आय बढ़ाना चाहिए तथा जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए।

## आर्थिक विकास-

यह एक बहुआयामी अवधारणा है, जो आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास पर बल देती है। अर्थात यह आर्थिक विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक, संस्थागत तथा गुणात्मक परिवर्तन पर बल देती है। अतः यह गुणात्मक अवधारणा है और आर्थिक संवृद्धि इसका एक हिस्सा है।

## आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक-

**आर्थिक कारक-**

1. प्राकृतिक साधन
2. पूंजी निर्माण
3. कृषि विक्रय अधिशेष-
4. औद्योगिकीकरण की तीव्र वृद्धि दर
5. अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका
6. तकनीकी उन्नति
7. आर्थिक प्रणाली
8. विदेश व्यापार की स्थिति और नीतियाँ
9. मानव संसाधन
10. उद्यमशीलता

### गैर आर्थिक कारक-

1. शिक्षा
2. स्वास्थ्य
3. लैंगिक न्याय
4. धार्मिक कारक
5. राजनीतिक कारक
6. महिला सशक्तिकरण
7. सामाजिक न्याय
8. लैंगिक न्याय
9. गरीबी
10. बेरोजगारी
11. सामाजिक लागते

## आर्थिक संवृद्धि का मापन कैसे किया जाता है?

आर्थिक संवृद्धि के आधार पर विश्व बैंक द्वारा ( Atlas Method) विश्व को तीन भागों में विभाजित किया जाता है।

**<u>निम्न आय अर्थव्यवस्था</u>**

ऐसे देश जिनकी GNI के आधार पर प्रति व्यक्ति आय $1135 सालाना हो या इससे कम हो। ऐसे देशों की कुल संख्या 26 है।

Ex. Afghanistan, Somalia, Burundi, Sudan, Chad etc.

**<u>मध्यम आय अर्थव्यवस्था</u>**

इस श्रेणी के अंतर्गत वे देश आते हैं जिनकी GNI के आधार पर प्रति व्यक्ति आय $1136 से $13,845 तक प्रति वर्ष होती है।

मध्यम विकसित देशों को भी दो भागों में बांटा गया है।

**A. निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था**

ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1136 से $4465 प्रतिवर्ष तक हो।

Ex. India, Nepal, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka etc.
ऐसे देशों की कुल संख्या 54 है।

**B.उच्च मध्यम आय अर्थव्यवस्था**

ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $ 4466 से $13845 तक हो।

Ex. Albania, Maldives, China, South Africa, turkiye etc.
ऐसो देशों की कुल संख्या 54 है।

**3. उच्च आय अर्थव्यवस्था**

ऐसे देश जिनकी सालाना प्रति व्यक्ति आय $13845 से अधिक है। ऐसे देशों की संख्या 83 है।

Ex. America, Australia, Italy, Britain, France, Japan, Canada, Spain, Taiwan, France, Germany etc.

## आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर

सामान्यतः आर्थिक संवृद्धि व आर्थिक विकास में ज्यादा अंतर नहीं माना जाता है। क्योंकि आर्थिक संवृद्धि,आर्थिक विकास का ही भाग होती है। किंतु फिर भी इनमें कई अंतर होते हैं

1. संवृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है, जो सिर्फ उत्पादन में वृद्धि को इंगित करती है। अतः इसे एक आयामी अवधारणा के रूप में जाना जाता है। जबकि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है अर्थात् यह आय बढ़ाने के साथ-साथ संरचनात्मक परिवर्तन, सामाजिक-आर्थिक संस्थाओं में तकनीकी परिवर्तन तथा गरीबी- बेरोजगारी जैसे संकटों को दूर करने की बात करता है। इसलिए इसे बहुआयामी अवधारणा कहते हैं।

2. जहाँ संवृद्धि केवल उत्पादकता बढ़ाने की बात करता है, वही आर्थिक विकास वितरणात्मक न्याय (आय में सभी लोगों को शामिल करने तथा सभी लोगों की आय बढ़ाने) की बात करता है।

3. आर्थिक संवृद्धि का संदर्भ मानव जीवन के स्तर को बढ़ाना (Increase in Standard of living) है,जबकि आर्थिक विकास मानव जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाने(Increase in quality of life) की बात करता है।

4. आर्थिक संवृद्धि भौतिक पूंजी में वृद्धि पर बल देता है, जबकि आर्थिक विकास भौतिक पूंजी में वृद्धि के साथ-साथ मानवीय पूंजी में वृद्धि पर बल देता है।

5. आर्थिक संवृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर होता है, जबकि आर्थिक विकास को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के अलावा मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी की दर, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक आदि का प्रयोग किया जाता है।

6. आर्थिक संवृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक व्यापक का अवधारणा है।

# बेरोजगारी / Unemployment

इंडेक्स/Index

1बेरोजगारी का अर्थ ?
2. बेरोजगारी का स्वरूप ?
3. बेरोजगारी के प्रकार ?
4. बेरोजगारी के कारण क्या है ?
5. बेरोजगारी के प्रभाव ?
6. बेरोजगारी का मापन कैसे होता है
7. बेरोजगारी को दूर करने हेतु सुझाव तथा सरकार की नीतियाँ ।

## बेरोजगारी का अर्थ-

वह अवस्था जिसमें श्रमबल का एक भाग काम करने की इच्छा तथा योग्यता तो रखता है, परंतु उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता, बेरोजगारी कहलाती है।

**श्रमबल -** 15 से 65 का प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा व योग्यता रखता हो, श्रमबल कहलाता है।

**कार्यबल-** श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका हो, कार्यबल कहलाता है।

## बेरोजगारी के स्वरूप

**1.स्वैच्छिक बेरोजगारी-** यदि श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति नियत मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो।

• ऐसा तब होता है, जब व्यक्ति को क्षमता अनुसार कार्य या वेतन नहीं मिलता है। यह शिक्षित वर्ग से संबंधित होती है, अतः इसका संबंध गरीबी से नहीं होता है।

**2.अनैच्छिक बेरोजगारी-** श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति यदि नियत मजदूरी से कम पर भी कार्य करने को तैयार हैं, परंतु इसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिले,तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। यह बेरोजगारी गरीबी से प्रत्यक्ष संबंधित होती है।

• इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है तथा यह विकसित देशों तथा विकासशील देशों में अलग-अलग कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे

• विकसित देशों में मंदी के कारण होती है।

• विकासशील देशों में यह समस्या जनसंख्या वृद्धि से से श्रमबल का आकार बढ़ने से होती है।
तो वही दूसरा कारण आधारभूत बाधाएं होती है। जिसके कारण उपलब्ध संसाधनों का दोहन नहीं हो पाता है। इससे अवसर कम उत्पन्न होते है। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की दर बढ़ती है।

## बेरोजगारी के प्रभाव -

### आर्थिक प्रभाव -

1. मानव संसाधन का अपव्यय होता हैं- किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती उपलब्ध संसाधनों का कुशलता उपयोग सुनिश्चित करना है और बढ़ती बेरोजगारी यह प्रदर्शित करती है कि हम उपलब्ध मानव संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है।

2. किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि बेरोजगारी बढ़ती है, तो इससे भरण-पोषण की लागत भी बढ़ती है और इससे हमारी बचत व निवेश क्रमशः घटते हैं। इन सभी के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर और भी कम हो जाते हैं और यह बेरोजगारी का दुष्चक्र अनवरत चलता रहता है,
जो बेरोजगारी को बढ़ाता है।

3. गरीबी की दर तीव्रता से बढ़ती है।

**सामाजिक प्रभाव-**

1.पलायन का संकट बढ़ता है।

2. बेरोजगारी से व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वयं को कटा हुआ महसूस करता है तथा इससे युवाओं में तनाव व कुंठा उत्पन्न होती है और वे आतंकवाद व नक्सलवाद जैसी समस्याओं के फलने फूलने को अवसर प्रदान करते हैं जिससे अपराधों में वृद्धि होती है।

3. इसी तरह बेरोजगार व्यक्ति अभावग्रस्तता व शक्तिहीनता के शिकार होते हैं। जिसके कारण हर जगह उनका शोषण होता है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी-

**1- प्रत्यक्ष बेरोजगारी-** यदि श्रमबल में आने वाले व्यक्ति को नियत मजदूरी से कम पर भी काम उपलब्ध नहीं हो, तो यह प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहलाती है।

मुख्यतः भूमिहीनों की समस्या है अतः इसका संबंध सामाजिक व्यवस्था व गरीबी से भी होता है।

**2. प्रच्छन्न बेरोजगारी-** इसके तहत श्रमबल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को रोजगार तो प्राप्त हो जाता है। परंतु उसके श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती हैं। ऐसा जरूरत से ज्यादा श्रमिकों के नियोजन से होता है।

यहां सीमांत उत्पादकता से तात्पर्य यह है कि एक अतिरिक्त श्रमिक की उत्पादकता शून्य के बराबर हो

**3. मौसमी बेरोजगारी**

जब व्यक्तियों को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त हो तथा इसके पश्चात् वे बेरोजगार हो जाते हैंतो इसे मौसमी बेरोजगारी कहां जाता है।

जैसे कृषि, कपड़ा उद्योग,ज्यूस इत्यादि के श्रमिक मौसमी बेरोजगारी के कारण समय विशेष में बेरोजगार हो जाते हैं।

**बेरोजगारी का स्वरूप (Types)-**

**शहरी क्षेत्रों में-**

**1.घर्षण जनित बेरोजगारी-** श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति, जब एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करता है, तो बीच के समय में जब वह बेरोजगार रहता है। इस बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन यह अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा नहीं है।

**2. चक्रीय बेरोजगारी-** अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति के बीच असंतुलन के कारण विशेषकर मंदी की परिस्थिति में उत्पन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है।

**3. अल्प बेरोजगारी-** जब श्रमबल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी पर कार्य कर रहा हो, परंतु उसे क्षमता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं हो तो इसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है।

**4. शिक्षित बेरोजगारी**-जब दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, आर्थिक अवसरों की कमी या बेहतर रोजगार की तलाश में शिक्षित युवा बेरोजगार होता है, तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं।

**5. संरचनात्मक बेरोजगारी-** अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है।

विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम होती है तो दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। संरचना में परिवर्तन के साथ-साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है।

**6. तकनीकी बेरोजगारी-** उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नयी मशीनों से उत्पादन के कारण जो बेरोजगारी उत्त्पन्न होती है, वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है।

## बेरोजगारी के कारण-

1. तीव्र जनसंख्या वृद्धि से अवसरों में कमी।
2. संसाधनों की कमी से रोजगार सृजन की दर कम होना।
3. आधारभूत ढांचा कमजोर होने के कारण उद्योग पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाए अर्थात् औद्योगिकीकरण का अभाव विशेषकर MSMEs का विकास ना होना।
4. कृषि का पिछड़ापन व मानसून की विसंगति ।
5. आर्थिक संवृद्धि का धीमा होना।
6. रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि होना।
7. वैश्वीकरण के कारण भारत में मशीनीकरण , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का दौर आया, जिससे रोजगार सृजन में गिरावट आयी तथा रोजगार के समक्ष नई चुनौतियाँ ( कौशल की मांग, तकनीकी बेरोजगारी) खड़ी कर दी। इससे भारत में आर्थिक वृद्धि तो तेजी से बढ़ रही है, किंतु रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। इसलिए रोजगार विहीन वृद्धि की अवधारणा उत्पन्न हो रही है।
8. L.P.G. के कारण सार्वजनिक सेवाओं में कमी के कारण सरकारी नौकरियों में कमी आने लगी।
9. शिक्षा का स्तर अत्यन्त कमजोर है, सभी लोगों को शिक्षित नहीं है।
10. शिक्षण संस्थानों में बाजार आधारित कौशल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या देखी जाती है।
11. भारत में उद्यमिता की प्रवृत्ति अत्यधिक कमजोर है। इसलिए अधिकतर लोग जॉब सिकर(Job seeker/ रोजगार की मांग करने वाला) की संख्या अधिक है, परंतु रोजगार प्रदान करने वालों (Job Givers) की संख्या बहुत कम है।

## बेरोजगारी निवारण के उपाय-

1. उत्पादन में वृद्धि करके।
2. जनसंख्या नियंत्रित करके।
3. बचत को प्रोत्साहित करके।
4. MSMEs को बढ़ावा देकर।
5. स्वरोजगार को बढ़ावा देकर।
6. शैक्षणिक सुधार करके अर्थात् व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य करके।
7. बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्षमता निर्माण(Skill development) पर बल दिया जाना चाहिए तथा उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
8. सहकारी उद्योगों को बढ़ावा देकर।
9. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देकर।
10. श्रम आधारित तकनीक को बढ़ावा देकर।
11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर।
12. निर्यात को बढ़ावा देकर।

## भारत में बेरोजगारी का मापन-

भारत में बेरोजगारी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(NSO) द्वारा किया जाता है। इसकी गणना तीन प्रकार से की जाती है।

- सामान्य स्थिति बेरोजगारी (Usual Status Unemployment )
- साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (Weekly Status Unemployment )
- दैनिक स्थिति बेरोजगारी (Daily Status Unemployment )

**1. सामान्य अवस्था बेरोजगारी-** उन लोगों की संख्या जिन्हें पूरे वर्ष भर कौशल स्तर के अनुसार काम नहीं मिला।

- इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिनों में से 183 दिन या इससे अधिक दिन रोजगार में नियोजित है, तो उसे श्रमबल में माना जाता है।

• और यदि वह 183 दिनों से रोजगाररत नहीं है तो उसे श्रमबल से बाहर माना जाता है।

• इस प्रकार यह बेरोजगारी दीर्घकालिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है।

**2. साप्ताहिक अवस्था बेरोजगारी-** ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पूरे सप्ताह कार्य नहीं मिला।

• इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 7 दिनों में 1 घंटा भी काम प्राप्त करने में **अ**समर्थ रहता है, तो उसे **बे**रोजगार मान लिया जाता है।

**3. दैनिक अवस्था बेरोजगारी**- उन लोगों की संख्या बताती है,जिन्हें किसी दिन 1 घंटे से अधिक एवं 4 घंटे से कम काम प्राप्त होता है, तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाएगा और 4 घंटे से अधिक काम करने पर वह व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत माना जाएगा। दैनिक स्थिति बेरोजगारी, बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है।

**बेरोजगारी दर** = बेरोजगारों की संख्या ÷ श्रमबल की संख्या × 100

**कामगार जनसंख्या दर (Worker Population Rate)** = रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या ÷ जनसंख्या × 100

**श्रमबल भागीदारी दर(Labour Force Participation** Rate) = श्रमबल ÷ जनसंख्या ×100

बेरोजगारी के आंकड़े NSO द्वारा 'आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण' (Periodic Labour Force Survey-PLFS) में जारी किए जाते हैं।

• इस सर्वेक्षण को एनएसओ जारी करता है।

• इसे अप्रैल 2017 में शुरू किया गया।

• 2022-23 के PLFS के अनुसार बेरोजगारी की दर 3.2% है।

## बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम

**1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)**

• प्रारंभ- फरवरी 2019 में।

• मंत्रालय - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई।

प्रकार- यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है।

• पात्रता- 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईट-भट्ठा मजदूर, चर्मकार,कचरा उठाने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी बनाने वाले मजदूर, हथकरघा मजदूर, ऑडियो-वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न ऐसे श्रमिक होंगे, जिसकी मासिक आय ₹15000 से कम है।

• पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

• प्रीमियम- इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए हर महीने एक निश्चित राशि (आयु के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच) का निवेश करना होगा।

• पेंशन- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता(Subscriber) को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रतिमा न्यूनतम ₹3000 की निश्चित पेंशन मिलेगी।

• यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगी।

• यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु 60 वर्ष से पहले ही हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी/पति योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकती/सकता है।

**2. प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना(PM-KYMS)**

• प्रधानमंत्री कर्मयोगी पेंशन योजना की घोषणा बजट 2019-20 के अंतर्गत की गई।

अर्हता- छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए पेंशन योजना।

• कोई भी दुकानदार और खुदरा व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है और जिसका सालाना कारोबार डेढ़ करोड़ तक है। इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।

• इस योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं।

• पेंशन - योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को ₹3000 मासिक दिए जाएंगे।

• प्रीमियम- इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए हर महीने एक निश्चित राशि (आयु के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच) का निवेश करना होगा।

• यह एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना है, जिसमें केंद्र सरकार लाभार्थी के खाते में एक समान राशि का योगदान करेगी।

• इसका क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम करेगी।

## उस्ताद योजना

शुरूआत-14 मई 2015 को।

उद्देश्य- अल्पसंख्यक समुदाय में पारंपरिक कला और हस्तशिल्प से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इन समुदाय के लोगों का क्षमता विकास व प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उस्ताद योजना प्रारंभ की गई।

## स्किल इंडिया

शुरूआत-15 जुलाई 2015 को।

उद्देश्य- भारत में कामगारों का कौशल विकास बढ़ाने हेतु तथा भारत को क्षमता निर्माण का केंद्र बिंदु बनाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गयी।

**पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम-**

भारत सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

इस कार्यक्रम के तहत 5 योजनाएं आरंभ की गई, जिनका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास व व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाना तथा श्रमिकों को उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए सरकारी सहायता को बढ़ावा देना है।

यह कार्यक्रम भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(MGNREGA)**

इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से हुई थी।जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में पारित हो गया था।

2 अक्टूबर, 2009 को इसका नाम नरेगा से बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया।

यह कानून ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

यह कानून किसी वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को (वैसे सभी वयस्क सदस्यों को) जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हो, 100 दिनों के रोजगार (सूखा प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार) की गारंटी प्रदान करता है।

इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं होंगी।
यह कानून रोजगार पाने के कानूनी अधिकार के रूप में शुरू किया गया है।
रोजगार पाने के लिए आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा । यदि इस समय सीमा के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा।
रोजगार श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध कराना होगा।
यदि इससे अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध है, तो उसे परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा।
इसके अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित क्षेत्रों जैसे बांधों, जोहड़ों, तालाबों की खुदाई, गांव में सड़क आदि के निर्माण, पेड़ पौधे लगाना जैसे काम किए जाते हैं।

**मनरेगा से लाभ**

- रोजगार में वृद्धि।
- महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों का वित्तीय समावेशन
- न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चितता
- रहन-सहन के स्तर में सुधार
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

### प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना-

1 जून 2020 को प्रारंभ।
मंत्रालय- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) द्वारा प्रारंभ की गई ।
उद्देश्य- छोटे दुकानदारों और फेरी वालों अर्थात् रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (Street Vendors) को आर्थिक रुप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई।

• इस योजना के तहत दुकानदार और छोटे कारोबारियों अथवा रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं(Street Vendors) को ₹10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण(Working capital loan) प्रदान किया जाता है।
• इस पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है।
• इसके बदले किसी भी प्रकार की जमानत या कॉलेटरल की आवश्यकता नहीं होगी।

## गरीब कल्याण रोजगार अभियान -

20 जून 2020 को इसका शुभारंभ बिहार के तेलिहार गांव, खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
इसका उद्देश्य उन गांव या क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को सशक्त करना था, जहाँ COVID-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में शहरों से वापस लौट चुके थे।
• यह अभियान राजस्थान(22जिले), बिहार(32), उत्तर प्रदेश(31), झारखंड(3), उड़ीसा (4) और मध्य प्रदेश (24) के कुल 116 जिलों में चलाया गया।
• इसके तहत 125 दिनों तक रोजगार संचालित किया गया।

### प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना(Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana)

• यह योजना वर्ष 2016-17 के बजट में घोषित की गई थी।
• इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करके औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
• इसके तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के ईपीएफ में किए जाने वाले 12% अंशदान का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

• इसके तहत 15000 रुपये प्रति माह से कम आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(Prime Minister's Employment Generation programme-PMEGP)-**

यह योजना 15 अगस्त, 2008 को शुरू हुई थी।

• देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई।

• इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की क्रेडिट/ऋण सीमा निर्धारित है।

• इसका प्रबंधन सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

• इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्रों द्वारा होता है।

## PM विश्वकर्मा योजना

शुभारंभ- 17 सितंबर 2023

घोषणा - 15 अगस्त 2023

समयावधि- 5 (वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक)

कुल बजट- 13000 करोड रुपए ।

मंत्रालय - सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय

लाभार्थी- लोहार, सुनार, कुम्हार, बढई, मूर्तिकार, नाव बनाने वाले, मूर्तिकार, मोची, दर्जी, नायी जैसे विभिन्न व्यवसाय में लगे पारंपरिक कारीगर तथा शिल्पकार विश्वकर्मा शामिल है।

इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार शामिल है।

प्रकार- केंद्रीय योजना।

लाभ- 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर एक लाख रुपये की पहली किस्त और दो लाख रुपए की दूसरी किस्त की ऋण सहायता।

इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए ₹500 प्रतिदिन और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए ₹1500 का अनुदान दिया जाएगा

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया आदि है।

## ओकुन का नियम (Okun's Law)

• यह किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध बताता हैं।

• इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है।

ओकुन के नियम अनुसार यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होती है, तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी होगी।

इसी प्रकार यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होती है, तो उस देश की जीडीपी में लगभग 3% की कमी होगी।

## सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (CMIE)-

• सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी एक प्रमुख व्यावसायिक सूचना कंपनी है।

• इसकी स्थापना 1976 में एक स्वतंत्र थिंकटैंक के रूप में हुई थी।

• इसका मुख्यालय मुंबई में है।

• इसके द्वारा बेरोजगारी दर के आंकड़े भी जारी किए जाते हैं।

# राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2017

यह देश की तीसरी स्वास्थ्य नीति है।

- इससे पहले 1982 में प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई ।
- 2002 में दूसरी स्वास्थ्य नीति जारी की गई।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य

1. स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को 2025 तक जीडीपी का 2.5% करना।

2. 2025 तक जीवन प्रत्याशा 68.7 साल से बढ़ाकर 70 वर्ष करना।

वर्तमान = **69.66 year**

3. 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर(CMR) को कम करके 23 का लक्ष्य रख गया है ।

4. नवजात शिशु मृत्यु दर (NMR) को घटाकर 16 करना तथा मृत जन्म वाली शिशु दर को वर्ष 2025 तक घटाकर 'एक अंक' में लाना है।

वर्तमान = **26/1000**

शिशु मृत्युदर (CMR) को घटाकर 28 प्रति हजार करना।

5. 2020 तक मातृ मृत्यु दर(MMR) पूरी तरह समाप्त करना।

वर्तमान = **103/1,00,000**

6. अकाल मृत्यु दर को 25% कम करना ।

7. 2025 तक T.B. रोग को समाप्त करना।

8. 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना। वर्तमान = **The current fertility rate for India in 2022 is 2.159 births per woman.**
**2021 was 2.179 births per woman,**
**2020 was 2.200 births per woman,.**

9. नई नीति में जीवन प्रत्याशा को साल 2025 तक 70 साल करने का लक्ष्य, अकाल मृत्यु को 25 प्रतिशत कम करने तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर को वर्ष 2025 तक कम करके 23 प्रति एक हजार का लक्ष्य रखा गया है।

10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्द्धन पर बल देते हुए रुग्णता-देखभाल की बजाय आरोग्यता पर ध्यान केन्द्रित करने की अपेक्षा की गई है।

11. इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों, विशेषकर अल्पसेवित और उपेक्षित लोगों को सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है।

12.राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1000 की आबादी के लिये अस्पतालों में एक नहीं बल्कि 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आपात स्थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाया जा सके।

13. इस नीति में वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से सभी सार्वजनिक अस्पतालों में नि:शुल्क दवाएँ, नि:शुल्क निदान तथा नि:शुल्क आपात तथा अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

14. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सभी आयामों - स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रबंधन और वित्त-पोषण करने, विभिन्न क्षेत्रीय कार्रवाई के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने,चिकित्सा प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने,मानव संसाधन का विकास करने,चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करने, बेहतर स्वास्थ्य के लिये अपेक्षित ज्ञान आधार बनाने, वित्तीय सुरक्षा कार्यनीतियाँ बनाने तथा स्वास्थ्य के विनियमन और उत्तरोत्तर आश्वासन के संबंध में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने पर विचार करते हुए प्राथमिकताओं का चयन किया गया है।

15. नई स्वास्थ्य नीति में साल 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता घटाने और उसके रोगियों के वर्तमान स्तर को घटाकर एक तिहाई तक करने का प्रस्ताव किया गया है।

16. वर्ष 2020 तक हर व्यक्ति तक स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

17. वर्ष 2025 तक यह सुनिश्चित करना कि 90 प्रतिशत नवजातों को एक वर्ष के होने तक प्रतिरक्षित (Immunised) कर दिया जाये।

18. चिकित्सा बहुलवाद (Medical Pluralism) को प्रोत्साहित करना।

19. नई नीति के तहत योग को अच्छे स्वास्थ्य संवर्धन के भाग के रूप में स्कूलों एवं कार्यस्थलों में अधिक व्यापक ढंग से लागू किया जायेगा|

## पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016

• गर्भावस्था के दौरान एवं बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना एवं बच्चे के जन्म को सुरक्षित बनाना।

## मिशन इंद्रधनुष

• शुरुआत= 25 दिसंबर 2014
• उद्देश्य 2020 तक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण
• 12 बीमारियों के लिए
ये है-मिशन इन्द्रधनुष में 12 वैक्सीन-प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ (Vaccine-Preventable Diseases- VPD) के खिलाफ टीकाकरण शामिल है जिनमें डिफ्थीरिया (Diphtheria), काली खांॅसी (Whooping Cough), टेटनस (Tetanus), पोलियो (Polio), क्षय (Tuberculosis), हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis B), मैनिन्जाइटिस (Meningitis), निमोनिया (Pneumonia), हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी संक्रमण (Haemophilus Influenzae Type B Infections), जापानी एनसेफेलाइटिस(Japanese Encephalitis), रोटावायरस वैक्सीन (Rotavirus Vaccine), न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine) और खसरा-रूबेला (Measles-Rubella) शामिल हैं।

## सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0

• शुरुआत फरवरी 2021 से
• उद्देश्य बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना जो कोविड-19 के कारण नियमित टीकाकरण में शामिल नहीं हो पाए थे।
• इसके तहत दो चरणों में टीकाकरण कार्य किया जाएगा।

## पोषण अभियान

• शुरुआत 8 मार्च 2018 को
• देश से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार करना।
• केंद्रीय बजट 2021 में पोषण अभियान व अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम का विलय कर मिशन पोषण 2.0 प्रारंभ किया गया जिसमें 112 आकांक्षी जिलों में पोषण के परिणामों में सुधार लाने के लिए सूत्र कार्य नीति की घोषणा की गई।

## प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

• शुरुआत 1 जनवरी 2017 को।
• सरकार ने गर्भवती व धात्री माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई।

## आयुष्मान भारत योजना

• प्रारंभ - 25 सितंबर 2018 को •
5लाख रुपये का कैशलैस हेल्थ कवरेज।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी।
• इसके तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने हेतु चार मुख्य दृष्टिकोण बताए गए हैं-

**1. निवारक स्वास्थ्य देखभाल**

- जीवन शैली में परिवर्तन, संतुलित आहार से बचाव, फिट इंडिया मूवमेंट, योग, आयुर्वेद, फिटनेस पर जोर, ई- सिगरेट पर प्रतिबंध, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना।

**2. वहनीय स्वास्थ्य सेवा-**

• विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत, कार्डीनल स्टेंट की कीमत में कमी, घुटना प्रत्यारोपण में 70% कटौती, पीएम जन औषधि केंद्र, मोहल्ला क्लीनिक।

**3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आपूर्ति-**

• नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना

**4. मिशन मोड अभियान-**

• माताएं व बच्चों को स्वस्थ रखना, टीकाकरण व पोषण अभियान चलाना व असाध्य बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए।